खण्ड ९ — अंक ३
१६ नवम्बर, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ८, १९५६

(१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 29.11.93
ment Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में संख्या १ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग १ — वाद-विवाद, खंड ८—१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६ — **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १०, १२ से १४, १६ से १९, २१, २२, २४, २६ से २८, ३०, और ३२ ... १–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११, १५, २०, २३, २५, ३१ और ३३ से ३८ ... २६–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ और ३ से २४ ३१–४०

दैनिक संक्षेपिका ४१–४२

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ८०, ४१, ४३ से ४७, ४९ से ५५ और ५७ ४३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४८, ५६, ५८ से ६३, ६५, ६७ से ७९ और ८१ से ८६ ... ... ६३–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ७६ ... ... ७२–९४

२२-३-१९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर की शुद्धि ९४

दैनिक संक्षेपिका ९५–९८

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७, ८८, ९२, ९४ से ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०९ से ११५ और ११७ से १२० ... ... ९९–१२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८९, ९०, ९१, ९३, ९७, १०७, १०८, ११६ और १२१ से १३६ ... ... १२१–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से ११० १२८–३९

दैनिक संक्षेपिका १४०–४२

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १३८, १४०, १४३ से १४७, १४९ से १५१, १५३ से १५६, १५८, १५९, १६२ से १६४, १६७ से १७१ और १७३ १४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४२, १४८, १५२, १५७, १६०, १६१, १६५, १६६, १७२ और १७४ से १९१ ... १६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १११ से १३९ १७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ... १८८–९१

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९४, १९६, १९७, १९९ से २०२, २०४, २०८, २१०-क, २१२, २१३, २१६ से २१८, २२० और २२१ १९१–२१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९५, १९८, २०३, २०५ से २०७, २०९, २१० २११, २१४, २१५, २१९ और २२२ से २४२ २१२–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७४ ... २२२–३८

दैनिक संक्षेपिका २३९–४१

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४४, २४६, २४७, २५०, २५१, २५४, २५५, २५७ से २६१, २६५, २६६, २६८, २७० से २७२, २७५ और २७७ से २७९ २४३–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४५, २४८, २४९, २५२, २५३, २५६, २६२ से २६४, २६७, २६९, २७३, २७४, २७६ और २८० से २८२ ... २६६–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ और १७७ से २१३ ... २७२–८४

दैनिक संक्षेपिका २८५–८८

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८३, २८६, २८८, २९०, २९२, २९४, २९५, २९७, ३०२, ३०५, ३०७ से ३१०, ३१४ से ३१६, ३१९, ३२६ से ३२८ २९३ और ३२९ ... ... २८९–३१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८४, २८५, २८७, २८९, २९१, २९६, २९८ से ३०१, ३०३, ३०४, ३११ से ३१३, ३१७, ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ और ३२५ ३१०–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ और २१६ से २४१ ... ... ३१९–२८

दैनिक संक्षेपिका ३२९–३१

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६ | पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ से ३३७, ३४० से ३४२, ३४४, ३४७, ३५१ से ३५३, ३५५, ३५७ और ३५८ ... ३३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३३९, ३४३, ३४५, ३४८ से ३५०, ३५४, ३५६ और ३५९ से ३८४ ... ३५३–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २८५ और २८७ से २९५ ... ३६५–८४

दैनिक संक्षेपिका ... ३८५–८८

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३८५, ३८६, ४२१, ३८७ से ४०२, ४०४ और ४०६ ... ३८९–४१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१३, ४१५ से ४२० और ४२२ से ४३७ ... ४१०–२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३४५ ... ४२०–३८

दैनिक संक्षेपिका ... ४३९–४२

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४४०, ४४२ से ४४५, ५०१, ४४६, ४४७, ४५१ ४५२, ४५५ से ४५८, ४६२ से ४६४ और ४६६ ... ३४३–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४३९, ४४१, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५४, ४५९ से ४६१, ४६५, ४६७ से ४८७, ४८९ से ५०० और ५०२ से ५०९ ... ४६५–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३७४ और ३७६ से ३८२ ... ४८३–९६

दैनिक संक्षपिका ... ४९७–५००

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५१०, ५११, ५१३ से ५१९, ५२२ से ५२६, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४०, ५४२, ५४३, ५४५ और ५४६ ... ५०१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२, ५२०, ५२१, ५२९, ५३१ से ५३४, ५३६ से ५३८, ५४१, ५४४, ५४७ से ५७९ और ५८१ से ५८७ ... ५२३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४३६ ... ... ५४१–६४

तारांकित प्रश्न संख्या २५८९ दिनांक २८-५-१९५६ के उत्तर की शुद्धि ... ५६४

दैनिक संक्षेपिका ५६५–६८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ से ६००, ६०३ से ६०५, ६०८, ६०९, ६११ और ६१३ ... ... ५६९–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ६०१, ६०२, ६०६, ६०७, ६१०, ६१२, ६१३ से ६२६, और ६२८ से ६३१ ... ... ५८९–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४७१ ५९७–६०८

दैनिक संक्षेपिका ... ६०९–११

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ से ६३६, ६३८, ६३९, ६४२ से ६४७, ६५४, ६५६, ६५८, ६६१, ६६३, ६६५ और ६६६ ... ... ६१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८ से ६५२, ६५५, ६५७, ६५९, ६६०, ६६४ और ६६७ से ६७६ ... ६३५–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ से ४९५ ६४१–५१

दैनिक संक्षेपिका ६५२–५४

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६८५, ६८७ से ६९०, ६९३, ६९४, ६९८, ६९९, ७०१, ७०५, ७०८, ७१०, ७११, ७१३, ७१४, ७१६ और ७१७ ६५५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ से ६७९, ६८६, ६९१, ६९२, ६९५ से ६९७ ७००, ७०२ से ७०४, ७०६, स ७०७, ७०९, ७१२, ७१५ और ७१८ से ७४० ... ... ६७७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ से ५३१ और ५३३ से ५५८ ६९०–७१४

दैनिक संक्षेपिका ७१५–१८

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४५, ७४६, ७४८ से ७५१, ७५४, ७५६, ७५८, ७६० से ७६४, ७६६, ७६८ और ७६९ ... ७१९–४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ... ७४०–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४७, ७५२, ७५३, ७५५, ७५७, ७५९, ७६५, ७६७ और ७७० से ८१२ ... ... ७४२–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५९ से ५८८ और ५९० से ५९६ ७५८–७१

दैनिक संक्षेपिका ७७२–७५

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ७१६, ८२०, ८२४, ८२६, ८२७, ८३०, ८३१, ८२९, ८३४, ८३९, ८४१ से ८४३, और ८४५ से ८४७ ७७७–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१३, ८१७, ८१९, ८२१ से ८२३, ८२५, ८२८, ८३२, ८३३, ८३५ से ८३८, ८४०, ८४४, ८४९ से ८६८, ६४०, ६५३ और ६६२ ... ... ८००–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९७ से ६०६, ६०८ से ६५१ और ६५३ से ६६८ ८१२–३९

दैनिक संक्षेपिका ८४०–४३

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ से ८७१, ८७६, ८७८, ८८० से ८८२, ८८५ से ८८८, ८९०, ८९२, ८९६, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७ और ९१५ ८४५–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८७५, ८७७, ८७९, ८८३, ८८४, ८८९, ८९१, ८९३, ८९४, ८९७ से ९०२, ९०५, ९०८ से ९१४ और ९१६ से ९२६ ८६५–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७१५ ... ८७८–९४

दैनिक संक्षेपिका ८९५–९८

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७ से ९३०, ९३३ से ९३८, ९४२, ९४५, ९४६, ९५७, ९४७, ९४९, ९५०, ९५२ और ९६३ ... ८९९–९२२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ और ३ ... ९२२–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९३१, ९३२, ९३९ से ९४१, ९४३, ९४४, ९४८, ९५१, ९५३ से ९५६, ९५८ से ९६२ और ९६४ से ९६६ ... ९२५–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ से ७६२ ९३२–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ९४९–५१

अंक १९—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६ **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९६७ से ९७०, ९७५ से ९८३, ९८५, ९८६ और ९८८ से ९९१ ९५३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से ९७४, ९८४, ९८७ और ९९२ से १०१७ ... ९७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ८१४ ९८६–१००८

दैनिक संक्षेपिका ... १००९–१२

अंक २०—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०२०, १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३ से १०३६, १०३९ से १०४१, १०४४, १०४५, १०४७ और १०५१ ... ... १०१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०१९, १०२१, १०२३, १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३७, १०३८, १०४२, १०४३, १०४६, १०४८ से १०५० और १०५२ से १०७३ ... ... १०३५–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८१५ से ८२० और ८२२ से ८५३ ... ... १०४७–६१

दैनिक संक्षेपिका ... १०६२–६४

M20LSD—190—25-3-1958—GIPF.

लोक-सभा

शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डनलप रबड़ कम्पनी

†*८७. **श्री बंसल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डनलप रबड़ कम्पनी ने अपना कारखाना बढ़ाने के लिये और पूंजी जारी करने की आज्ञा ले ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूंजी जनता को अंश बेच कर एकत्रित की जायेगी; और

(ग) विद्यमान अंशधारियों से नयी पूंजी की कितने प्रतिशत राशि एकत्रित की जायेगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक करोड़ रुपये के साधारण-अंश तथा एक करोड़ रुपये के प्राथमिकता अंश जारी करने की अनुमति दी गई थी । नये प्राथमिकता अंश सभी लोग ले सकेंगे किन्तु विद्यमान अंश-धारियों को इस मामले में प्राथमिकता दी जायेगी । नये साधारण-अंश (जिनकी राशि १ करोड़ रुपये है) विद्यमान साधारण अंशधारियों को समवाय अधिनियम, १९५६ के उपबन्धों के अनुसार जारी किये जायेंगे । डनलप रबड़ कम्पनी लिमिटेड, लन्दन, जिसके पास ११,५२,७५६ साधारण अंश हैं, अब ५,१०,००० अंशों के लिये अर्थात् नये साधारण अंशों के ५१ प्रतिशत के लिये आवेदन करेगी ।

†**श्री बंसल** : प्रशुल्क आयोग की इस सिफारिश को देखते हुए कि भारत सरकार को यह देखना चाहिये कि इस देश में रबड़-उत्पादन के लिये भारतीय उपक्रम को प्रोत्साहित किया जाये और भारतीय अंशधारियों तथा उनके यूरोपीय सहयोगियों में पूर्ण सहयोग हो, क्या सरकार ने इस कम्पनी को पूंजी जारी करने की आज्ञा देते समय इस सिफारिश को ध्यान में रखा है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : माननीय सदस्य यह समझेंगे कि वर्तमान पूंजी का जारी किया जाना प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों से बाहर है । मैं समझता हूं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस बात पर ध्यान दे रहा है और टायरें तथा अन्य सामान बनाने

†मूल अंग्रेजी में ।

के लिय एक निगम अथवा समवाय बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें अधिक अंश भारतीय लोगों के होंगे ।

†**श्री बंसल** : क्या यह सच नहीं है कि प्रशुल्क आयोग ने कहा है कि इस समवाय का कार्यकरण-व्यय बहुत अधिक बढ़ रहा है और सरकार ने उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस समवाय की नई पूंजी जारी करने की प्रार्थना क्यों रद्द न की ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : संभवतया माननीय मित्र ठीक कहते हैं । प्रशुल्क आयोग ने कुछ सिफारिशें की थीं और सरकार ने उन्हीं के अनुसार कार्य किया है । किन्तु सरकार के सामने अब प्रश्न यह है कि टायरों की बढ़ती हुई मांग पूरी की जाये या न की जाये अथवा हम कुछ सिद्धान्तों को चिमटे रहें और कुछ न कुछ होने की प्रतीक्षा करते रहें । हमने निश्चय किया है कि हम वैसे ही प्रतीक्षा नहीं कर सकते बल्कि हमें अधिक टायरों के निर्माण के लिये कार्यवाही करनी चाहिये । मैं समझता हूं कि उस बात को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक अनुज्ञप्ति दी है और हमने भी उसी का अनुसरण किया है और उन्हें पूंजी बढ़ाने की अनुमति दी है ।

†**श्री बंसल** : क्या यह सच है कि २·३ करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी के मुकाबले में उस समवाय के पास ३·१५ करोड़ रुपये रिजर्व में हैं और क्या यह रकम इस नई जारी की जाने वाली पूंजी का भाग नहीं बनेगी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य संतुलन पत्र का हवाला दे रहे हैं और उन्हें स्वयं निष्कर्ष निकाल लेना चाहिये ।

†**श्री कासलीवाल** : इसमें विदेशी तथा भारतीय पूंजी इस समय कितने-कितने प्रतिशत है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जहां तक विदेशी पूंजी की प्रतिशतता का सम्बन्ध है साधारण अंशों के बारे में लगभग ७१ प्रतिशत है । नई पूंजी में जैसा अभी बताया गया है यह लगभग ५१ प्रतिशत होगा । दोनों को मिलाकर इस समवाय की विदेशी पूंजी की प्रतिशतता कम होगी ।

†**श्री अ० म० थामस** : प्रशुल्क आयोग के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय राष्ट्रजनों के पास केवल ८·३ प्रतिशत साधारण अंश हैं इन अंशों के जारी करने में पहले नियंत्रण रखने पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : कुछ रुकावटें तथा नियंत्रण लगाये गये थे । यह प्रश्न केवल इस बात के देखने का है कि क्या नियंत्रण लगाते समय पूंजी उपलब्ध होगी । माननीय सदस्य देखेंगे कि वर्तमान अनुपात ७१ तथा २९ प्रतिशत है और नये अंशों का प्रतिशत ५१ तथा ४९ होगा । यह तो अपने विचार का प्रश्न है कि ऐसा किया जाये अथवा वैसा किया जाये ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : माननीय मंत्री ने विदेशी तथा भारतीय पूंजी का प्रतिशत बताया है । क्या सरकार विदेशी पूंजी घटाने तथा भारतीय पूंजी बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : सरकार ने ठीक यही करने का प्रयास किया है । पहले मैंने बताया है कि साधारण अंशों की प्रतिशतता ७१ थी अब इस कम्पनी में नये अंश ५१ प्रतिशत रखे जायेंगे और उससे इस कम्पनी द्वारा रखे जाने वाले अंशों की यह प्रतिशतता कम होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री वें० प० नायर** : प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन से पता चलता है कि १९४६ से १९५३ तक इस समवाय का उत्पादन केवल २१ प्रतिशत बढ़ा और स्थायी व्यय ८५ प्रतिशत बढ़े। प्रशुल्क आयोग ने यह भी कहा है कि इस व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखा जाये। क्या सरकार ने यह मंजूरी देते समय कम्पनी को कोई ऐसी हिदायतें दी हैं कि वह कम्पनी का स्थायी व्यय इस प्रकार से न बढ़ायें ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने यह सूचना मुझे बार-बार दी है। मुझे खेद है कि पूंजी निर्गम नियंत्रक इन बातों पर ध्यान नहीं देता और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने इस समवाय को पूंजी बढ़ाने की अनुज्ञप्ति देते समय इन सब बातों पर विचार किया है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार को पता है कि विदेशी समवाय 'फायरस्टोन टायर कम्पनी' ने नयी पूंजी जारी करने तथा उसमें भारतीयों को साथ मिलाने की कोई बात की है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इस समय मुझे पता नहीं है।

†**श्री केलप्पन** : क्या कार्य विस्तार का अर्थ यह है कि नये कारखाने जारी किये जायेंगे और यदि हां, तो क्या इस समवाय को मद्रास में नया कारखाना खोलने के लिये अनुज्ञप्ति दी गई है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं नहीं जानता कि इसका नये कारखाने खोलने पर क्या प्रभाव होगा। श्रीमान्, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता क्योंकि अभी केवल पूंजी निर्गम का मामला इस प्रश्न में है और उसी के उत्तर हमारे पास हैं।

छुट्टी के नियमों में भिन्नता

†*८८. **श्री अचलू** : क्या **वित्त** मंत्री २८ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने विभिन्न श्रेणियों के पदाधिकारियों की छुट्टी के नियमों में वर्तमान भिन्नताओं को हटाने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय किस प्रकार का है ?

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : यह प्रश्न पर्याप्त समय से लम्बित है। क्या सरकार इस पर कोई अन्तिम निर्णय करेगी ?

†**श्री म० च० शाह** : जी हां, प्रश्न कई महीनों से लम्बित है—अब हमें आशा है कि निर्णय कुछ ही सप्ताह में कर लिया जायेगा।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : निर्णय होने में इतनी देर होने के कारण क्या हैं ?

†**श्री म० च० शाह** : मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। कई बातों पर ध्यान देना है—जैसे वित्तीय आभार, दूसरे कर्मचारियों पर इसकी प्रतिक्रिया—इन सब बातों पर विचार किया जाना है। हमने आवश्यक जानकारी एकत्रित कर ली है। सम्बद्ध मंत्रालय बहुत से हैं और लगभग ९,०५,००० कर्मचारी हैं। इसके बाद रेलवे मंत्रालय तथा अन्य महकमों पर विचार करना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दिल्ली में बम-विस्फोट

+

†*९२. **श्री गिडवानी :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री रामकृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामचन्द्र रेड्डी :
श्री भोखा भाई :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री भक्त दर्शन :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में हुए बम-विस्फोटों के मामले में जांच पूरी कर ली है;

(ख) क्या उसमें विदेशियों का भी हाथ है ?

(ग) अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). मामलों की अभी जांच हो रही है ।

(ग) सात ।

†**श्री गिडवानी** : क्या इन बम-कांडों के पीछे कोई षड्यन्त्र था और क्या सरकार ने किसी षड्यन्त्र का पता लगाया है ?

†**श्री दातार** : उस सारे मामले की पड़ताल की जा रही है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या पाकिस्तानियों का, जो भारत आये हैं, इस मामले में हाथ है और क्या अब तक उनमें से कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

†**श्री दातार** : सरकार ने अभी सात व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं और अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि इस षड्यंत्र में विदेशी भी शामिल हैं अथवा नहीं ।

†**श्री गिडवानी** : क्या काश्मीर जनमत मोर्चा नामक संस्था के कुछ सदस्य इसम सम्मिलित हैं और क्या उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया है ?

†**श्री दातार** : इस समय मैं केवल यही बता सकता हूं कि सात व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं—इससे अधिक कुछ नहीं ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या उन सात में से कोई पाकिस्तानी है ?

†**श्री दातार** : ये सात व्यक्ति भारतीय राष्ट्रजन हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार सामान्य पुलिस पदाधिकारियों द्वारा ही इस मामले की जांच करा रही है अथवा जांच करने के लिये विशेष पुलिस संस्थापन बनाया गया है और यदि विशेष पुलिस संस्थापन बनाया गया है तो यह किस प्रकार का है ?

†**श्री दातार** : सरकार ने इस काम के लिये बड़े अनुभवी पुलिस अधिकारी लगाये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या जांच शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी अथवा छः महीने और लगेंगे ?

†**श्री दातार** : इसके शीघ्र ही समाप्त होने की संभावना है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि बम कहां से मिला ?

†**श्री दातार** : सरकार उसका पता लगाने का भी प्रयास कर रही है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्ति किसी संगठित संस्था के सदस्य हैं और क्या वह संगठन अब भी कार्य कर रहा है ?

†**श्री दातार** : जहां तक उन व्यक्तियों का सम्बन्ध है उन्हें पर्याप्त सन्देह पर पकड़ा गया है । इस प्रश्न पर कि वह किसी संगठन के सदस्य हैं या नहीं छानबीन की जा रही है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि जिन दिनों दिल्ली में बम फट रहे थे, करीब-करीब उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश के कई नगरों में एक पुस्तक के प्रकाशन के बहाने बहुत भद्दे प्रदर्शन किये गये और राष्ट्र विरोधी नारे लगाये गये ? क्या उन दोनों में कोई सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री दातार** : इन दोनों मामलों का कोई सम्बन्ध है या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इन सात व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किन लोगों को सन्देह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है ?

†**श्री दातार** : जांच क दौरान सरकार के पास कुछ सामग्री आई जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाये––क्योंकि यह विचार था कि ये लोग उस मामले से सम्बन्धित हैं । इस समय यह कहना कठिन है कि दूसरों का भी कोई सम्बन्ध है या नहीं । मामल की अभी जांच की जा रही है ।

अतिरिक्त प्रतिरक्षा कर्मचारी

†*९४. **श्री बहादुर सिंह** :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री काजरोलकर :
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें ये बातें बताई गई हों :

(क) इस समय युद्ध-सामग्री कारखानों तथा अन्य प्रतिरक्षा संस्थापनाओं में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी छंटनी की गई है;

(ख) १९५६ में अब तक कितने कुशल तथा अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों की छंटनी की गई है;

(ग) ऐसे कितने कर्मचारियों को दूसरी नौकरियां दी गई हैं;

(घ) प्रत्येक मास, जो काम नहीं करते ऐसे कर्मचारियों तथा जिनको वैकल्पिक कार्य नहीं दिया गया है, ऐसे कर्मचारियों को कितनी धनराशि बेकार बैठे की मजूरी दी जाती है; और

(ङ) अधिक कर्मचारियों को छंटनी के समय कितनी धनराशि दी जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१**]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मेरे विचार से प्रश्न के भाग (क) में, माननीय सदस्य अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या जानना चाहते हैं क्योंकि छंटनी किये गये कर्मचारी कारखाने की सूची में नहीं रखे जाते हैं। यह समझकर मैंने एक विवरण तैयार किया जिसको सभा-पटल पर रख दिया गया है।

†**श्री बहादुर सिंह** : क्या सरकार छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों को कार्य देने का कोई वादा करती है क्योंकि विकास योजनाओं से भविष्य में बहुत सी नौकरियां निकलेंगी ?

†**श्री त्यागी** : केवल वादा ही नहीं। हमने कहा था कि आशा है कि औद्योगिक क्षेत्र में कार्य बढ़ जाने से, सरकार लगभग सभी को वैकल्पिक काम देने में समर्थ हो सकेगी। अब तक, जैसा कि मैंने अपने विवरण में बताया २,५३० व्यक्तियों को नियुक्त किया जा चुका है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : विवरण से यह पता चलता है कि २,५३० कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरियां दी जा चुकी हैं। उनमें से कितने कर्मचारियों ने ये नौकरियां स्वीकार कर ली हैं।

†**श्री त्यागी** : जैसा कि मैंने अभी बताया २,५३० कुशल तथा अर्ध-कुशल कर्मचारियों ने वैकल्पिक नौकरियां स्वीकार कर ली हैं। तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में ही खाली स्थानों का पुनः निर्धारण करके ४,००० कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति दी जा चुकी है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या छंटनी के परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघान ने समस्त देश में कोई हड़ताल की; यदि हां, तो क्या उनसे कोई बातचीत की गई है ?

†**श्री त्यागी** : बातचीत आवश्यक नहीं थी क्योंकि छंटनी किये जाने से पूर्व बातचीत की जा चुकी थी। हड़ताल अचानक हुई थी तथा हड़ताल असफल हो गई थी इसलिये बातचीत की कोई आवश्यकता नहीं थी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : चूंकि सरकार दशमलव-प्रणाली के आधार पर बाटों तथा मापों का प्रमापीकरण करना चाहती है जिसके फलस्वरूप मशीनों की मांग बढ़ेगी, क्या सरकार ने यह पता लगाने की चेष्टा की है कि प्रतिरक्षा संस्थापनों को उन मशीनों के निर्माण के लिये कैसे प्रयुक्त किया जा सकता है और अतिरिक्त प्रतिरक्षा कर्मचारियों को उनमें खपाया जा सकता है।

†**श्री त्यागी** : इन कर्मचारियों की छंटनी के पश्चात् भी युद्ध-सामग्री कारखानों में लगभग ८,००० कर्मचारी प्रतिरक्षा उत्पादन पर नहीं लगे हुए हैं। वे असैनिक वस्तुओं के उत्पादन पर ही लगे हुए हैं। इसलिये यदि और काम आता है तो असैनिक वस्तु कर्मचारियों में से व्यवस्था की जा सकती है।

सैनिक पदाधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार

†*९५. **डा० रामा राव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से चलने वाली जी० टी० एक्सप्रेस आगरे में एक घंटे से अधिक समय तक रोकी गई क्योंकि एक सैनिक पदाधिकारी ने एक दूसरे सज्जन (उत्तर प्रदेश सरकार के अवर-सचिव) के लिये रक्षित बर्थ को खाली करने से इन्कार कर दिया;

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस बुलाई गई थी;

(ग) क्या सैनिक पदाधिकारी के पास बन्दूक थी और वह उसे हाथ में लिये बैठा रहा; और

(घ) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) यह सच है कि गाड़ी रुकी रही। करणों की जांच की जा रही है।

(ख) से (घ). एक जांच न्यायालय को मामले की जांच करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

†**डा० रामा राव** : इस समय तक कितनी जांच हो चुकी है ?

†**श्री त्यागी** : जांच न्यायालय ने कुछ गवाहियां ली हैं तथा वह अब भी जांच कर रहे हैं।

†**डा० रामा राव** : सम्बन्धित पदाधिकारी का क्या नाम है ?

†**श्री त्यागी** : मेजर एडेम।

†**श्री केलप्पन** : जांच न्यायालय कब बनाया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न ऐसे पूछे जाने चाहियें, जिससे आवश्यक जानकारी ज्ञात हो सके।

†**श्री त्यागी** : नियुक्ति की सही तिथि मुझे ज्ञात नहीं है।

†**श्री केलप्पन** : यह कितने दिनों से कार्य कर रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को याद रखना चाहिये कि सभी का समय मूल्यवान है। ४७ अथवा ५० प्रश्न हैं। हम अभी बहुत से प्रश्न समाप्त नहीं कर पाये हैं। इसलिये जब तक अनुपूरक प्रश्न से आवश्यक सूचना न मिले वे पूछने नहीं चाहियें।

†**श्री केलप्पन** : यह उचित प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता था कि यह कितने समय से कार्य कर रहा है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या रेलवे पदाधिकारियों से कोई रिपोर्ट मिली है तथा क्या सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ किया है ?

†**श्री त्यागी** : रेलवे पदाधिकारियों से रिपोर्ट मिली थी तथा उसी रिपोर्ट के आधार पर जांच न्यायालय बनाने के आदेश दिये गये थे। यद्यपि रेलवे पदाधिकारियों ने बहुत से आरोपों की पुष्टि की है परन्तु उन्होंने निश्चित रूप से इस बात को ग़लत बताया है कि पदाधिकारी के पास कोई शस्त्र अथवा राइफल थी तथा उसने राइफल से धमकी दी। मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि पदाधिकारी राइफलें ले कर नहीं चलते।

†**डा० रामा राव** : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि जिस डिब्बे में से शस्त्र के साथ पहले वह गया, उस डिब्बे में कितने ही संसद् सदस्य भी थे तथा बाद में जब वह उसी डिब्बे में शस्त्र के साथ लाया गया——मैं कह नहीं सकता कि वह राइफल थी या कुछ और। वह लौट कर हमारे डिब्बे में आया। माननीय मंत्री कहते हैं कि उसके पास कोई हथियार नहीं था।

†**श्री त्यागी** : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा उसके उत्तर में मुझे कुछ कहना चाहिये या नहीं यह मैं नहीं जानता। मैं उन माननीय सदस्यों से जानकारी लेने को तैयार हूं जो इस सम्बन्ध में जानकारी देने को तैयार हों।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस विशेष पदाधिकारी के विरुद्ध प्रत्यक्ष मामला होने के आधार पर जांच न्यायालय की नियुक्ति के अतिरिक्त क्या उसके आचार के सम्बन्ध में जांच के निर्णय तक कोई अस्थायी कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री त्यागी** : पदाधिकारी से तुरन्त ही स्पष्टीकरण मांगा गया था तथा उनके स्पष्टीकरण के पश्चात् रेलवे पदाधिकारियों की रिपोर्ट मांगी गई थी । इन दोनों दस्तावेज़ों को देखने के पश्चात् हमने जांच का निर्णय किया था क्योंकि कुछ संसद् सदस्यों ने भी शिकायत की थी । इसलिये जब तक मामले की जांच हो रही है तब तक मेरे लिये इस का ब्योरा बताना सम्भव नहीं ।

यूनेस्को सम्मेलन

†*९६. { **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :

क्या **शिक्षा** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें बताई गई हों :

(क) नई दिल्ली में हो रहे यूनेस्को के नवें महा सम्मेलन के लिये किन सेवाओं तथा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है; और

(ख) इस सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधि आये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२]**

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : सेवाओं तथा सुविधाओं की सूची में दिये गये "यूनेस्को मास" शब्दों का क्या अर्थ है ?

†**डा० म० मो० दास** : इस मास में जब दिल्ली में यूनेस्को का महा सम्मेलन हो रहा है, सरकार ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत समारोह, तथा प्रदर्शनियां संगठित की हैं । सांस्कृतिक कायक्रम में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य, नाटक तथा संगीत कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा रही है । सरकार के कार्यक्रम के अनुसार प्रतिनिधियों के सम्मान में स्वागत समारोह किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त १२ प्रदर्शनियां संगठित की गई हैं । इन सभी को 'यूनेस्को मास' कहा गया है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इन सुविधाओं की व्यवस्था करने में कुल कितना धन व्यय होगा ?

†**डा० म० मो० दास** : प्राक्कलित व्यय लगभग १० लाख रुपये होगा परन्तु मेरा विचार है कि व्यय इससे अधिक ही हो जायेगा ।

गुजराती का अध्ययन

†*९८. **श्री डाभी** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़, बनारस तथा विश्वभारती विश्वविद्यालयों को गुजराती के अध्ययन के लिये पुरस्कार तथा छात्रवृत्तियां देने के प्रश्न को अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री डाभी** : प्रश्न पर अन्तिम रूप से कौन निर्णय करता है, सरकार अथवा आयोग ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्तिम निर्णय करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कच्ची फिल्म उद्योग

†*९९. { +श्री राम कृष्ण :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री १२ सितम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कच्ची फिल्म बनाने के कारखाने की स्थापना की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्वी-जर्मनी ने इस सम्बन्ध में आवश्यक सुविधायें देने तथा विशेषज्ञों को भेजने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो परामर्श तथा सुविधायें किस प्रकार की होंगी ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) से (ङ). क्रियान्वित होने वाली योजना का ब्योरा विचाराधीन है । मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिमी-जर्मनी के मैसर्स एग्फा वुल्फेन से चर्चा तथा पत्र-व्यवहार किया जा रहा है तथा कच्चे फिल्म तथा फोटो खींचने की सामग्री के भंडार के परीक्षण किये जा रहे हैं । जैसे ही चर्चा, पत्र-व्यवहार तथा परीक्षण समाप्त होंगे, उन पर निर्णय किये जायेंगे और पूरा विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

†**श्री राम कृष्ण** : कितने समय में सरकार निर्णय कर लेगी ?

†**श्री म० म० शाह** : अभी यह बताना संभव नहीं है । सम्भवतया तीन से छः मास लग जायेंगे ।

†**डा० रामा राव** : क्या यह सच है कि इस उद्योग के लिये पहले उटाकमंड की सिफारिश की गई थी तथा यदि हां, तो क्या अब वह विचाराधीन है ?

†**श्री म० म० शाह** : अभी तक स्थान का निर्णय नहीं किया गया है । उन्होंने लगभग नौ स्थानों को देखा ।

†**श्री श्रीमन्नारायण** : क्या इस सम्बन्ध में अन्य देशों की अन्य संस्थाओं से भी बातचीत की जा रही है ?

†**श्री म० म० शाह** : प्रारम्भ में हमने चार सार्थों से बातचीत की थी, परन्तु अब हमने पूर्वी-जर्मनी की एग्फा वुल्फेन से लगभग अन्तिम निर्णय कर लिया है ।

मिर्जा ग़ालिब का मकान

†*१०१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री ११ सितम्बर, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २००० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू तथा फारसी के कवि मिर्ज़ा ग़ालिब के मकान के संरक्षण तथा परिक्षण के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में प्राक्कलित परिव्यय क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) प्राचीन स्मारक तथा परिरक्षण अधिनियम १९०४ के अधीन संघ सरकार द्वारा देखभाल करने के लिये इस मकान को राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक घोषित न करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने किन कारणों से इसे एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया है और क्या यह राज्य सरकार के तत्वाधान में एक सुरक्षित स्मारक के रूप में रहेगा ?

†**डा० म० मो० दास** : हमने इस विशिष्ट स्थान और विशिष्ट भवन का निरीक्षण किया है । मूल भवन का बहुत कम अंश शेष है । भवन के लगभग सभी भाग बाद के निर्माणों द्वारा प्रतिस्थापित किये गये हैं और उसका कोई भी पुरातत्व सम्बन्धी या वास्तु-कला सम्बन्धी महत्व नहीं है । इसलिये सरकार ने इसे प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करने का निर्णय किया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जिस दल ने इस भवन का निरीक्षण किया था और जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि इसका कोई वास्तु-कला सम्बन्धी या अन्य किसी प्रकार का महत्व नहीं है उसके सदस्य कौन हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : पुरातत्व विभाग के निदेशक, शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और मैं ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या मैं जान सकता हूं कि केवल मिर्ज़ा ग़ालिब के मकान की ओर हमारा क्यों ध्यान आकर्षित होता है जब कि और बहुत से हिन्दी या दूसरी भाषाओं के बड़े-बड़े विद्वानों के मकान खंडहरों की हालत में हैं और क्या उनके मकानों की रक्षा की भी कोई व्यवस्था की जा रही है ?

†**डा० म० मो० दास** : इस सभा में कुछ प्रश्न पूछे गये थे और उस विशिष्ट भवन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या मैं जान सकता हूं कि वास्तु-कला सम्बन्धी रूपरेखा का एक महान कवि और उसकी स्मृति से क्या सम्बन्ध है, और क्या यह राष्ट्र के लिये अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों के लिये महान् कवियों की स्मृति को परिरक्षित रखा जाये ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद)** : मैं इसको ज़रा साफ़ कर दूं । हमारे सामने यह सवाल नहीं था कि मिर्ज़ा ग़ालिब की यादगार में कोई नई चीज़ बनाई जाये । जो सवाल पैदा हुआ था वह यह था कि मिर्ज़ा ग़ालिब की ज़िन्दगी के आखरी दिन जिस मकान में गुज़रे हैं उस मकान को महफूज़ कर दिया जाये बतौर उनकी यादगार के, उस मकान को देखा गया । हालत यह है कि कोई चीज़ अब उस में ऐसी बाकी नहीं है जिस से यह समझा जा सके कि उस वक्त मकान का रूप क्या था । बिल्कुल बदल गया है । बिल्कुल एक दूसरी चीज़ हो गई है, कोई एक दीवार भी उसकी बाकी नहीं रही है । अब महफ़ूज़ किया जाये तो किस चीज़ को किया जाय ? अब जो काम किया जा सकता है वह सिर्फ यह है कि वहां एक नया मकान बनाया जाय । जहां तक आर्केलाजिकल डिपार्टमेन्ट (पुरातत्व विभाग) का ताल्लुक है वह नई बिल्डिंग्स नहीं बनाता । उसका काम है पुरानी बिल्डिंगों की हिफ़ाजत करना । इसलिये इस सवाल से उसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता । अलबत्ता गवर्नमेंट इस बात पर ग़ौर कर सकती है । चुनांचे वह ग़ौर कर रही है ।

निःशुल्क वैध सहायता

†*१०२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन निर्धन व्यक्तियों पर ऐसे अपराधों के लिये मुकदमा चल रहा हो जिनके लिये कम से कम पांच वर्ष का दण्ड हो, उन्हें निशुल्क वैध सहायता देने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार मालूम किये गये थे; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों ने किस प्रकार के विचार प्रकट किये हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां, १९५० में और फिर १९५२ में।

(ख) राज्य सरकारों ने यह विचार प्रकट किया था कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण उनके लिये इस प्रकार की किसी योजना को आरम्भ करना सम्भव नहीं होगा।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सभी राज्य सरकारों ने अपने विचारों से सूचित किया था ?

†**श्री दातार** : राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हुए हैं और यह उनके विचारों का सार है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या केन्द्रीय सरकार का ऐसी किसी योजना के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है जिसके अधीन वह ऐसी राज्य सरकारों को प्रोत्साहन या आर्थिक सहायता देगी जो इस योजना को आरम्भ करेंगी ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न पर राज्य सरकारें ही विचार कर सकती हैं और यदि कुछ प्रार्थना की जानी है तो वह दूसरे पक्ष की ओर से प्राप्त होनी चाहिये, फिर भारत सरकार विचार करेगी।

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि क्या किसी राज्य में वैध सहायता समितियां गठित की गई हैं।

†**श्री दातार** : मेरे विचार से कुछ राज्यों में उन्हें गठित किया गया है, परन्तु अग्रेतर ब्योरा मेरे पास नहीं है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रयोजन के लिये इनमें से किसी राज्य में कुछ ग़ैर-सरकारी अभिकरणों को रखा गया है ?

†**श्री दातार** : इस प्रयोजन के लिये किसी ग़ैर-सरकारी अभिकरण को रखने की बात मुझे मालूम नहीं है, परन्तु भारत सरकार को बम्बई में एक संस्था से इस सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। वे उस मामले पर विचार कर रहे हैं। सरकार ने विधि आयोग की जांच के लिये यह प्रश्न उसे निर्दिष्ट किया है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या सरकार विभिन्न राज्यों के विधि-जीवी संघों को उसी प्रक्रिया की व्यवस्था करने के लिये लिखना चाहती है जो कि इंग्लैण्ड में है अर्थात् निर्धन व्यक्ति के लिये, जो कि बन्दी हो, न्यायालय में किसी विधिवक्ता द्वारा मुकदमे की जिम्मेदारी लेगा।

†**श्री दातार** : इस प्रक्रिया को राज्य सरकारें अपनायें तो अधिक अच्छा होगा।

अखिल भारतीय मादक-वस्तु सम्मेलन

†*१०३. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री भीखा भाई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९५६ में शिमला में एक अखिल भारतीय मादक-वस्तु सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किये गये मुख्य निर्णय क्या थे; और

(ग) क्या सरकार का सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने का प्रस्ताव है जिसमें वे निर्णय दिए गए हों ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) जी, हां । शिमला में २४ से २९ सितम्बर, १९५६ तक एक अखिल भारतीय मादक-वस्तु सम्मेलन हुआ था ।

(ख) तथा (ग). सम्मेलन द्वारा पारित संकल्पों की प्रतिलिपियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस–४५५/५६]**

हिन्दी टाइप-राइटरों का प्रमापीकरण

***१०४. श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री २६ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी टाइप-राइटरों के की-बोर्डों के प्रमापीकरण के लिये नियुक्त की गई विशेष समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) उस प्रतिवेदन पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस विषय के महत्व को गवर्नमेंट ने अभी तक ठीक तरह समझा नहीं है, या और कोई खास अड़चनें हैं जिनकी वजह से देरी होती जा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : गवर्नमेंट इसका महत्व अच्छी तरह समझती है, और इस बात का पूरा प्रयत्न किया गया कि जितनी जल्दी हो सके यह कमेटी अपना काम पूरा कर ले, लेकिन कुछ दिक्कतें थीं । दिक्कतें यह थीं कि कमेटी की यह कोशिश थी कि जहां तक हो सके दोनों तरह के न्यूमरल्स टाइप-राइटर पर आ सकें । इस की रिकमेन्डेशन्स करीब-करीब तैयार हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी ही गवर्नमेंट के सामने पेश की जायेंगी ।

श्री भक्त दर्शन : इस समाचार में कहां तक सत्यता है कि इस मामले म जो इतनी देरी हो रही है उसका कारण यह है कि कुछ फर्म्स को, जिन्होंने हिन्दी के टाइपराइटर पुराने ढंग से तैयार किये हैं, नुक्सान होने की आशंका ह, और इसलिये वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रही हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं था । कमेटी के सामने जो प्रश्न था वह यह था कि जहां तक हो सके दोनों तरह के अंक अर्थात् न्यूमरल्स उस टाइप-राइटर पर आ सकें, और इसीलिए उनको कई जगह जाना पड़ा और कई मैनुफक्चरिंग कंसर्न्स से मशविरा करना पड़ा ।

श्री भक्त दर्शन : कब तक इस बार में अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा की जा सकती है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : शीघ्र ही ।

डा० स० ना० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि खामखाह हिन्दी वर्ण पटल पर रोमन अंक क्यों लाये जा रहे हैं जब कि अंग्रजी वण पटल पर हिन्दी के अंक नहीं रखे जाते ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उस क सम्बन्ध में कांस्टिट्यूशन में हिदायतें हैं और कैबिनेट ने भी फैसला किया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब संविधान तैयार किया गया था तब अंकों के सम्बन्ध में कितना ही वाद-विवाद हुआ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

डा० स० ना० सिंह : क्या यह कांस्टिट्यूशन में है कि इसको लाज़िमी तौर पर रक्खा जाना है ?

विशेष पुनर्गठन एकक

*१०५. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'विशेष पुनर्गठन एकक' ने प्रत्येक मंत्रालय और उनके अधीनस्थ कार्यालयों क लिये कितनी राशि की वार्षिक कमी के लिये सिफारिश की थी और विभिन्न मंत्रालय कितनी कमी क लिये सहमत हो गये हैं;

(ख) विशेष पुनर्गठन एकक द्वारा वर्तमान कार्यालय प्रक्रिया के परिवर्तन तथा पुनर्गठन के बारे में की गई सिफारिशों पर मंत्रालयों ने क्या कार्यवाही की; और

(ग) क्या इस एकक द्वारा की गई सिफारिशों की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें आवश्यक सचना दी गई है। इसे देखने से पता चलेगा कि इन सिफारिशों का सम्बन्ध विस्तृत ब्योरे से है और वे कार्यप्रणाली और संगठन सम्बन्धी वर्तमान मामलों पर आधारित हैं। अभी इस एकक को दफ्तरों की कार्यप्रणाली के पुनर्गठन और संशोधन के बारे में सिफारिशें करनी हैं।

(ग) १२ सितम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२५ के उत्तर में सदन की मेज़ पर एक विवरण रखा गया था जिसमें एकक की उस समय तक की सिफारिशों का सारांश दिया गया था। बाद की सिफारिशों का सारांश अब सदन की मेज़ पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एस-४५६/५६]**

श्री खू० चं० सोधिया : विवरण से ज्ञात होता है कि हालांकि इसमें १ करोड़ ३५ लाख रुपये की घटी की सिफारिश की गई थी, लेकिन मिनिस्ट्रीज़ ने उसमें से सिर्फ ७६ लाख रुपये की घटी मंजूर की है। बाकी घटी क्यों मंजूर नहीं की गई, इसका कोई कारण है ?

श्री ब० रा० भगत : सरकारी विभागों ने यह कहा कि सैकेन्ड फाइव इअर प्लैन की वजह से काम में काफी वृद्धि हो गई है और जिस घटी की सिफारिश की गई थी उसे मंजूर करने से वह लाचार हैं।

श्री खू० चं० सोधिया : जो फाइव इयर प्लैन अब चल रही है उसमें जितने आदमी बढ़ाये जायेंगे, उन सबका वर्णन इस में है। उनके अलावा क्या कोई नहीं बढ़ाये जायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : जो स्टेटमेंट रखा गया है उस में सारा विवरण दिया गया है।

लोकप्रिय साहित्य को प्रोत्साहन

†*१०६. **श्री जठालाल जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की "लोकप्रिय साहित्य को प्रोत्साहन" योजना के अधीन पांच सर्वोत्तम पुस्तकों को अतिरिक्त पुरस्कार दिये जाने के लिये अग्रेतर चुनाव कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री जेठालाल जोशी** : इस लोकप्रिय साहित्य को उचित दाम पर पाठकों को प्राप्य बना कर और भी लोकप्रिय बनाने के लिये क्या सरकार की कोई योजना है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जिस योजना के सम्बन्ध में माननीय सदस्य पहिले ही प्रश्न पूछ चुके हैं, वही योजना है ।

†**श्री जेठालाल जोशी** : क्या हिन्दी को और समृद्ध बनाने के लिये, सरकार का इस साहित्य के हिन्दी में अनुवाद कराने का कोई प्रस्ताव है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह योजना लोकप्रिय साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिये है और हम विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में नवसाक्षरों के लिये पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं । इस प्रश्न पर बाद में विचार किया जा सकता है कि क्या इन सभी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया जा सकता है या नहीं ।

विश्व बैंक

†*१०९. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक के निदेशालय में भारतीय प्रतिनिधित्व क्या है; और

(ख) क्या इस निदेशालय की भारतीय भागिता के साथ नियमित बैठकें होती हैं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) बैंक के निदेशकों के बोर्ड में भारत का एक निदेशक है ।

(ख) जी, हां ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या मैं जान सकता हूं कि वित्त मंत्री को श्री ब्लैक के उस पत्र के मिलने से पहिले, जिसमें हमारी योजना की रूपरेखा की आलोचना की गई थी, विश्व बैंक निदेशालय द्वारा—या जो भी आप इसे कहते हैं—हमारे प्रतिनिधि से सलाह की गई थी और, यदि नहीं, तो क्या सरकार ने बैंक के अपने साधनों के द्वारा बैंक को यह स्पष्ट कर दिया था कि उस प्रकार के पत्र व्यवहार को हम संतोषजनक नहीं समझते हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : निदेशालय के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र के मन में कुछ भ्रान्ति है । बैंक का एक निदेशालय है जिसमें ६० देशों के प्रतिनिधि हैं और वर्ष में एक बार जिसकी बैठक होती है । निःसन्देह जिसे कार्यपालिका निदेशालय कहते हैं उसमें हमारा प्रतिनिधित्व भी है । सोलह देशों के कार्यपालक निदेशक हैं और क्योंकि हम उन ५ देशों में से एक हैं जो कार्यपालक निदेशकों को नियुक्त कर सकते हैं इसलिये वहां हमारा भी एक कायपालक निदेशक है ।

परन्तु माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उन्होंने जो जानकारी मांगी है उससे जो सुसंगत नहीं है, उसके सम्बन्ध में मेरे विचार में—मैं कह नहीं सकता कि क्या माननीय सदस्य ने स्वयं या किसी अन्य माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है—और जब उस अन्य प्रश्न का समय आयेगा तब सम्भवतः मैं अब उत्तर देने की अपेक्षा उस समय उस पत्र की ऊँच नीच पर विस्तृत रूप से उत्तर दे सकूंगा । परन्तु यदि अध्यक्ष महोदय यह चाहें कि मैं अभी उसका उत्तर दूं तो मैं अभी दे दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे बाद के समय के लिये सुरक्षित रखा जाय ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : स्थिति में अन्तर्विष्ट परिसीमाओं के होते हुए भी क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारी सरकार की यह देखने की इच्छा है—या क्या वह कम से कम यह देखने का प्रयत्न करेगी कि इस बैंक द्वारा विभिन्न देशों को जो बंटवारा किया जाता है वह महाद्वीपीय या सैद्धान्तिक विचारों के इस ओर या उस ओर प्रतिकूल प्रभाव के बिना किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जिस सीमा तक इस प्रकार के विचार या अन्य विचार, जिनके सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र के पास विस्तृत रूप से कुछ कहने का समय नहीं है, बैंक की, एक नए संगठन के रूप में, स्थिति पर आघट्टन नहीं होता है, उस सीमा तक हम इन विचारों द्वारा इन बंटवारों पर प्रभाव होने को रोकेंगे ।

†**श्री वेलायुधन** : जब भारत निदेशालय में है तो क्या मैं जान सकता हूं कि जब सभापति द्वारा भारत की आर्थिक नीति पर प्रभाव डालने वाले इस प्रकार के अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र पर विचार किया जा रहा था या निर्णय किया जा रहा था और सभापति द्वारा पत्र भेजा गया है क्या उन से सलाह नहीं की गई थी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह फिर वही प्रश्न है और मैं उस दिन तक अपना उत्तर नहीं देना चाहूंगा जब तक कि इस प्रश्न पर सम्भवतः अधिक विस्तार से विचार किया जा सकेगा ।

सैनिक अधिकारी का व्यवहार

†*११०. **श्री कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस सैनिक पदाधिकारी के व्यवहार के सम्बन्ध में जांच समाप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान उनके द्वारा ११ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १६३६ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है । मैं यह भी बता दूं कि सैनिक प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच से उस घटना के सम्बन्ध में केवल परस्पर विरोधी बयान ही प्राप्त हुए हैं । इस मामले के सम्बन्ध में आगे और कार्यवाही पुलिस के प्राधिकारियों पर निर्भर करती है क्योंकि उन्होंने अधिकारी के विरुद्ध मामले को ले लिया है ।

†**श्री कामत** : यदि मैं मंत्री जी का कथन ठीक समझा हूं तो उन्होंने मेरा ध्यान पिछले सत्र में उनके द्वारा दिये गये उत्तर की ओर दिलाने की कृपा की है । क्या मैं उससे यह समझ लूं अथवा सभा यह समझ लेवे कि इस मामले में उस समय से कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

†**श्री त्यागी** : रेलवे प्राधिकारियों ने उस अधिकारी के विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा १२१ के अधीन मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है । हम मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री कामत** : सैनिक अधिकारियों द्वारा की गई जांच का क्या हुआ है ?

†**श्री त्यागी** : हमें परस्पर विरोधी बयान मिले हैं । हमने रेलवे प्राधिकारियों को इस अधिकारी के विरुद्ध अभियोग चलाने की अनुमति दे दी है ।

†**श्री कामत** : क्या सैनिक अधिकारियों के बयानों में पारस्परिक विरोध है अथवा सेना और रेलवे प्राधिकारियों के बयान में विरोध है ?

†**श्री त्यागी** : रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्त बयान तथा अधिकारी के द्वारा प्राप्त बयान में विरोध है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : सैनिक अधिकारियों तथा यात्रियों के बीच में अधिकांश झगड़े होते रहते हैं; क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय तत्सम्बन्धी सैनिक अधिकारियों को ऐसे परिपत्र जारी करेगा कि वे भारत के नागरिकों की तरह व्यवहार करें ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं आदरपूर्वक निवेदन करता हूं कि प्रायः ऐसा नहीं होता है। सैनिक अधिकारियों के लिये इस प्रकार का सामान्य वक्तव्य देना न्यायपूर्ण नहीं है। सैनिक अधिकारी अच्छे प्रकार के लोग हैं। इस विशाल जनसमुदाय में कुछ लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हमने उन्हें बताया है कि हमारे सभी अधिकारियों को जनता के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिये। मेरे विचार से सामान्यतः ऐसा ही होता है।

†**श्री कामत** : क्या मैं एक अन्तिम प्रश्न पूछ सकता हूं। प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये दृष्टिकोण से सामान्यतः सहमत होते हुए भी क्या इसका आशय यह है कि सेना तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस विशेष मामले से पल्ला छुड़ा लिया है तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में प्रश्न रेलवे मंत्री से पूछे जायें प्रतिरक्षा मंत्री से नहीं ?

†**श्री त्यागी** : यह पुलिस की जांच का मामला है।

†**श्री कामत** : प्रश्न गृह-कार्य मंत्री से पूछे जाने चाहिये कि रेलवे मंत्री से पूछे जाने चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह काल्पनिक बात है। माननीय सदस्य प्रश्न पूछें। मैं स्वयं इसका निर्णय कर लूंगा।

संस्कृत आयोग

†*१११. **श्री ब० द० पांडे** :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत आयोग के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) इसे आवश्यक नहीं समझा गया।

†**श्री ब० द० पांडे** : उत्तर प्रदेश और बिहार के मामले को मान्यता क्यों नहीं दी गई। प्राचीन समय से संस्कृत के अध्ययन के केन्द्र होने के उपरान्त भी उन्हें आयोग में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : संस्कृत आयोग के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि प्रदेश अथवा भाषा के आधार पर चुनाव नहीं किया गया। चुनाव योग्यता और विद्वत्ता के आधार पर किया गया। इस मामले पर कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ है, इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने इस मामले को विधि मंत्रालय में भेजा था, उसने हमें यह सलाह दी कि इस मामले में राज्य सरकारों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। मैं माननीय मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ उदभट् विद्वान हैं। और वस्तुतः इस अन्तिम निश्चय के पूर्व हमने बनारस के पंडित गोपीनाथ, जो एक प्रसिद्ध विद्वान हैं, को लिखा था। किन्तु स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वह निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सके। स्वभावतः ही हमें दूसरे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ी जो उत्तरदायित्व का अधिक सन्तोषजनक तरीके से निर्वाह कर सके। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आयोग के गठन के सम्बन्ध में किसी राज्य के प्रति पक्षपात नहीं किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री रघुनाथ सिंह : काशी में संस्कृत के और भी विद्वान हैं, उनमें से किसी को भी आप आमंत्रण भेज सकते थे। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कम्पोज़िशन (गठन) का जहां तक सवाल है, वह समाप्त हो गई है। बात यह है कि अगर हम हर स्टेट में से आदमी लेते तो इसकी जो कम्पोज़िशन है वह करीब-करीब दुगनी हो जाती और इसके साथ ही काम करने की जो गति है वह भी उतनी नहीं हो पाती जितनी कि होनी चाहिये।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर (मुख्य मंत्री) के वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत दुःख की बात है बनारस अथवा बिहार से कोई विद्वान नहीं लिया गया है। यदि कहा गया है तो उस पर क्या एक्शन लिया गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, उन्होंने हमें लिखा भी था जिसका उत्तर दे दिया गया था। मुख्य मंत्री जी के लिये हमारे दिल में बड़ी श्रद्धा है और उन्होंने जो कुछ कहा था और जो सुझाव दिये थे उन पर विचार कर लिया गया था। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब कमीशन की नियुक्ति की गई थी तो वह किसी रीजन या भाषा के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर की गई थी।

श्री अलगू राय शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब भी उस कमीशन में दो-चार और आदमियों को लिया जाएगा और क्या ये आदमी शिक्षा के प्रधान केन्द्रों से चुने जायेंगे जैसे काशी है या पटना है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अब कमीशन में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती है।

इस्पात

†*११२. **श्री संगण्णा** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर कारखाने के 'ब्रिटिश स्टील कन्सोर्टियम' को इस्पात के विकास के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा दे दी गई है; और

(ख) क्या भिलाई और रूरकेला के कारखानों के गुटों को भी रूपरेखा दी गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). जी, नहीं।

भारतीय मुद्रा को चोरी-छिपे ले जाना

*११३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बाघ सीमा-शुल्क चौकी (कस्टम) पर अक्तूबर, १९५६ में एक पाकिस्तानी स्टाफ कार से १४,९०० रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद हुई थी ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) : सरकार को बर मिली है कि पाकिस्तान में बागाह सीमा-शुल्क चौकी पर २१ अक्तूबर, १९५६ को पाकिस्तानी सीमा-शुल्क कर्मचारियों ने एक पाकिस्तानी स्टाफ कार के औज़ारों के बक्स (टूल वक्स) में से १४,९०० भारतीय रुपये बरामद किये।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन पाकिस्तानियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अ० चं० गुह** : वह पाकिस्तान का एक उच्च अधिकारी है, तथा दोनों सरकारों के पारस्परिक समझौते के अनुसार उसकी इस ओर तलाशी लेने से विमुक्त कर दिया था। उन्होंने अपने सामान को स्वयं बताया और उनकी तलाशी नहीं की गई। पाकिस्तान में उनकी तलाशी हुई तथा उनका धन तथा कार पकड़ ली गई। मेरे विचार से हम इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या पाकिस्तान राष्ट्रीय विधान-सभा का सचिव भी इसी कार में यात्रा कर रहा था ?

†**श्री अ० चं० गुह** : जी, हां। वह पाकिस्तान के राष्ट्रीय विधान-सभा अथवा संसद् के अधिकारी थे।

भारी उद्योगों सम्बन्धी ब्रिटिश मिशन

†*११४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत आया हुआ ब्रिटेन का भारी इंजीनियरी मिशन किस प्रकार का कार्य करेगा;

(ख) मिशन का गठन किस प्रकार से है;

(ग) वे भारत में कब तक रहेंगे;

(घ) वे सरकार को कब तक प्रतिवेदन भेजेंगे; और

(ङ) मिशन किस प्रकार के समझौते के अधीन आया है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) से (ङ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३]**

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि इस मिशन का आयोजन ब्रिटिश उद्योग संघ तथा कोलम्बो योजना प्रशासन की ओर से किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि व्यय का कौन-सा भाग वे सहन करेंगे तथा कौन-सा भाग भारत वहन करेगा ?

†**श्री म० म० शाह** : मिशन के दौरों में हुए स्थानीय व्यय को छोड़ कर वस्तुतः सारा व्यय उन्हीं के द्वारा सहन किया जायेगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मिशन के ग्यारह व्यक्तियों में से, कितने व्यक्ति उद्योगपति हैं, कितने विशेषज्ञ हैं तथा कितने प्रशासक हैं ?

†**श्री म० म० शाह** : पांच व्यक्ति उद्योगपति हैं। दो प्रशासक हैं और चार विशेषज्ञ हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या अन्य देशों से भी ऐसे मिशनों को निमंत्रित किया गया है? यदि हां, तो कहां से ?

†**श्री म० म० शाह** : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, समय-समय पर इस देश में कई टेकनिकल तथा विशेषज्ञ प्रकार के मिशन आ रहे हैं।

†**श्री बंसल** : इस मामले में विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या सरकार को भारी उद्योगों के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये इस देश में भी कोई मिशन आया था ?

†**श्री म० म० शाह** : यदि प्रश्न केवल भारी इंजीनियरिंग से सम्बन्ध रखता है तो वर्तमान स्थिति यह है कि इस समय देश में दो मिशन हैं। एक ब्रिटेन का मिशन तथा दूसरा रूस का मिशन।

†मूल अंग्रेजी में।

रूसी मिशन इस्पात संयंत्रों का निर्माण करने की योजनाओं तथा स्थानों की सिफारिश का कार्य कर रहा है जब कि ब्रिटेन का मिशन मुख्यतः भारी इंजीनियरिंग की मशीनों से सम्बन्धित है।

छावनियों में गणराज्य दिवस तथा स्वतन्त्रता दिवस के समारोह

†*११५. **श्री शिवदत्त उपाध्याय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की छावनियां २६ जनवरी और १५ अगस्त को गणराज्य दिवस और स्वतन्त्रता दिवस के समारोहों के सम्बन्ध में कुछ रुपया अपनी निधि से व्यय कर सकती हैं जिनके लिये भारत सरकार समारोह के कुछ दिन पूर्व स्वीकृति दे देती है;

(ख) क्या रानीखेत की छावनी तथा भारत की अन्य छावनियों को, कई अनुस्मारक भेजने के पश्चात् भी, १५ अगस्त, १९५६ के पूर्व भारत सरकार ने ऐसी मंजूरी की सूचना नहीं भेजी; और

(ग) क्या सरकार ने मंजूरी का पत्र इतनी देर में भेजा था कि वह रानीखेत १५ अगस्त, १९५६, स्वतन्त्रता दिवस के कुछ दिन पश्चात् पहुंचा तथा समारोह पर कुछ राशि व्यय नहीं की जा सकी ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) स्वावलम्बी छावनियों को इन समारोहों के अवसर पर अपनी निधियों में से व्यय करने का प्राधिकार है। इसके लिये भारत सरकार द्वारा आवश्यक मंजूरी जारी कर दी जाती है। राज्य सहायता प्राप्त छावनियां इस व्यय को केवल जनता के चन्दों में से कर सकती हैं।

(ख) १५ अगस्त, १९५६ के समारोह को मनाने से पूर्व ही मंजूरी भेज दी गई थी तथा इस सम्बन्ध में कोई अनुस्मारक-पत्र प्राप्त नहीं हुए थे।

(ग) तत्सम्बन्धी सभी स्थानों और छावनियों के उप-निदेशकों को टेलीफोन द्वारा सरकारी मंजूरी दे दी गई थी जिनकी पुष्टि १३ अगस्त, १९५६ के एक पत्र द्वारा कर दी गई थी।

अभी तक रानीखेत के अतिरिक्त किसी अन्य छावनी से यह सूचना नहीं आई है कि वह समारोह में राशि इस आधार पर व्यय नहीं कर सकी कि आदेश विलम्ब से प्राप्त हुए।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने इस सुझाव पर विचार किया है कि भविष्य में इस तरह की दिक्कतें दूर करने के लिये सब कैन्टोनमेंट बोर्ड्ज़ को जेनरल अथारिटी (सामान्य प्राधिकार) दे दी जाये कि ऐसे अवसरों पर वे अपने फंड्ज़ से खर्च कर सकें और उनको ऊपर से स्वीकृति न लेनी पड़े ?

श्री त्यागी : इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि जब तक कोई मुस्तकिल फैसला न हो, तब तक सेंक्शन समय पर पहुंचती रहेगी।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि छावनियों में आदेश देर से भेजने के लिये उत्तरदायी कौन है ?

†**श्री त्यागी** : मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

भुगतान अन्तर

+

†*११७. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :
श्री बंसल : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम जिनके सम्बन्ध में १९५६ में भारत का भुगतान अन्तर अनुकूल है; और

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) भारत को (१) नौवहन (२) बीमें से कितनी अदृश्य आय हुई ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) १९५५-५६ में निम्नलिखित देशों के साथ भारत का भुगतान अन्तर अनुकूल रहा है :

आस्ट्रेलिया;
न्यूजीलैण्ड;
बर्मा;
श्रीलंका;
मलाया;
अदन;
इराक;
संयुक्त राज्य अमेरिका;
कनाडा;
फिलिपाइन्स;
नीदरलेंडस;
अफगानिस्तान;
ईरान;
साउदी अरब;
इथोपिया;
इन्डोनेसिया;
थाइलेंड;
अर्जेंटाइना;
चीन;
पोलैंड ।

(ख) १९५५-५६ में भारत की अदृश्य आय (१) परिवहन जिसमें नौवहन भी शामिल है २४·७ करोड़ रुपये; (२) बीमे से ४·३ करोड़ रुपये की आय हुई ।

†**सरदार इक़बाल सिंह** : क्या बीमे के राष्ट्रीयकरण होने के बाद से बीमे से होने वाली अदृश्य आय में काफी कमी हुई है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : जहां तक बीमे का सम्बन्ध है, केवल जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण हुआ है—सामान्य बीमें का नहीं—केवल तीन-चार छोटे समवायों को छोड़ कर जो हमें दूसरे जीवन बीमा समवायों के साथ विरासत में मिले हैं । मुझे सन्देह है कि इससे स्थिति में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आयेगा ।

†**श्री मात्तन** : भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि परिवहन से २४·७ करोड़ की आय हुई है । क्या वह आंकड़ों के विवरण देंगे ? उसमें नौवहन का कितना भाग है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : विवरण देने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बुद्ध-धर्म सम्बन्धी गोष्ठी

†*११८. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री शिवनजप्पा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा बुद्ध की २५००वीं परिनिर्वाण जयन्ती के सम्बन्ध में २६ नवम्बर, १९५६ को दिल्ली में बुद्ध-धर्म सम्बन्धी जिस गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, उसमें कितने विदेशी महानुभाव द्वारा भाग लेने की आशा है;

(ख) क्या सरकार ने उनके लिये देश में बौध केन्द्रों की यात्रा करने के सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध किया है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार के प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) लगभग ७० विदेशी विद्वानों द्वारा उस गोष्ठी में भाग लेने की आशा है।

(ख) जी, हां।

(ग) उन अतिथियों को एक विशेष गाड़ी से आगरा, सांची, सारनाथ, कुशीनगर, बौधगया, राजगिर तथा नालन्दा की यात्रा करायी जायेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत की ओर से उस गोष्ठी में कौन-कौन व्यक्ति भाग ले रहे हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : इस गोष्ठी में भाग लेने के लिये देश के १५ बुद्ध-धर्म के विद्वानों को आमन्त्रित किया गया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस गोष्ठी के लिये विषयों को पहले ही निश्चित कर लिया गया है अथवा उन्हें उस समय निश्चित किया जायेगा जब कि वह गोष्ठी होगी ?

†**डा० म० मो० दास** : गोष्ठी के विषय होंगे—बुद्ध-धर्म की कला, साहित्य तथा दर्शन के क्षत्रों में देन।

डा० स० ना० सिंह : आज के समाचारपत्रों में छपा है कि २३ तारीख को दलाई लामा कौलिम्पांग पहुंच रहे हैं। क्या उनको भी इस सिम्पोज़ियम में बुलाने की व्यवस्था की गई है ?

†**डा० म० मो० दास** : हमने चीन सरकार के द्वारा कई एक विद्वानों को बुलाया है जो कि बुद्ध-धर्म में विशेषज्ञ हैं। जहां तक इनका (दलाई लामा का) सम्बन्ध है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : इस यात्रा कार्यक्रम से नागार्जुन, कोंडा, अमरावती, एल्लोरा तथा अजन्ता को क्यों छोड़ दिया गया है ?

†**डा० म० मो० दास** : इन आमन्त्रित व्यक्तियों को दिखाने के लिये बुद्ध यात्रा सम्बन्धी जो स्थान चुने गये हैं, वे इस दृष्टि से चुने गये हैं कि उनका महात्मा बुद्ध के जीवन से कुछ न कुछ सम्बन्ध था। माननीय सदस्यों ने जिन स्थानों का उल्लेख किया है, उनका बुद्ध भगवान के जीवन से सम्भवतः कोई सम्बन्ध न था।

†**श्री कामत** : आगरा का बुद्ध भगवान के जीवन से क्या सम्बन्ध था ?

†**डा० म० मो० दास** : आगरे को इस विशेष दृष्टि से चुना गया है कि भारत में जो कोई भी विदेशी आता है, वह आगरा को देखना चाहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इण्डियन एलोमीनियम कम्पनी, लिमिटेड

†*११९. **श्री बंसल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन-भारतीय एलूमिनियम कम्पनी लिमिटेड की इस देश में नई पूंजी के एकत्र करने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) उसकी वर्तमान पूंजी के कितने प्रतिशत अंश कैनेडा के अंशधारियों के हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां।

(ख) साधारण अंशों के ८७·२ प्रतिशत अंश, और पूर्वाधिकार अंश सहित कुल प्रदत्त पूंजी के ६९·७ प्रतिशत अंश।

†**श्री बंसल** : इस नयी पूंजी का कितना भाग भारत में से ही निर्गमित किया जायगा और कितना भाग विदेशी अंशधारियों द्वारा जमा कराया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सर्व प्रथम नये अंश वर्तमान समन्यअंश धारियों को १:१ अनुपात में जारी किये जायेंगे, परन्तु एलोमोनियम मानट्रील एलोमीनियम लिमिटेड समवाय को नये अंशों का केवल ५० प्रतिशत भाग दिया जायेगा ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या इन्डियन एलोमीनियम लिमिटेड को कोई स्वीकृति देने से पूर्व सरकार ने स्कोदिज** की खोज तथा अलूमीनियम के उत्पादन के सम्बन्ध में योजना आयोग से कोई परामर्श लिया था ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : जी हां, एलूमीनियम जैसे सभी मुख्य उद्योगों के विस्तार के लिये योजना आयोग ही स्वीकृति देता है, और उसके बाद ही उन्हें उपयुक्त मंत्रालयों द्वारा आरम्भ किया जाता है।

†**श्री बंसल** : क्या सरकार ने उस समवाय की अंश निर्गमित करने तथा नयी पूंजी बढ़ाने की अनुमति देने के अतिरिक्त बहुत बड़ा ऋण भी दिया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जी, नहीं ।

†**डा० राम राव** : एलूमीनियम को सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित कर लेने के बाद भी सरकार ने उस समवाय को विस्तार की अनुमति क्यों दी है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : तिथियों का निश्चित करना बड़ा कठिन है। तथापि सरकारी क्षेत्र भी विकसित होगा ।

मैसूर में पिछड़ हुए वर्गों को छात्र-वृत्तियां

†*१२०. **श्री न० राचय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर के पिछड़े हुए वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले निर्धन विद्यार्थियों के कई आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं, क्योंकि केवल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत-सी जातियों को पिछड़ी हुए वर्गों के रूप में अभिस्वीकार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या छात्र-वृत्तियां उसी सूची के अनुसार दी जाती हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

**Bauxite.

(घ) क्या यह सच है कि सूची निहित बहुत से वर्गों ो छात्र-वृत्तियां नहीं दी जातीं क्योंकि वे बेचारे सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण प्रथम श्रेणी में पास नहीं हो सकते ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) तथा (घ). क्योंकि अन्य पिछड़े हुए वर्गों से छात्र-वृतियों के लिये जो आवेदन पत्र आये हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है, और सरकार के पास राशि सीमित सी है, इसलिये इस ग्रुप के अभ्यर्थियों का चुनाव, वर्ग की कुछ भी चिन्ता न करते हुए गुणों के आधार पर ही किया जाता है। छात्र-वृत्तियों की संख्या राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है, और उसी अभ्यंग के अन्दर ही वे छात्र-वृत्तियां गुणों के आधार पर दी जाती हैं ।

(ख) जी, हां। भारत सरकार की छात्र-वृत्तियों के बांटने के लिये अन्य पिछड़े हुए वर्गों के रूप में अभिस्वीकृत जातियों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस० ४५७/५६**]

(ग) जी, हां।

†**श्री न० राचय्या** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न जातियों से सम्बन्ध रखने वाले निर्धन तथा पात्र अभ्यर्थियों को छात्र-वृत्तियां नहीं मिल रही हैं, क्या सरकार निर्धनता के आधार पर इन छात्रवृत्तियों को बांटने की कोई नीति बनायेगी ?

†**डा० म० मो० दास** : हम तो यथासम्भव अधिक से अधिक छात्र-वृत्तियां देने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु हमारी कठिनाई धन की कमी के कारण है।

†**श्री न० राचय्या** : क्योंकि ये छात्र-वृत्तियां उचित समय पर नहीं मिलती हैं, क्या सरकार छात्र-वृत्तियां देने के लिये राज्य छात्र-वृत्ति बोर्ड स्थापित करेगी ताकि विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा होने से पहले ही छात्र-वृत्तियां प्राप्त हो जायें ?

†**डा० म० मो० दास** : क्योंकि छात्र-वृत्तियों के लिये आवेदनपत्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिये यह संभव नहीं है कि उनकी स्वीकृति एक दो मास में ही दे दी जाये। इस कठिनाई को दूर करने के लिये हमने भारत की विभिन्न संस्थाओं को लगभग २३ लाख रुपये बांट दिये हैं, और वह राशि उन विद्यार्थियों के लिये है ताकि छात्र-वृत्तियों के शीघ्रता से बांटे जाने में यदि देर हो जाये तो उन्हें कोई कष्ट न हो।

†**श्री तिम्मय्या** : वर्तमान परिस्थितियों में छात्र-वृत्तियां गुणों के आधार पर ही दी जाती हैं, और उसके परिणामस्वरूप पिछड़े हुए वर्गों के केवल एक दो सम्प्रदायों ने ही इन छात्र-वृत्तियों पर एकाधिकार जमा रखा है । क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि पिछड़े हुए वर्गों के प्रत्येक सम्प्रदाय के कुछ प्रतिशत विद्यार्थियों को इस योजना से अवश्य लाभ पहुंचे ?

†**डा० म० मो० दास** : देश की प्रत्येक जाति से अभ्यर्थियों को चुनना संभव नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चांदी शोधनशाला

†***८९. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चांदी शोधनशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में अक्तूबर, १९५६ के अन्त तक कितनी प्रगति हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) उस संयंत्र को किस दिन से चालू किया जायेगा ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) आवश्यक असैनिक इंजीनियरिंग काम पूरे हो चुके हैं और संयंत्र इस समय बन रहा है ।

(ख) उस संयंत्र के १९५७ के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है ।

भाद्रवती लोहा तथा इस्पात कर्मशाला

†***९०. श्री न० राचय्या** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाद्रवती लोहा तथा इस्पात कर्मशाला में सुधार करने के लिये अभी तक मैसूर सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) उस कारखाने से कितने उत्पादन की आशा है; और

(ग) उस कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग) तक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४]**

एक रुपये के नये नोट

†***९१. श्री साधन गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र ही एक रुपये के नये नोट जारी किये जाने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस प्रकार के कितने नोट जारी किये जायेंगे ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : (क) से (ग) एक रुपये के नोटों के नये क्रमांक जारी करने का काम १२ नवम्बर, १९५६ से शुरू हो गया है; उन नोटों पर क्रमांक उपसर्ग ४/०, ४/१, ४/२ आदि होंगे, और प्रत्येक क्रमांक उपसर्ग में दस लाख नोट हैं ।

हिन्दी विश्वज्ञान कोष

***९३. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी विश्वज्ञान कोष के संकलन-कार्य में शिथिलता आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : हिन्दी विश्वज्ञान कोष के संकलन का कार्य अभी तक शुरू ही नहीं किया गया है । इसलिये इस कार्य में शिथिलता आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

साहित्यिक कर्मशालायें

†***९७. श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवसाक्षर प्रौढ़ों के लिये लिखने की प्रविधि में लेखकों को प्रशिक्षण देने के लिये साहित्यिक कर्मशालायें खोलने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति की गई है और उन पर कितनी रकम खर्च की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५**]

अमेरिका में चुनाव

†***१०७. श्री विभूति मिश्र** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव को देखने के लिये एक प्रेक्षक भेजा था ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : जी, नहीं।

आम चुनाव

†***१०८.** { **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाबू रामनारायण सिंह :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले आम चुनावों के सम्बन्ध में मतदान स्थानों और स्टेशनों की स्थिति में परिवर्तन करने के लिये चुनाव आयोग द्वारा कौन से निदेश निर्गमित किए गए हैं, और

(ख) उन्हें कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) इस मामले में चुनाव आयोग की हिदायतें उनके दिनांक २७ अक्तूबर, १९५५ के परिपत्र संख्या ६४/५५/१२५०८ में दी गई है, उसकी एक प्रति-लिपि सभा-पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६**]

(ख) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में आदेश प्रख्यापित होने और निर्वाचक पदाधिकारियों की नियुक्ति के तुरन्त ही बाद मतदान स्थानों की सूचियों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

आन्ध्र में अनुसूचित आदिम जातियां

†***११६. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित (पहाड़ी) आदिम जातियों के रेशम-कृमि-पालन उद्योग में पुनर्वास के लिये कोई योजनायें प्रस्तुत की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी शब्द कोष

***१२१. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक अंग्रेजी-हिन्दी और एक हिन्दी-अंग्रेजी शब्द-कोष के संकलन कार्य में अभी तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी ने, जिसे अंग्रेजी-हिन्दी शब्द-कोष तैयार करने का काम सौंपा गया है, "ए" से "एफ" तक के अक्षरों का काम समाप्त कर लिया ह। विचार है कि इस शब्द-कोष का काम पूरा हो जाने के बाद हिन्दी-अंग्रेजी शब्द-कोष बनाने का काम आरम्भ किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इस्पात संयंत्र

†*१२२. **डा० रामा राव :**
श्री बंसल :
श्री त० ब० विट्ठलराव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सै० वें० रामस्वामी :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें रूढ़केला, भिलाई तथा दुर्गापुर में तीन इस्पात संयंत्रों को लगाने के मामले में की गई प्रगति का वर्णन हो ?

†**वित्त, लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७]**

आय-कर सम्बन्धी मामले

†*१२३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर के उन मामलों के सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा चुकी है जिनका आय-कर जांच आयोग द्वारा निबटारा किया गया था और जिन्हें उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय द्वारा संविधान के अनुच्छेद १४ का विलंघन करने के कारण शून्य घोषित किया गया था; और

(ख) आयोग के अधिकारों पर निर्णय का क्या प्रभाव हुआ था ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) इन मामलों पर अब आय-कर अधिनियम की धारा ३४ के अधीन विचार किया जा रहा है जिसे इस प्रयोजन के लिये उचित रूप से संशोधित किया गया है ।

(ख) निर्णय की तिथि पर आयोग के पास जो मामले लम्बित थे वह उन पर अग्रेतर जांच का कार्य नहीं कर सका ।

बम्बई के निकट तल के लिये छिद्र करना

†*१२४. **श्री डाभी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १७ अगस्त, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ११९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई क निकट (केरा ज़िला) चुने हुए स्थानों पर तैल ढूंढ़ने के लिये संरचना सम्बन्धी छिद्र करने का कार्य अब आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब प्रारम्भ किया जायगा ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) कम्ब क्षेत्र में भू-तत्वीय और भू-भौतिकीय सम्बन्धी अग्रेतर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और उपरोक्त न्यास के विश्लषण के पश्चात् सरंचना सम्बन्धी छिद्र करने का कार्य प्रारम्भ किया जायगा ।

मतदान-पत्र

†*१२५. **श्री गिडवानी :**
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **विधि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) क्या राज्य विधान-सभाओं और लोक-सभा के आगामी निर्वाचनों के लिये मतदान-पत्र छप चुके हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो क्या सुनिश्चित किया गया है कि राज्य विधान सभाओं के लिये जो मतदान-पत्र होंगे वे लोक-सभा के मतदान पत्र से बिल्कुल विभिन्न होंगे ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) जी, नहीं; परन्तु चुनाव आयोग ने मतदान-पत्र के छापने तथा वर्ष के अन्त तक उन्हें सभी राज्यों को देने का प्रबन्ध किया है ।

(ख) जी, हां ।

अन्दमान द्वीपसमूह का उपनिवेशन

†*१२६. **श्री वेलायुधन**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के अन्दमान में उपनिवेशियों को, आवास, कृषि उपजीविका आदि सम्बन्धी आश्वासित सुविधायें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) केरल राज्य के उपनिवेशियों को आवास कृषि आदि से सम्बन्धित आश्वासित सुविधायें, उपनिवेशन योजना के अधीन जिस प्रकार वे ग्राह्य हैं, दी गई हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में नैसर्गिक गैस

†*१२७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इक़बाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में नैसर्गिक गैस पाई गई है; और

(ख) क्या वहां एक गैस टरबाइन जनरेटर स्थापित किये जाने की संभावना है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) पंजाब प्रदेश में तीन स्थानों, अर्थात् ज्वालामुखी, बाहल और नूरपुर में नैसर्गिक गैस का होना मालूम है ।

(ख) छिद्र करने के कार्य और तदुपरान्त अनुसन्धान द्वारा पूर्ण रूप से गैस निक्षेप का स्वरूप मालूम होने के बाद ही नैसर्गिक गस के उपयोग के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

छावनियों का पुनर्गठन

†१२८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १३ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंढौर और बनारस की छावनियों के पुनर्गठन के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित निर्णयों की प्रतियां पटल पर रखी जायेंगी ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख). दोनों छावनियों की स्थिति यह है :

१. बनारस—अन्तिम निर्णय किया गया है कि इस छावनी को रख लिया जाये । किन्तु वर्तमान छावनी से कुछ क्षेत्रों को निकाल देने का विचार है और इस बारे में आवश्यक कार्यवाहियां पूरी की जा रही हैं;

†मूल अंग्रेजी में ।

२. लंढौर—इस छावनी को रख लेने के बारे में या इस के विरुद्ध अन्तिम निर्णय, यह पता लगाने के पश्चात् किये जाने पर विचार है इस कि छावनी की सरकारी इमारतें किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये या सरकार के किसी दूसरे मंत्रालय द्वारा, उपयोग में आ सकती हैं।

अस्थिरवासी आदिम जातियों का मतदाताओं के रूप में पंजीयन

†*१२९. **श्री भीखा भाई** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्थिरवासी आदिम जातियों के व्यक्तियों, जैसे कि गुज्जर, बंजारा, सांभी, नट, कंजर को मतदाताओं के रूप में पंजीबद्ध करने के लिये क्या कोई अर्थोपाय प्रकल्पित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में मुख्य निर्वाचक पदाधिकारियों को जो पत्र लिखे हैं क्या उनकी प्रतिलिपियां सरकार सभा-पटल पर रखेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की जायेंगी ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) जी, नहीं। अस्थिरवासी आदिम जातियों के व्यक्तियों को विधि के अधीन पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता है क्योंकि जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० की धारा १९ और २० के अन्तर्गत उनका निवास सम्बन्धी कोई साधारण स्थान भी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए इस मामले में कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

प्रतिरक्षा संस्थाओं में हड़ताल

†*१३०. **श्री जेठा लाल जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले सितम्बर में पूना में और अन्य स्थानों पर प्रतिरक्षा संस्थापनाओं के असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी; और

(ख) हड़ताल में कुल कितने कर्मचारियों ने भाग लिया था और उत्पादन पर उसका क्या प्रभाव हुआ था ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी, हां, पूना और अन्य स्थानों पर कुछ प्रतिरक्षा संस्थापनाओं में हुई थी।

(ख) हड़ताल करने वाले श्रमिकों की संख्या प्रतिदिन विभिन्न होती थी। कई संस्थापनाओं में हड़तालियों द्वारा धरना दिये जाने के कारण बहुत से श्रमिकों को काम पर आने से रोक दिया गया था। स्वभावतः हड़ताल की अवधि में उत्पादन पर प्रभाव हुआ था।

राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय

†*१३१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय की महिला पदाधिकारियों के लिये वर्दी के विनियम में उन्हें कोई छूट दी है, और

(ख) यदि हां, तो अब निर्धारित वर्दी क्या है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी, हां, केवल जहां तक भोजनशाला की वर्दी का सम्बन्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) भोजनशाला की निर्धारित वर्दी अब सफ़ेद साड़ी जिस पर लाल रंग का छोटा फीता हो, लाल रंग की कुरती और सफ़ेद जूते या सफ़ेद सैन्डल है ।

भूकम्प

*१३२. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री बुचिकोट्टय्या :
श्री भीखा भाई :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५६ के द्वितीय सप्ताह में उत्तरी भारत में दो बार भूकम्प आया; और

(ख) यदि हां, तो इन भूकम्पों का क्या कारण था और इनका क्या प्रभाव हुआ ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली, बुलन्दशहर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में भूकम्प के जो धक्के लगे, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग उनकी किस्म तथा कारणों की खोज कर रहा है ।

इन खोजों की रिपोर्ट जब प्राप्त होगी, सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

नियमों का बनाना

†*१३३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) जो अधिनियम १९५६ की धारा १६ को उपधारा (२) में की गई कल्पना के अनुसार नियमतः वह ढंग और प्रक्रिया निर्धारित की है जिसका उस धारा के अधीन नियुक्त प्राधिकारी अपने कृत्यों को पूरा करते समय अनुसरण करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार बनाये गये नियमों का स्वरूप क्या है ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) जी, हां ।

(ख) बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६ की धारा १६ (२) के अधीन जो नियम बनाये गये हैं उनकी एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या ४५८/५६]**

पुर्तगाली बस्तियों के विरुद्ध विनिमय नियंत्रण

†*१३४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पुर्तगाली बस्तियों के विरुद्ध विनिमय नियंत्रण को कड़ा करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(ख) क्या बैंकों के साधनों द्वारा रुपया भेजे जाने पर नियंत्रण किया गया है; और

(ग) इस नियंत्रण का क्या प्रभाव हुआ है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). इस समय भारत से पुर्तगाली बस्तियों को वस्तुतः कोई रुपया नहीं भेजा जाता है क्योंकि बैंक द्वारा प्रेषण, मनी आर्डर, नोटों, सिक्कों और सोने का डाक द्वारा भेजा जाने इत्यादि पर एक वर्ष से अधिक समय से रोक लगा दी गई है। अब पुर्तगाली बस्तियों को जाने वालों को भी अपने साथ कोई मुद्रा ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आर्थिक विकास के लिए विशेष संयुक्त राष्ट्रीय निधि

†*१३५. {श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आर्थिक विकास के लिये विशेष संयुक्त राष्ट्रीय निधि की संरचना के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, नहीं ;

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पश्चिमी बंगाल की सीमा का निर्धारण

†*१३६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री पूर्निया तथा पुरुलिया ज़िले के प्रत्येक प्रभावित पुलिस स्टेशनों के सम्बन्ध में पृथक-पृथक् आंकड़े देते हुए यह दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधयक, १९५६ के अन्तर्गत कुल कितनी जनसंख्या और कौन-कौन से क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तान्तरित किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : सम्बन्धित आंकड़े को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८**] जहां तक पुरुलिया उप-ज़िले का सम्बन्ध है, ये आंकड़े सन् १९५१ की जन-गणना प्रतिवदन से लिये गये हैं, तथा पूर्दिया ज़िले के भागों के सम्बन्ध में यह आंकड़े श्री विश्वनाथन के प्रतिवेदन से, जिन्हें कि अधिनियम की धारा ३ (१) (क) के अन्तर्गत बिहार और बंगाल की सीमा-रेखा के निर्धारण के लिये नियुक्त किया गया था, लिये गये हैं ।

केरल राज्य

†७७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ नवम्बर, १९५६ को केरल राज्य की अस्तियों तथा दायित्वों की कुल प्राक्कलित राशियां कितनी-कितनी थीं, और

(ख) केरल राज्य में १९५५-५६ में इन मदों के अन्तर्गत कुल प्राक्कलित राशि कितनी थी तथा कुल प्राप्त राजस्व में उनकी क्या प्रतिशतता थी :

(१) केन्द्री और राज्य सरकारों के मध्य अंशदान तथा विधि समायोजन,
(२) कर तथा शुल्क;
(३) राज्य उत्पादन शुल्क;
(४) वन;
(५) असैनिक प्रशासन;
(६) स्टाम्प;
(७) भू राजस्व; और
(८) आय की अन्य मदें ।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) उपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) पूछे गये आंकड़े नहीं दिये जा सकते क्योंकि सन् १९५५-५६ में केरल राज्य का अस्तित्व ही नहीं था ।

केरल राज्य में व्यय

†७८. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य का कुल पुनरीक्षित प्राक्कलित व्यय क्या है तथा इन मदों में सन् १९५५-५६ के अन्तर्गत कुल व्यय की प्रतिशतता क्या है :—

(१) सामान्य प्रशासन;
(२) पुलिस;
(३) चिकित्सा;
(४) सहकारिता;
(५) कृषि;
(६) लोक स्वास्थ्य;
(७) उद्योग;
(८) शिक्षा; और
(९) सिंचाई ।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : केरल राज्य के सम्बन्ध में सन् १९५५-५६ के कोई पुनरीक्षित आंकड़े नहीं दिये जा सकते क्योंकि सन् १९५५-५६ में यह राज्य अस्तित्व में ही नहीं था ।

प्राइवेट कालेज

†*७९. **श्री वें० प० नायर** :
श्री पुन्नूस :

क्या **शिक्षा** मंत्री १७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा-पटल पर प्राइवेट कालिजों में दाखिला ढूंढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा दिये गये दान के सम्बन्ध में अब तक प्राप्त सूचना को बताने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : अब तक प्राप्त सूचना से यह पता चलता है कि जब कि सन् १९५२-५३ से १९५५-५६ तक भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य में प्राइवेट कालिजों में दाखिले के समय विद्यार्थियों से कोई दान नहीं लिया गया था, एक कालिज को १९५६-५७ में बी० एस० सी० जूआलोजी मेन (केमिस्ट्री सब्सीडियरी) में दाखिले के लिये ४८ विद्यार्थियों से ३,००० रुपये दान के रुप में प्राप्त हुए थे ।

सोना

†८०. **श्री वें० प० नायर** :
श्री पुन्नूस :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १७ अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वैनाड तथा मलाबार ज़िलों में सोना, स्फटिक तथा भक्षिका की उपलब्धता का ब्योरा; और

(ख) वहां किये जाने वाले प्रस्तावित काम का ब्योरा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९**] भारतीय भू-तत्वीय परिमाप विभाग का विचार मलाबार जिले में सन् १९५६-५७ में नियमित रूप से नकशा बनाने का काम जारी रखने का है।

प्रतिरक्षा सेवाओं के वैज्ञानिकों का बोर्ड इत्यादि

†८१. **श्री रामकृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री प्रतिरक्षा मंत्रालय को समस्त वैज्ञानिक मामलों में परामर्श देने वाले वैज्ञानिकों के बोर्ड के सदस्यों तथा तीनों सेवाओं के वरिष्ट पदाधिकारियों के नामों और उत्संज्ञाओं को बताने की कृपा करेंगे ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : प्रतिरक्षा मंत्रालय को समस्त महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मामलों पर प्रतिरक्षा वैज्ञानिक नीति बोर्ड तथा प्रतिरक्षा वैज्ञानिक मंत्रणा समिति द्वारा परामर्श दिया जाता है। उनकी संरचना को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०**]

पैप्सू में ऐच्छिक शिक्षण संस्थायें

†८२. **श्री रामकृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैप्सू राज्य में जो ऐच्छिक संस्थायें शिक्षा सम्बन्धी कार्य कर रही हैं उनको १९५५-५६ में कितनी सहायता दी गई है और उन संस्थाओं के क्या नाम हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में पैप्सू सरकार ने किन संस्थाओं की सिफारिश की है; और

(ग) १९५६-५७ के लिये क्या कार्यक्रम है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : (क) १,२४,६१८ रुपये।

(१) महात्मा हंसराज हाई स्कूल, भटिण्डा।
(२) गांधी स्मारक हाई स्कूल, गोकुलपुर।
(३) श्री विश्वकर्मा पोलीटैक्निक इन्स्टीट्यूट, फगवाड़ा, जो रामगढ़िया शिक्षा संस्था द्वारा चलाया जाता है।

(ख) (१) महात्मा हंसराज हाई स्कूल, भटिण्डा।
(२) गांधी स्मारक हाई स्कूल, गोकुलपुर।
(३) रामगढ़िया शिक्षा संस्था, फगवाड़ा।
(४) ए० एस० डी० बुनियादी ट्रेनिंग कालिज, नारनौल।
(५) पटियाला प्रविधिक (टैक्नीकल) शिक्षा प्रन्यास।

(ग) पटियाला में थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिक की संस्था की स्थापना के लिये पटियाला टैक्नीकल (प्रविधिक) शिक्षा प्रन्यास की योजना अखिल-भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् की सहयोजना समिति द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, जिस पर कालिज की इमारतों और सामान आदि पर अनावर्तक व्यय ३७,६५,१०० रुपये है, और विद्यार्थियों के होस्टलों पर ७,७०,००० रुपये व्यय होने का अनुमान है। परिषद् ने सिफारिश की है कि योजना के अनुमानित अनावर्त्तक व्यय का आधा भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में दिया जाये और होस्टलों की पूरी लागत के लिये सूद रहित ऋण दे। केन्द्रीय सहायक अनुदान और ऋण देने का प्रश्न विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सन् १९५६-५७ के दूसरे कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा और पूर्व-प्राथमिक तथा बुनियादी और समाज शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली ऐच्छिक शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने का उपबन्ध सम्मिलित है। राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त हुई प्रस्थापनाओं पर समुचित विचार किया जायेगा।

आय-कर विभाग

†८३. **श्री रामकृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर विभाग में २,००० रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) १५० रुपये प्रति मास से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) ८;

(ख) ११,२३४।

फुटबाल

†८४. { **श्री रामकृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में फुटबाल की उन्नति करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : (क) जी, हां।

(ख) फुटबाल सम्बन्धी प्रशिक्षण देने की एक योजना आरम्भ की गई है और फुटबाल का पहला अखिल-भारतीय प्रशिक्षण शिविर दिसम्बर, १९५५ में हैदराबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों राज्य शिक्षा विभागों के ३२ माननिर्देशित व्यक्तियों ने भाग लिया था। शीघ्र ही दूसरा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का विचार है।

भू-तत्वीय सर्वेक्षण

†८५. **श्री ब० ये० रेड्डी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करीम नगर ज़िले का भू-तत्वीय सर्वेक्षण अभी तक किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१]**

गोआ में भारतीय मतदाता

†८६. **श्री कामत** : क्या **विधि** मंत्री ११ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में बन्दी किये गये या नजरबन्द किये गये भारतीय राष्ट्रजनों को मतदाताओं के रूप में पंजीबद्ध करने की सुविधा देने के प्रश्न के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मामला विचाराधीन है। तथापि लोक-प्रतिनिधान (तृतीय संशोधन) विधेयक सम्बन्धी वाद-विवाद के दौरान में ७ सितम्बर, १९५६ को विधि-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

राज्य बैंक की शाखायें

†८७. **श्री कामत** : क्या **वित्त** मंत्री २५ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १४४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अक्तूबर, १९५६ को नरसिंहपुर एक पृथक् ज़िला बना दिया गया था;

(ख) उस ज़िले में भारत के राज्य बैंक के कौन से भुगतान-कार्यालयों और उप-भुगतान कार्यालयों को ऊंचे स्तर का बनाया जा रहा है; और

(ग) किस तारीख से ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां।

(ख) नवनिर्मित नरसिंहपुर ज़िले में स्थित गाडरवाड़ा और नरसिंहपुर भुगतान् कार्यालयों को शाखा कार्यालय बनाया जा रहा है।

(ग) नरसिंहपुर शाखा को चालू वर्ष की समाप्ति से पहले खोलने का विचार है। गाडरवाड़ा शाखा क जून, १९५७ से पहले खोले जाने की सम्भावना नहीं है।

अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण योजना

†८८. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८९३ क सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेतूल, होशंगाबाद और छिन्दवाड़ा ज़िलों की अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी योजनायें मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). मध्य प्रदेश की दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित आदिम जातियों की कल्याण योजनाओं का ज़िलावार ब्योरा नहीं दिया गया है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना से ऐसा प्रतीत होता है कि होशंगाबाद ज़िले के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई है, क्योंकि यह अनुसूचित क्षेत्र से बाहर है। बेतूल और छिन्दवाड़ा ज़िलों में जो कल्याण योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं उन्हें दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**दखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२**]। चालू वित्तीय वर्ष का कार्य-क्रम अभी राज्य सरकार से प्राप्त होना है।

अनुसूचित जातियों के लिये मकान

†८९. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से अनुसूचित जातियों के लिये मकानों के निर्माण पर खर्च हुई राशि के बारे में कोई अग्रेतर सूचना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों के लिये २६ मकानों के निर्माण पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खर्च की गई ४,८९१ रुपये की राशि के अतिरिक्त, जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या १५९४ के उत्तर में बताया गया था, १७,६०० रुपये की एक राशि १९५५-५६ में अनुसूचित जातियों के लिये और ७३ मकानों के निर्माण पर खर्च की गई थी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन शाम को लगने वाली कक्षायें

९०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन सायंकाल को लगाई जाने वाली कक्षाओं के शुरू करने के बारे में क्या इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ये कक्षायें कहां लगेंगी और इनमें पढ़ाई कब से आरम्भ हो जायेगी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लाहौल और स्पिती का विकास

†९१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने १९५६-५७ में अब तक लाहौल और स्पिती के विकास के लिये क्या कार्रवाइयां की हैं; और

(ख) इस वर्ष में अब तक विकास योजनाओं पर कुल कितना खर्च किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) लाहौल और स्पिति क्षेत्रों में १९५६-५७ में कार्यान्विति के लिये मंजूर की गई योजनाओं के दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३**]

(ख) पंजाब सरकार द्वारा अब तक किये गये वास्तविक खर्च के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

चोरी-छिपे माल ले जाना

†९२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में अब तक भारत-पाकिस्तान और गोआ सीमाओं पर चोरी-छिपे माल ले जाने वाले कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : १९५६ में (३० सितम्बर, १९५६ तक) भारत-पाकिस्तान और गोआ सीमाओं पर चोरी-छिपे माल ले जाने वाले ४७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

†९३. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को अब तक (वर्षवार) पुनर्वास वित्त प्रशासन के द्वारा कितना ऋण बांटा गया था;

(ख) अब तक कितना ऋण वापस लौटाया जा चुका है;

(ग) क्या कुछ ऐसे मामलों का भी पता लगा है जिनमें कि ऋणों के वसूल होने की कम आशा है; और

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) अब तक प्रशासन के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को कितना ऋण दिया गया है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : सूचना नीचे दी जाती है :–

(क) वर्ष		बांटी गई राशि (लाख रुपयों में)
१९४८		७·६०
१९४९		१०१·४७
१९५०		७०·७१
१९५१	...	११७·१५
१९५२	...	१०१·७०
१९५३		१४९·७७
१९५४		११८·१६
१९५५		३८·६४
१९५६ (३० सितम्बर, १९५६ तक)	...	८·२३
	कुल :	७१३·४३ रुपये

(ख) ७८·७४ लाख रुपये (पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों से ३१ अगस्त, १९५६ तक) ।

(ग) हो सकता है कुछ मामलों में पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये गये ऋण अन्ततः वसूल न होंगे । इस समय ऐसे अप्राप्य ऋणों की राशि का कोई अनुमान नहीं है, क्यों कि ऋण लेने वालों और प्रत्याभूति देने वालों से वसूल करने के पुनर्वास वित्त प्रशासन तरीके अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं । तथापि नियंत्रक महा-लेखा-परीक्षक की सलाह से १९५५ के अन्त तक पुनर्वास वित्त प्रशासन के लेखाओं में ८८,८८,५०० रुपये के अप्राप्य और सन्दिग्ध ऋणों का उपबन्ध किया गया है ।

(घ) ३० सितम्बर, १९५६ तक ३१९·१६ लाख रुपये ।

डनलप रबड़ कम्पनी

†९४. **श्री का० सु० राव** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डनलप रबड़ कम्पनी को टायर और ट्यूब बनाने के लिये मद्रास में एक नया कारखाना स्थापित करने का लाइसेंस दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस फर्म विशेष को लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जी, हां । यह फर्म मोटर और साइकिल के टायर बनायेगी ।

(ख) यह लाइसेंस सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेंस देने वाली समिति की सिफारिश पर स्वीकृत किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आदमपुर हवाई अड्डा

†**९५. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदमपुर में हवाई अड्डा बनवाने के लिये कृषकों से कितनी भूमि प्राप्त की गई है;

(ख) कितना प्रतिकर दिया गया;

(ग) अब तक कितने कृषकों को प्रतिकर दिया जा चुका है;

(घ) कितने कृषकों को प्रतिकर बिल्कुल नहीं दिया गया है; और

(ङ) इन कृषकों के प्रतिकर के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक प्रतिकर दिये जाने की सम्भावना है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) आदमपुर में हवाई अड्डे के लिये अभी तक कोई भूमि प्राप्त नहीं की गई है किन्तु जितनी भूमि इस समय प्राप्त की जाने वाली है उसमें से लगभग २९८ एकड़ भूमि प्राप्त करने का विचार है।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सांस्कृतिक शिष्ट-मण्डल

†**९६. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री २७ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा १९५५ में विदेश भेजे गये सांस्कृतिक शिष्ट-मण्डलों ने किन-किन स्थानों का दौरा किया; और

(ख) उन देशों में वे कितने दिन तक ठहरे ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (श्री आज़ाद) :** (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**दखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४**]

पंजाब के पहाड़ी जिलों में बंजारे

†**९७. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य के पहाड़ी ज़िलों की बंजारों की संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** १९५१ की जनगणना में अलग-अलग जातियों और आदिम जातियों की विस्तृत गणना और तालिका नहीं तैयार की गई थी। केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का वर्गीकरण किया गया था और उनकी कुल संख्या जोड़ ली गई थी। १९५१ की जनगणना में पंजाब के पहाड़ी जिलों के बंजारों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

निवृत्ति वेतन के मामले

†**९८. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ७ सितम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी कर्मचारियों के निवृत्ति वेतन के मामलों पर, जो १९४७ में सेवा निवृत्त हो गये थे, तब से अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन मामलों पर अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). पहले वाले प्रश्न के दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में वांछित जानकारी विभिन्न मंत्रालयों आदि से मांगी गई है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लेखकों आदि को भत्ते

९९. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक संकट में पड़े हुए लेखकों और कलाकारों को मासिक भत्ता देने के लिये उनका चुनाव करने हेतु क्या कोई समिति नियुक्त कर दी गई है या की जा रही है अथवा क्या उनका चुनाव मंत्रालय स्वयं कर लेता है; और

(ख) यदि कोई समिति है तो उसके सदस्यों के क्या नाम हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना करने में दरिद्र तथा श्रेष्ठ लेखक और कलाकार आदि स्वतन्त्र हैं और उनके प्रार्थना-पत्रों का निरीक्षण शिक्षा-मंत्रालय में किया जाता है । मंत्री-मण्डल की एक उपसमिति, जो कि इस कार्य की देखभाल करती है, मामलों का अन्तिम निर्णय करती है ।

(ख) माननीय प्रधान मंत्री, शिक्षा मंत्री, तथा वित्त मंत्री इस उपसमिति के सदस्य हैं ।

त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के मामले

†१००. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के ज़िला और सैशन जज द्वारा जनवरी, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक भ्रष्टाचार और सरकारी निधियों के गबन सम्बन्धी कितने मामलों की सुनवाई की गई थी;

(ख) इन मामलों में कितने सरकारी कर्मचारी अन्तर्ग्रसित हैं; और

(ग) कितने लोग दोषी ठहराये गये, बरी किए गये अथवा मुक़दमे खारिज किये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) भ्रष्टाचार के ४ मामले । गबन का कोई मामला नहीं ।

(ख) ३ ।

(ग) १ दोषी सिद्ध ठहराया गया ।

३ बरी किये गये ।

भू-तत्वीय सर्वेक्षण

†१०१. **श्री वें० शिवा राय** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कनारा का कोई भू-तत्वीय सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष में ज़िले का गम्भीर भू-तत्वीय अध्ययन करने का कोई व्यवस्था है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री क० दे० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । १९५६-५७ में दक्षिण कनारा में भारत के भू-तत्वीय परिमाप द्वारा किये जाने वाले भू-तत्वीय जांच-पड़ताल की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । [**दखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५**]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जम्मू तथा काश्मीर में खनिज पदार्थ

†१०२. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर में खनिज पदार्थों की खोज के लिये कोई कार्य-क्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) मांगी गई जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]**

बुनियादी और सामाजिक शिक्षा

†१०३. { **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य को बुनियादी और सामाजिक शिक्षा के संवर्धन के लिये १९५५-५६ और १९५६-५७ में अब तक कितनी राशि अनुदान में दी गई है;

(ख) १९५५-५६ में कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) क्या जिन योजनाओं के लिये धनराशि स्वीकृत की गई थी वे सभी कार्यान्वित कर दी गई हैं ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : (क) १९५५-५६ के दौरान में ६,५३,९३५ रुपये और १९५६-५७ में अब तक, १,०७,२७३ रुपये ।

(ख) ४,१२,५५९ रुपये ।

(ग) सारी योजनायें नहीं, किन्तु १० योजनाओं में से, जिनके लिये अनुदान दिया गया था, केवल ७ कार्यान्वित की गईं ।

गिलट

†१०४. { **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

†क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में इस समय कितनी गिलट उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : पंजाब में गिलट पाये जाने का पता नहीं चला है ।

निर्वाचन-क्षत्रों का परिसीमन

†१०५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसी बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६ द्वारा व्यवस्था है, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ४३ के अधीन गठित परिसीमन आयोग की नियुक्ति निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिये एक प्राधिकार के रूप में की है, जैसी बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६ के द्वारा व्यवस्था की गई है। आशा है कि परिसीमन आयोग अपना कार्य इस मास के अन्त तक पूरा कर लेगा।

औद्योगिक वित्त निगम

†१०६. **सरदार इक़बाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य से औद्योगिक वित्त निगम से सहायता के लिये १९५५-५६ के दौरान में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) स्वीकार किये गये आवेदनों के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) अब तक कितनी राशि दी गई है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) १ जुलाई, १९५५ से १० जून, १९५६ तक ५।

(ख) तथा (ग). तीन आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये थे। स्वीकृत तथा दी गई राशियां नीचे दी गई हैं :

कम्पनी का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये)	दी गई राशि (रुपये)
१. दि जनता कोआपरेटिव, शुगर मिल्स, लि०, भोगपुर।	३५,००,०००	३०,००,००० (अन्तरिम ऋण)
२. दि हरियाना कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, रोहतक।	३५,००,०००	३४,००,००० (अन्तरिम ऋण)
३. अरुण टेक्सटाइल मिल्स, लि०, खन्ना।	२०,००,०००	———

पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†१०७. **सरदार इक़बाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा पाकिस्तान करेंगे कि :

(क) क्या उन राष्ट्रजनों के बारे में वर्षवार जानकारी अब तक एकत्र कर ली गई है जो पिछले पांच वर्षों में भारत आये थे; और

(ख) यदि हां, तो वह कब सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). राजस्थान के अतिरिक्त अन्य सभी राज्य-सरकारों से प्राप्त जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७]** राजस्थान राज्य सम्बन्धी जानकारी वहां की सरकार से प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रजी में।

औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम

†१०८. **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ के दौरान में औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम ने कुल कितनी राशि ऋणों के रूप में स्वीकृत की है और कितनी दी है; और

(ख) वे उद्योग कौन-कौन से हैं जिन्हें ये ऋण दिये गये हैं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) तथा (ख). निगम ने १९५५ में कुल एक करोड़ रुपये की राशि के जनता को जारी किये गये अंशों का अभिगोपन किया था और १०·२५ लाख रुपये की राशि का ऋण दिया था। कागज़ बनाने, बिजली का सामान, ईंधन झोंकने का सामान (फ्यूल इन्जेक्शन इक्विपमेंट) वस्त्र उद्योग के लिये रसायन और सामान, चीनी और धातु अयस्कों का परिस्करण करने तथा सूती कताई के उद्योगों को सहायता मिली थी। १९५६ के सम्बन्ध में इसी प्रकार की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है जो निगम के चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेगी।

पंजाब में महिला तथा बाल-कल्याण केन्द्र

†१०९. **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार की सहायता से पंजाब में कितने महिला तथा बाल कल्याण केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) इस प्रकार १९५६ में कितने केन्द्र खोलने का विचार है ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रखी जायेगी।

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह

†११०. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हुए तृतीय अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह के मुख्य क्रिया-कलाप क्या थे;

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय के कितने छात्रों ने इसमें भाग लिया; और

(ग) इस पर कितना व्यय हुआ ?

†**शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८**]

(ग) लेखा अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है किन्तु आशा यह की जाती है कि सम्पूर्ण व्यय २·५ लाख रुपये की स्वीकृत राशि में से ही किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ९९–१२१

तारांकित प्रश्न संख्या — विषय

८७ डनलप रबड़ कम्पनी ९९–१०१
८८ छुट्टी के नियमों में भिन्नता ... १०१
९२ दिल्ली में बम विस्फोट १०२–०३
९४ अतिरिक्त प्रतिरक्षा कर्मचारी १०३–०४
९५ सैनिक पदाधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार... १०४–०६
९६ युनेस्को सम्मेलन १०६
९८ गुजराती का अध्ययन ... १०६
९९ कच्ची फिल्म उद्योग १०७
१०१ मिर्ज़ा ग़ालिब का मकान १०७–०८
१०२ निःशुल्क वैध सहायता ... १०८–०९
१०३ अखिल भारतीय मादक-वस्तु सम्मेलन १०९–१०
१०४ हिन्दी टाइपराइटरों का प्रमापीकरण ११०–११
१०५ विशेष पुनर्गठन एकक ... १११
१०६ लोकप्रिय साहित्य को प्रोत्साहन १११–१२
१०९ विश्व बैंक ... ११२–१३
११० सैनिक अधिकारी का व्यवहार ... ११३–१४
१११ संस्कृत आयोग ... ११४–१५
११२ इस्पात ... ११५
११३ भारतीय मुद्रा का चोरी-छिपे से जाना ११५–१६
११४ भारतीय उद्योगों सम्बन्धी ब्रिटिश मिशन ११६–१७
११५ छावनियों में गणराज्य दिवस तथा स्वतन्त्रता दिवस के समारोह ११७
११७ भुगतान अन्तर ... ११७–१८
११८ बुद्ध-धर्म सम्बन्धी गोष्ठी ... ११९
११९ इंडियन एलोमीनियम कम्पनी, लिमिटेड १२०
१२० मैसूर में पिछड़े हुए वर्गों को छात्र-वृत्तियां १२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर १२१–३९

तारांकित प्रश्न संख्या

८९ चांदी शोधनशाला १२१–२२
९० भद्रावती लोहा तथा इस्पात कर्मशाला ... १२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
९१	एक रुपये के नये नोट ...	१२२
९३	हिन्दी विश्वज्ञान कोष	१२२
९७	साहित्यिक कर्मशालायें	१२२–२३
१०७	अमेरिका में चुनाव ...	१२३
१०८	आम चुनाव	१२३
११६	आन्ध्र में अनुसूचित आदिम जातियां	१२३
१२१	अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी शब्द-कोष	१२३
१२२	इस्पात संयन्त्र ...	१२४
१२३	आय-कर सम्बन्धी मामले ...	१२४
१२४	बम्बई के निकट तैल के लिये छिद्र करना	१२४
१२५	मतदान-पत्र ...	१२४–२५
१२६	अन्दमान द्वीपसमूह का उपनिवेशन ...	१२५
१२७	पंजाब में नैसर्गिक गैस	१२५
१२८	छावनियों का पुनर्गठन	१२५–२६
१२९	अस्थिरवासी आदिम जातियों का मतदाताओं के रूप में पंजीयन	१२६
१३०	प्रतिरक्षा संस्थापनाओं में हड़ताल	१२६
१३१	राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय	१२६–२७
१३२	भूकम्प ...	१२७
१३३	नियमों का बनाना ...	१२७
१३४	पुर्तगाली बस्तियों के विरुद्ध विनिमय नियंत्रण ...	१२७
१३५	आर्थिक विकास के लिये विशेष संयुक्त राष्ट्रीय निधि	१२८
१३६	पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण	१२८
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७७	केरल राज्य	१२८–२९
७८	केरल राज्य में व्यय ...	१२९
७९	प्राइवेट कालेज	१२९
८०	सोना	१२९–३०
८१	प्रतिरक्षा सेवाओं में वैज्ञानिकों का बोर्ड इत्यादि	१३०
८२	पैप्सू में ऐच्छिक शिक्षण संस्थायें ...	१३०–३१
८३	आय-कर विभाग	१३१
८४	फुटबाल ...	१३१
८५	भू-तत्वीय सर्वेक्षण	१३१
८६	गोआ में भारतीय मतदाता	१३१–३२
८७	राज्य बैंक की शाखायें	१३२
८८	अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण योजना	१३२
८९	अनुसूचित जातियों के लिये मकान	१३२–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
९०	दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन शाम को लगने वाली कक्षायें ...	१३३
९१	लाहौल और स्पिती का विकास	१२३
९२	चोरी-छिपे माल ले जाना	१३३
९३	पुनर्वास वित्त प्रशासन ...	१३३–३४
९४	डनलप रबड़ कम्पनी	१३४
९५	आदमपुर हवाई अड्डा ...	१३५
९६	सांस्कृतिक शिष्ट-मंडल... ...	१३५
९७	पंजाब के पहाड़ी ज़िलों में बंजारे ..	१३५
९८	निवृत्ति वेतन के मामले	१३५–३६
९९	लेखकों आदि के भत्ते ...	१३६
१००	त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के मामले	१३६
१०१	भू-तत्वीय सर्वेक्षण	१३६
१०२	जम्मू तथा काश्मीर में खनिज पदार्थ	१३७
१०३	बुनियादी और सामाजिक शिक्षा	१३७
१०४	गिलट	१३७
१०५	निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन	१३७–३८
१०६	औद्योगिक वित्त निगम	१३८
१०७	पाकिस्तानी राष्ट्रजन	१३८
१०८	औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम	१३९
१०९	पंजाब में महिला तथा बाल-कल्याण केन्द्र	१३९
११०	अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह ...	१३९

M3LSD—190—30-1-58—GIPF

खण्ड ९ — अंक ३
१६ नवम्बर, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

(XIV Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ट

ठाकुर छेदीलाल और श्री श्रीनारायण महाता का निधन ९९

सभा-पटल पर रखे गए पत्र ९९–१०१

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में वक्तव्य—

श्री जवाहरलाल नेहरू १०१–०५

जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के प्रारूप के बारे में प्रश्न १०५

कार्य मंत्रणा समिति—

बयालीसवां प्रतिवेदन १०६

प्रवर समितियों द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि—

(१) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक १०६

(२) बाल विधेयक १०६

(३) स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १०६

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—

पुरःस्थापित किया गया १०७

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित किया गया ... १०७

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक १०७–१७

खण्ड २ से ७ और १ १०७–१०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ११०

श्री सिंहासन सिंह ११०–११

श्री श्रीनारायण दास ११२–१३

डा० ज० न० पारिख ११३

श्री ले० जोगेश्वर सिंह ११४

श्री मूलचन्द दुबे ११४

श्री म० म० शाह ११४–१७

रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ११८–२१

श्री अलगेशन ११८–१९

श्री श्रीनारायण दास ११९

श्री कामत ११९–२०

विषय-सूची

[भाग २, वाद-विवाद, खण्ड ६—अंक १ से १५—१४ नवम्बर से ४ दिसम्बर, १६५६]

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १६५६ — **पृष्ठ**

श्री भवानी सिंह का देहावसान — १

स्थगन प्रस्ताव—

हंगरी क बारे में पंच शक्ति संकल्प के प्रति सरकार का दृष्टिकोण — १–२

उत्तर प्रदेश के समाजवादी दल को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता न दिये जाने का आरोप ... ... — २

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल — ३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... — ४–७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति — ७

सदस्यों का त्यागपत्र ... — ७

विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
के बारे में अधिसूचना

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना — ८

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव — ८–२८
खण्ड १ से १६ ... ... — २६–२८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — २८

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — २८–४४
खण्ड १ से ५८ और अनुसूची ... — ३६–४४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ४४

दैनिक संक्षेपिका — ४५–४८

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १६५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र — ४६

कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ... ... — ४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... — ४६

दो सदस्यों का नामनिर्देशन ... — ४६

भाग "ग" राज्य (विधि) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — ५०–५५
खण्ड २ से ४ और खण्ड १ ... — ५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ५५

पृष्ठ

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ५५–८०
खण्ड २ और १ ... ... ८०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८०
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ८१–९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन ९६
दैनिक संक्षेपिका ९७

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

ठाकुर छेदीलाल और श्री श्रीनारायण महाता का निधन ९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ९९–१०१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में वक्तव्य ... १०१–०५
जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के प्रारूप के बारे में प्रश्न १०५
कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन १०६
प्रवर समितियों द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि—
(१) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक १०६
(२) बाल विधेयक १०६
(३) स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १०६
अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... १०७
राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १०७
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक १०७–१७
खण्ड २ से ७ और १ १०७–१०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ११०
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ११८–२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन १२१
नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षणों के बारे में संकल्प १२१–३४
सभा का कार्य १११, ११७–१८, १३४–३५
दैनिक संक्षेपिका १४४–४६

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	१४७–४८
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत—	
साक्ष्य सभा-पटल पर रख दिये गये ...	१४९
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक सम्बन्धी याचिका ...	१४९
सभा का कार्य ... — — ... ... —	१४९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव	१५०–८५
दैनिक संक्षेपिका	१८६–८७

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८९–९०
बाट तथा माप मान विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९०
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९१
संयुक्त समिति के समक्ष दी गयी साक्षी	१९१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ...	... १९१–२२९
दैनिक संक्षेपिका	२३१–३२

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	... २३३, २५५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिरेसठवां प्रतिवेदन	२३३
स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२३३
रेलवे समय-सारिणियों तथा गाइडों सम्बन्धी याचिका	२३४
केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	२३४
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३५
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव ...	२३६–५१
खण्ड २ से ९, अनुसूची तथा खण्ड १	२४८–५०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५०

पृष्ठ

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५१–५८
खण्ड २ तथा १ ... ... २५५–५७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २५७

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५८–८३
खण्ड २ से ४६, अनुसूची तथा खण्ड १ ... २७२–८२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २८२

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८३–८५

दैनिक संक्षेपिका २८६–८७

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८९–३२२
खण्ड २ और १ ... ३२२
पारित करने का प्रस्ताव ३२२

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३२३–३६
खण्ड २ से ७ और १ ... ३३५–३६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३६

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक— ,
विचार के लिये प्रस्ताव ३३७–३८

दैनिक संक्षेपिका ३३९

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४१
राज्य-सभा से सन्देश ३४१–४२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३४२

कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ३४२
सभा का कार्य ३४२
विदेशियों सम्बन्धी विधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३
सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३

पृष्ठ

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३
भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३–४४
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३४४–५६
खण्ड २ से ५ और खण्ड १ ... ३५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३५६–६४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति–
तिरेसठवां प्रतिवेदन ३६४
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०७ का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ३६५
भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक (धारा ३ आदि का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ... ३६५
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—
(धारा ६ का संशोधन)—पुरःस्थापित किया गया ३६६
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६६–८९
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ३८९–९०
दैनिक संक्षेपिका ३९१–९२

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना ... ३९३–९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३९९–४००
राज्य-सभा से सन्देश ... ४००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ४००
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४०१–१५
खण्ड २ से ३५, अनुसूची तथा खण्ड १ ... ४१४–१५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ४१५
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४१५–४४
दैनिक संक्षेपिका ४४५–४६

पृष्ठ

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४७–४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मनीपुर से एक सदस्य का राज्य-सभा के लिये निर्वाचन ४४८–४९

निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक ४४९–६१

खण्ड २ से १६ और १ ... ... ४४९–६१

पारित करने का प्रस्ताव ... ४६१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ४६१–७९

खण्ड २ से ८ और १ ... ... ४७५–७९

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४७९

मद्रास-तूतीकोरिन रेल दुर्घटना पर चर्चा ४७९–९६

दैनिक संक्षेपिका ... ४९७–९८

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रिवेन्द्रम् में केरल उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना के बारे में आन्दोलन ४९९–५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन ... ५०१

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५०१–३७

दैनिक संक्षेपिका ५३८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६

भारतीय डाक तथा तार अधिनियम और नियमों के बारे में याचिका ५३९

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५३९–५७

खण्ड २ से १०२ और खण्ड १ ... ५४६–५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५५७

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५५८–८३

दैनिक संक्षेपिका ५८४

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ५८५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८६

पृष्ठ

लोक-लेखा समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५८६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

बाल विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६
प्रवर समिति के सामने दिया गया साक्ष्य ५८६–८७

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५८७

सभा का कार्य ५८७–८८

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ५८८–६१२
खण्ड २ से २५ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ६०२–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौसठवां प्रतिवेदन ६१२–१३

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६१३–२८

राजनैतिक पीड़ितों के बालकों के लिये छात्रवृत्तियों के बारे में संकल्प ६२८–२९

आर्थिक स्थिति और कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनायें ६२९–३६

वित्त (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित ६३६–३७

वित्त (संख्या ३) विधेयक—पुरःस्थापित ६३७

दैनिक संक्षेपिका ६३८–३९

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
रामलीला मैदान में पटाखे का विस्फोट ६४१–४२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६४२–४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ६४३
राज्य-सभा से सन्देश ६४३

हिन्दू दत्तकग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

पृष्ठ

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन ६४३–४४

सभा का कार्यक्रम ६४४

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ६४४

राष्ट्रपति की केरल सम्बन्धी उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ६४४–८०

दैनिक संक्षेपिका ... ६८१–८२

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६८३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठाहरवां प्रतिवेदन ६८३–८८

समिति के लिये चुनाव—
भारतीय टैक्नोलाजीकल संस्था, खड़गपुर ६८८

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ६८९–७१७

कार्य मंत्रणा समिति—
चवालीसवां प्रतिवेदन ७१७

केरल के खनिज संसाधन सम्बन्धी आध घंटे की चर्चा ७१७–२२

दैनिक संक्षेपिका ७२३

M44LSD—190—26-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्याह्न

ठाकुर छेदीलाल और श्री श्रीनारायण महाता का निधन

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को अपने दो मित्रों, ठाकुर छेदीलाल और श्री श्रीनारायण महाता के दुःखद निधन की सूचना देते हुए खेद प्रकट करता हूं ।

ठाकुर छेदीलाल, जिनका देहांत २५ सितंबर, १९५६ को हुआ, भारत की संविधान सभा (विधायिनी) के सदस्य थे ।

श्री श्रीनारायण का देहावसान ६ अक्तूबर, १९५६ को हुआ । वे भारत की संविधान सभा (विधायिनी) और अंतर्कालीन संसद् के सदस्य थे । वे अपनी मृत्यु के समय राज्य सभा के सदस्य थे ।

हम इन दोनों मित्रों के निधन पर खेद प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि उनके कुटुम्बों को अपनी संवेदनायें भेजने के लिये सभा मुझ से सहमत होगी । सभा अपना दुःख प्रगट करने के लिये कृपया एक मिनट के लिये मौन खड़ी हो जाये ।

सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

पटल पर रखे गए पत्र

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम अधिनियम

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : श्रीमान्, डा० पं० शा० देशमुख के स्थान पर, मैं कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम अधिनियम १९५६ की धारा ५२ की उपधारा (३) के अधीन, अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २४०८, दिनांक २७ अक्तूबर, १९५६ में प्रकाशित कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम नियम, १९५६ की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–४४१/५६]

†मूल अंग्रेजी में ।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†**श्री पाटस्कर** : श्रीमान्, मैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा १२९ की उपधारा (२) के अधीन निम्नलिखित दो अधिसूचनाओं की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २०९७, दिनांक १७ सितम्बर, १९५६ ।

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २१४७, दिनांक २९ सितम्बर, १९५६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–४४२/५६]

खनिज-रियायत नियमों में संशोधन

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : श्रीमान्, मैं खान तथा खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अधीन खनिज-रियायत, नियम १९४९ में कतिपय संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या एम २-१५२ (५९)/५६ दिनांक ४ सितम्बर, १९५६ ।

(२) अधिसूचना संख्या एम २-१५३ (८७)/५५ दिनांक १५ सितम्बर, १९५६ ।

(३) अधिसूचना संख्या एम २-१५२ (३७)/५५ दिनांक १९ सितम्बर, १९५६ ।

(४) अधिसूचना संख्या एम २-१५२ (२६९)/५३ दिनांक ३ अक्तूबर १९५६ ।

(५) अधिसूचना संख्या एम २-१५७ (१२)/५६ दिनांक ८ अक्तूबर, १९५६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–४४३/५६]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : श्रीमान्, मैं समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५३ के द्वारा समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ में निविष्ट की गई धारा ४३ ख की उपधारा (४) के अधीन निम्नलिखित सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या ५३, दिनांक १४ जुलाई, १९५६ ।

(२) अधिसूचना संख्या ५४, दिनांक १४ जुलाई, १९५६ ।

(३) अधिसूचना संख्या ७६, दिनांक २२ सितम्बर, १९५६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस ४४४/५६]

त्रावनकोर-कोचीन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अधिनियम

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : श्रीमान्, मैं त्रावणकोर कोचीन राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन निम्नलिखित अधिनियमों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) जोत (निष्पादन कार्यवाहियों का रोका जाना) द्वितीय संशोधन अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या ६) ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–४४५/५६]

(२) त्रावणकोर-कोचीन सिंचाई अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या ७) ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–४४६/५६]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(३) त्रावणकोर-कोचीन निर्वचन और सामान्य खण्ड (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या ८)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–४४७/५६]

(४) नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या ९)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–४४८/५६]

(५) त्रावणकोर-कोचीन काश्तकारों को प्रतिकर सुधार अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या १०)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–४४९/५६]

(६) त्रावणकोर-कोचीन चूने के डले (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या ११)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस– ४५०/५६]

जम्मू तथा काश्मीर के संविधान का प्रारूप

†**श्री दातार :** श्रीमान्, मैं जम्मू तथा काश्मीर के प्रारूप संविधान की एक प्रति, उस राज्य की संविधान सभा में पुरःस्थापित रूप में पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–४५१/५६]

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** लोक सभा के विगत सत्र के अन्तिम दिन, १३ सितम्बर, १९५६ को स्वेज नहर के मामले की गतिविधि के बारे में मैंने वक्तव्य दिया था। इसके पूर्व, आठ अगस्त को मैंने सभा के समक्ष मिस्री सरकार द्वारा स्वेज नहर समवाय के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत किया था।

लोक सभा में दिये गये मेरे वक्तव्य को दो महीने गुजर चुके हैं और उसके बाद अनेक घटनायें घट चुकी हैं। समाचारपत्रों में यह सब छप चुका है और माननीय सदस्य अवश्य ही इन सबसे परिचित होंगे। सुरक्षा परिषद् ने इस पर विचार किया था और स्वेज नहर के सम्बन्ध में किसी भी समझौते के लिये आवश्यक कतिपय मूलभूत सिद्धान्तों का मोटे रूप में अनुमोदन कर दिया था। इस आशय का प्रस्ताव रखा गया कि विवाद से सम्बद्ध मुख्य पक्ष—मिस्र, ब्रिटेन और फ्रांस, इन सिद्धान्तों के आधार पर इस विषय पर आगे चर्चा करने के लिये शीघ्र मिलें।

यह मीटिंग नहीं हुई। इसके बजाय, २९ अक्तूबर को इजरायल ने मिस्र पर सहसा और पूर्व-नियोजित आक्रमण कर दिया और भारी संख्या में इजरायली सेनायें मिस्री प्रदेश में दूर तक घुस गईं। दूसरे दिन ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने मिस्र और इजरायल को इस आशय का अल्टीमेटम दे दिया कि यदि उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया और अपनी सेनायें स्वेज़ नहर से दस मील की दूरी पर नहीं हटाई तो ब्रिटेन और फ्रांस की सेनायों को लड़ाई बंद करने के लिये हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अल्टीमेटम की अवधि ३१ अक्तूबर को प्रातःकाल समाप्त हो गई और उसके तुरन्त बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी फौजों ने काहिरा के हवाई अड्डे और सैनिक केन्द्रों तथा मिस्र में अन्यत्र बम डालना आरम्भ कर दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस घटना के कुछ दिन पश्चात् पोर्ट सईद के समीप छतरीधारी सैनिक उतारे गये और वहां भीषण युद्ध हुआ ।

जैसा सभा को विदित है कि स्वेज़ नहर समवाय के राष्ट्रीकरण के पश्चात् भारत को ब्रिटेन और फ्रांस की नीति के प्रति गम्भीर आशंका थी। विशेष रूप में, मिस्र में सैनिक कार्यवाही के लिये सेनाओं और विमानों का जमघट हमारी राय में पिछले औपनिवेशिक ढंग का आश्रय ले कर और सशस्त्र बल का दिखावा देकर मिश्र को उत्पीड़ित करने का प्रयत्न था। वस्तुतः ब्रिटेन और फ्रांस के उत्तरदायी राजनीतिज्ञों द्वारा इस प्रकार का मत प्रकट किया गया कि मिस्र में राज्य सत्ता पलट दी जाये और विशेष रूप से राज्य के प्रधान एवं वहां की सरकार को हटा दिया जाय तथापि हमारी आशा थी कि सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव के पश्चात् इस विवाद को हल करने के लिये अधिक शान्तिप्रिय तरीके अपनाये जायेंगे। ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा मिस्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाहियां और काहिरा नगर एवं मिस्र के अनेक भागों में बम गिराने की घटनाओं से भारत की जनता को ही नहीं प्रत्युत ब्रिटेन समेत अन्य देशों की जनता को भी गहरा आघात लगा। यह एक ऐसी घटना प्रतीत हुई जिसमें दो सशक्त देशों द्वारा अपनी इच्छा किसी देश पर थोपने और यहां तक कि उस देश की सरकार में परिवर्तन करने के उद्देश्य से एक निर्बल राष्ट्र पर निर्लज्जता पूर्ण आक्रमण किया गया है। आंग्ल-फ्रांसीसी कार्यवाही के विरुद्ध सारे विश्व में व्यापक प्रतिक्रिया हुई और चूंकि ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा निशेधाधिकार (वीटो) का प्रयोग करने से सुरक्षा परिषद् कुछ कार्यवाही करने में नाकाम रही, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने आपात्कालीन सत्र में इस कार्य का विरोध किया और इसने मिस्र में सैनिक कार्यवाही समाप्त करने और मिस्र की सीमा से इज़रायल, फ्रांस और ब्रिटेन की सशस्त्र सेनायें वापस बुलाने की मांग की। अस्थिर युद्धविराम हुआ और ब्रिटेन, फ्रांस तथा इज़रायल की ओर से घोषणा की गई कि वे अपनी सशस्त्र सेनायें वापस बुला लेंगे यद्यपि यह घोषणा कुछ शर्तों पर निर्भर थी ।

घटनाओं के इस हेरफेर से आशा हुई कि अब शान्तिपूर्ण तरीके अपनाये जायेंगे और कुछ दिनों पूर्व मैंने यह व्यक्त किया था कि परिस्थिति में कुछ सुधार हो गया है। आज ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर मैं यह कह दूं कि स्थिति सुधरी है। अनेक ऐसी प्रवृत्तियां है कि यदि उन्हें नहीं रोका गया तो परिस्थितियां जल्दी बिगड़ कर युद्ध का रूप धारण कर सकती हैं। यदि दुर्भाग्य से सैनिक कार्यवाही पुनः आरम्भ हो गई तो सम्भव है कि उसका क्षेत्र अधिक व्यापक हो और बड़े युद्ध में बदल जाये ।

दो दिन पूर्व इण्डोनेशिया, बर्मा, श्रीलंका, और भारत के प्रधान मंत्रियों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। इस वक्तव्य में मिस्र और हंगरी की हाल की घटनाओं पर उक्त प्रधान मंत्रियों के विचार अभिव्यक्त किये गये हैं तथा वर्तमान गंभीर अंन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में अन्तर्भूत युद्ध के खतरे की ओर भी उसमें संकेत किया गया है ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के बावजूद भी यत्रतत्र युद्ध जारी रहा और मिस्री भूप्रदेश से सेनायें हटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। वस्तुतः इससे यह प्रतीत होता है कि इन शक्तियों ने मिस्री भूप्रदेश पर स्वयं को दृढ़रूप में स्थापित कर लिया है और उसे छोड़ने का उनका इरादा नहीं है। यदि यह विदेशी सेनायें मिस्र की सीमा में बनी रहेंगी तो स्थिति के शीघ्र ही बिगड़ने की संभावना है तथा वह नये सिरे से सैनिक कार्यवाहियों के खतरे को और भी निकट लायेगी ।

यद्यपि ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने प्रकट रूप में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है फिर भी उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें लागू की हैं जो संकल्प के अनुकूल नहीं हैं। इज़रायेल के प्रधान मंत्री अपने इस निश्चय पर दृढ़ हैं कि वह गाजा क्षेत्र को खाली नहीं करेंगे। यदि विदेशी सेनाओं ने मिस्र के इलाके को पूरी तरह खाली नहीं किया तो ऐसी अवस्था में यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लंघन है ।

इसी बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सेना के लिये एक सशस्त्र सैन्य-टुकड़ी भेजने की स्वीकृति दे दी है और ये सैनिक आज विमान द्वारा भारत से रवाना हो जायेंगे। इस संयुक्त राष्ट्र सेना का स्वेज नहर के वर्तमान विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि पूर्ण शान्ति स्थापित होने और सम्पूर्ण विदेशी सेनाओं के हटने के पश्चात् ही इस पर विचार किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय सेना का मुख्य कार्य यह देखना है कि इज़रायल पुराने युद्धविराम समझौते द्वारा निर्धारित सीमा में रहे।

समाचारपत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उनमें यह नहीं बताया गया है कि पोर्ट सईद में और उसके आसपास जो लड़ाई हुई वह उग्र थी। इस लड़ाई का कुछ ब्योरा हमें मिला है तथा उनके अनुसार हताहतों की संख्या और मुख्य रूप में मिस्री नागरिकों की संख्या बहुत अधिक है। वह सहस्त्रों तक पहुंच गई है। पोर्ट सईद की अत्यंत दारूण अवस्था है। सहायता हेतु विशेष विमान द्वारा दवाइयों का भारी स्टाक हम मिस्र भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं।

स्वेज़ नहर समवाय के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पिछले साढ़े तीन महीने की गाथा एक दुःखांत नाटक से परिपूर्ण है और मेरे विचार में आधुनिक युग में इस प्रकार की घटनायें सम्भवतः नहीं हो सकती थी। इस प्रकार के बर्बर आक्रमण और प्रवंचना की चर्चा करने में मुझे थोड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। इस सिलसिले में जो स्पष्टीकरण दिये गये हैं वह एक दूसरे के विरोधी हैं और एक ऐसा दृष्टिकोण व्यक्त करती हैं जो एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतन्त्रता और विश्वशान्ति के लिये खतरनाक है। इससे दुःख और कष्ट, घृणा और दुष्भावना की सृष्टि हुई है तथा कोई लाभ नहीं हुआ। और इन सबके अतिरिक्त हमारे सामने संभवतः विश्व युद्ध का खतरा है।

स्वेज नहर समवाय के राष्ट्रीयकरण के समय से जो भी विवाद हुये हैं उन सबके सामने मिस्र ने अधिकांशतः औचित्य एवं सहन शक्ति का परिचय दिया है। मिस्र पर इज़रायल ने ही नहीं प्रत्युत ब्रिटेन और फ्रांस ने भी आक्रमण कर दिया जबकि इसके लिये कोई औचित्य नहीं था। आक्रामक देशों ने आक्रमण से पहले आपस में कोई विचार-विमर्श किया था इसका मुझे ज्ञान नहीं है। परन्तु यह स्पष्ट है कि उनकी योजनायें ठीक बैठीं और आंग्ल-फ्रांसीसी हमले से इज़रायल हमले को सहायता मिली तथा इनके हमले को इज़रायल से सहायता मिली। इज़रायली हमले के एकदम बाद ब्रिटेन तथा फ्रांस की सेनाओं ने भी मिस्र पर हमला कर दिया। केवल एशिया और अफ्रीका की जनता के रोष के कारण ही नहीं अपितु योरोप और अमेरिका की जनता के रोष के कारण तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही के कारण इस आक्रमण को कुछ रोका जा सका। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध-विराम हो चुकने के बाद अब आत्मतुष्टि की भावना फैल रही है और समस्याओं को वैसे ही रहने दिया जा रहा है। यह सच है कि मिस्र पर इस आक्रमण और भयानक हमले का महत्व घटाने और इसे उचित बनाने के प्रयत्न किये गये हैं दुनिया का ध्यान हंगरी में हुई गम्भीर और शोचनीय घटनाओं की ओर भी गया है।

हमें मिस्र की घटनाओं से दुःख हुआ था और हमें हंगरी की घटनाओं से भी बड़ी चिन्ता और शोक हुआ। यह संभव है कि एक देश की घटनाओं की प्रतिक्रिया दूसरे देश में और दोनों से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और अधिक गम्भीर हो गई। परन्तु यह सदा याद रखना चाहिये कि यद्यपि दोनों की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना आवश्यक है फिर भी प्रत्येक एक दूसरे से भिन्न प्रकार की हैं। दोनों में से किसी को भी दूसरे से उचित बताने के लिये प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

विश्व में किसी की भी स्थान पर स्वतंत्रता पर आक्रमण हो, उससे हमारा सम्बन्ध है। शक्तिशाली राष्ट्र सेनाओं क प्रयोग द्वारा निर्बल देशों पर दबाव डालें, तो उससे भी हमारा सम्बन्ध है। हंगरी के बारे में यह है कि वहां की स्थिति कुछ दिनों तक अस्पष्ट रही है और धीरे-धीरे ही वहां की दुःखद घटनाओं की जानकारी सबको हुई है। प्रारंभ में ही, हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारी राय में हंगरी की जनता

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

को अपनी इच्छानुसार अपना भविष्य निश्चित करने देना चाहिये तथा वहां से विदेशी फौजों को हट जाना चाहिये । चारों प्रधान मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य में यह बात दोहराई गयी है ।

पाकिस्तान, क्यूबा, इटली, पेरू तथा आयरलैण्ड द्वारा हंगरी के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र महा-सभा में प्रस्तुत एक संकल्प के विरुद्ध हमने मत दिया था । इस संकल्प पर हमारे मतदान के सम्बन्ध में कुछ आलोचना की गई । इस सम्बन्ध में जो भी भ्रम उत्पन्न हुये हों मैं उन्हें दूर करना चाहता हूं । हमारी राय में, संकल्प उचित रूप में लिखा नहीं गया था । परन्तु इसमें सबसे आपत्तिजनक बात यह थी कि हंगरी में चुनाव संयुक्तराष्ट्र संघ के अधीक्षण में होने चाहिये । हमने इस पर बहुत आपत्ति की क्योंकि हमने यह महसूस किया कि यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र के विपरीत है और इससे हंगरी सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य नहीं रह जायेगा । इस प्रकार के हस्तक्षेप की तथा विदेशी अधीक्षण में चुनावों की स्वीकृति, हमें एक बुरी प्रथा लगी जो कि भविष्य में अन्य देशों में हस्तक्षेप के लिये भी प्रयोग में लाई जा सकती है । संकल्प की प्रत्येक कण्डिका पर मतदान लिया गया था । संकल्प के अन्य सभी अंशों पर मतदान में हमने भाग नहीं लिया । संयुक्तराष्ट्र संघ के अधक्षीण में, चुनाव सम्बन्धी कण्डिका के विरुद्ध हमने मतदान किया । जब इस कण्डिका समेत समस्त संकल्प, मतदान के लिये रखा गया तब भी हमने उसी आपत्तिजनक कण्डिका के कारण इसके विरुद्ध मतदान किया ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : आदेशानुसार ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य धैर्य रखें, उन्हें सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी ।

†**श्री कामत** : मैं बुरी से बुरी बात के लिये तैयार हूं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: इस विशेष संकल्प पर मतदान हमारी सामान्य नीति तथा अनुदेशों के पूर्णतः अनुसार हुआ । हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह संकल्प, इसके एक अंश पर मूलभूत आपत्तियों के अतिरिक्त, हंगरी के लिये लाभदायक सिद्ध नहीं होगा । हम हंगरी से रूसी फौजें हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं । संकल्प के कारण, इन फौजों के हट जाने में रुकावट होती तथा उसके पश्चात् फौजों के हस्तक्षेप से बड़ी लड़ाई छिड़ सकती थी । यह संभव था कि हंगरी युद्ध की अग्नि में भस्म हो जाता । हंगरी की जनता बड़ी भयानक कठिनाइयों से अभी गुज़री है तथा अन्य देशों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उनको और अधिक युद्ध तथा हानियों से बचायें और साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियां वहां लायें जिससे वे स्वतन्त्र रूप से पनप सकें और अपनी इच्छा की सरकार बना सकें । हम यथा शीघ्र हंगरी को सहायता भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

जो दुःखपूर्ण नाटक हमारे सामने हुआ, उससे यह प्रकट हो गया कि किसी समस्या को युद्ध द्वारा सुलझाने में भयानक ख़तरा है । मिस्र पर इज़राइली तथा आंग्ल फ्रांसीसी हमले से, मिस्र की जनता पर अधिक दुःख ही नहीं आये अपितु इससे उन बुरी भावनाओं को प्रोत्साहन मिला जो विश्व को विनाश की ओर ले जा रही हैं । शक्ति के प्रयोग और हंगरी में सेना द्वारा हस्तक्षेप से केवल वीर स्त्री पुरुषों की जानें ही नहीं गयीं अपितु इससे उस स्वतंत्रता की प्रगति में बाधा पड़ी जिसका हमने स्वागत किया था । ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया युद्ध की भावना में बह रही है और मुझे गत-महायुद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व के कुछ मास याद आ रहे हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि युद्ध तथा हिंसा से ये समास्यायें हल नहीं होंगी और न स्वतंत्रता आयगी । मुझे विश्वास है कि चाहे किसी भी रूप में हो, उपनिवेशवाद से पुरानी क्रूरता पुनः आ जायेगी तथा इसका हल केवल यही है कि इसके स्थान पर स्वतंत्रता स्थापित की जाये ।

इस समय विश्व में बड़ा खतरा है तथा यह संभव है कि जो थोड़ी सी लड़ाई हो रही है यह आगे आने वाली बड़ी लड़ाई की अग्रदूत हो । मुख्यतः शक्तिशाली राष्ट्रों की आंकाक्षाओं से निर्बल देश आपत्ति

---

†मूल अंग्रेजी में ।

में पड़ जायेंगे। आशा केवल इस बात में है कि राष्ट्रसंघ जो विश्व का प्रतिनिधि है शक्ति के स्थान पर समस्याओं को सुलझाने का सभ्य उपाय प्रस्तुत करने में सफल हो। आज उद्जन बम तथा पंचशील में से किसी एक को चुनना है।

जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के प्रारूप के बारे में प्रश्न

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं आपसे इस बात की ओर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा कि समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुये हैं कि जम्मू तथा काश्मीर का प्रारूप संविधान भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस प्रारूप संविधान पर चर्चा का शीघ्र अवसर दिया जाये।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह मद संख्या ६, जम्मू तथा काश्मीर के प्रारूप संविधान की चर्चा कर रहे हैं।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : हमारे संविधान के अधीन जम्मू तथा काश्मीर संविधान सभा को पर्याप्त सीमा तक स्वायत्तशासन की शक्तियां प्राप्त हैं। जो उसके अधिकार के मामले हैं वह उनके बारे में कार्य कर सकती है। मैं नहीं जानता कि हम उस मामले को यहां किस प्रकार उठा सकते हैं तथा उसके उपबन्धों पर कैसे चर्चा कर सकते हैं। यह एक प्रकार से जम्मू तथा काश्मीर की संविधान• सभा की शक्तियों पर अतिक्रमण होगा। हमारे संविधान के आधीन उनको यह शक्ति है। हम अपने राज्यों के मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। काश्मीर को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं तथा उसके संविधान पर यहां चर्चा करना अनुचित होगा। हम यहां उनके किसी कार्य पर अपना निर्णय नहीं दे सकते। इसलिये मैं नहीं जानता कि हमें इस पर यहां क्यों चर्चा करनी चाहिये।

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री को मेरा सुझाव है कि जम्मू तथा काश्मीर और भारत के सम्पर्कों का विनियमन अनुच्छेद ३७० और १९५४ के राष्ट्रपति के आदेश से होता है। इसलिये यह सभा, उस सीमा तक, जम्मू तथा काश्मीर संविधान सभा से, इसका संशोधन करा सकती है।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : अनुच्छेद १ जम्मू तथा काश्मीर पर भी लागू होता है, इसलिये सभा का कर्तव्य है कि वह इस विषय पर विचार करे।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : करोड़ों भारतीयों को जो अधिकार हैं, उनसे काश्मीर की जनता वंचित रखी जा रही है। यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रारूप संविधान की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। एक सुझाव दिया गया जिसका उत्तर माननीय गृह-मंत्री ने दे दिया। परन्तु यदि माननीय सदस्यों का विचार मंत्री महोदय के विचार से विपरीत है तो वे एक औपचारिक प्रस्ताव रख सकते हैं जिस पर मैं विचार करके निर्णय दे सकूंगा कि इस पर चर्चा करने के लिये यह सभा सक्षम है अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कार्य मंत्रणा समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, कार्य मंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन से, जो १५ नवम्बर, १९५६ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ९ मई, १९५० का न्यूयार्क में हस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसरण में, स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियत समय को २१ नवम्बर तक बढ़ा दिया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

बाल विधेयक

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा पारित भाग 'ग' राज्यों में उपेक्षित और अपचारी बालकों की देखभाल, रक्षा, पालन-पोषण, कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा, और पुनर्वास की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियत समय को ३० नवम्बर, १९५६ तक बढ़ा दिया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्त्री तथा बालकों की देखभाल करने वाली संस्थाओं का विनियमन तथा अनुज्ञापन करने वाले विधेयक पर प्रवर-समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियत समय को ३० नवम्बर, १९५६ तक बढ़ा दिया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक*

†**निर्माण, आवास, और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा संरक्षण) अधिनियम १९४९ को और आगे के लिये जारी रखने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक**

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक——समाप्त

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा उद्योग (विकास तथा विनिमयन) अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक का खण्डवार विचार आरम्भ करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३ से ६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ७——(प्रथम अनुसूची के स्थान पर नयी अनुसूची रखना) ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्ड ७ लेंगे ।

किये गये संशोधन : (१) पृष्ठ २, पंक्ति ३७ में "and special Steels" [और विशेष इस्पात] हटा दिया जायें ।

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति ४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(6) Special Steels.

(7) Other products of Iron and Steels."

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत के असाधारण गज़ट भाग दो, विभाग २ दिनांक १६-११-५६ में प्रकाशित हुआ ।

**भारत के अतिरिक्त गज़ट भाग दो, विभाग २ दिनांक १६-११-५६ में प्रकाशित हुआ ।

[अध्यक्ष महोदय]

["(६) विशेष इस्पात ।

(७) लोहे और इस्पात के अन्य उत्पाद ।"]

(३) पृष्ठ ६ और ७ :

(क) पंक्ति २९ से ३२ तथा १ से १३ के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित को रखा जाये :

"**18. Fertilizers:**

(1) Inorganic fertilizers
(2) Organic fertilizers
(3) Mixed fertilizers.

19. Chemicals (other than fertilizers) :

(1) Inorganic heavy chemicals
(2) Organic heavy chemicals
(3) Fine chemicals including photographic chemicals
(4) Synthetic resins and plastics
(5) Paints, Varnishes and enamels
(6) Synthetic rubbers
(7) Man-made fibres including regenerated cellulose-rayon, nylon and the like
(8) Coke oven by-products
(9) Coal-tar distillation products like nepthalene, anthecene and the like
(10) Explosives including gun powder and safety fuses
(11) Insecticides, fungicides, weedicides and the like
(12) Textile auxiliaries
(13) Sizing materials including starch
(14) Miscellaneous chemicals."

["**१८. उर्वरक :**

(१) रासायनिक उर्वरक
(२) प्राकृतिक उर्वरक
(३) मिश्रित उवर्रक ।

१९. रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त) :

(१) भारी रासायनिक पदार्थ
(२) प्राकृतिक भारी रासायनिक पदार्थ
(३) बढ़िया रासायनिक पदार्थ जिनमें नये फोटोग्राफिक रासायनिक पदार्थ भी सम्मिलित हैं ।
(४) कृत्रिम रेजिन तथा प्लास्टिक
(५) रंग, वार्निश तथा अनेमल
(६) कृत्रिम रबड़
(७) कृत्रिम धागे जिनमें रीजेनेरेटिड सैलुल्यूस-टेयन, नीलोन तथा इसी प्रकार के धागे सम्मिलित हैं ।
(८) भट्टी उप-उत्पाद
(९) तारकोल के उत्पाद जैसे कि नेपथेलीन, एन्थरासीन आदि

(१०) विस्फोटक पदार्थ जिनमें बारूद तथा सुरक्षा पयज भी सम्मिलित हैं ।

(११) कृमिनाशक, फंगीनाशक, तृणनाशक आदि

(१२) वस्त्रोद्योग की सहायक वस्तुयें

(१३) साइंजिग की सामग्री जिसमें माण्ड भी सम्मिलित हैं ।

(१४) विविधि रासायनिक पदार्थ ।

(ख) शीर्षक १९ से ३७ को क्रमशः शीर्ष २० से ३८ पुनरांकित किया जाये]"

(४) पृष्ठ १०, पंक्ति ७ में

"18 20 and 21" [१८, २० और २१] के लिये "18, 19, 21 and 22" [१८, १९, २१, तथा २२] रखा जाये ।

—[श्री म० म० शाह]

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : चार स्वीकृत संशोधनों के अतिरिक्त, माननीय सदस्यों के विचारों को दृष्टि में रखते हुये मैं निम्न और संशोधन प्रस्तुत करूंगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ५ में पंक्ति २२ के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाय :

"(14) Fire fighting equipment and appliances including Fire Engines."

[(१४) आग बुझाने का सामान तथा आग बुझाने के इंजन आदि]"

(२) पृष्ठ ८—

(१) पंक्ति ७ में "Technical" ["प्रविधिक"] के स्थान पर "Chemical" ["रासायनिक"] रखा जाये ।

(२) पंक्ति १२ में "Industrial and Power" [औद्योगिक तथा शक्ति] हटा दिया जाये ।

इससे अभिप्राय एक छपाई की गलती दूर करना है ।

(३) पृष्ठ ९, पंक्ति १७ के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाय :

(6) Insulator

(7) Tiles

["(६) इंसुलेटर

(७) टाइल्स"]

अध्यक्ष महोदय द्वारा ये संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा स्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

संशोधन विधेयक

†**श्री म० म० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर-दक्षिण) : अध्यक्ष जी, मैं चन्द बातें इस विधेयक के सम्बन्ध में कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस विधेयक के अधीन और ३५ व्यवसाय सरकार की तरफ से लिये जा रहे हैं और उनका प्रसार और विकास किया जायगा । इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि व्यवसायों का प्रसार करते समय गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखे कि उन क्षेत्रों में भी व्यवसाय प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जाय, जो कि अनुन्नत हैं, जहां की आबादी घनी है और जहां इस समय कोई व्यवसाय नहीं है । किसी क्षेत्र में एक व्यवसाय स्थापित करने के साथ ही वहां पर कई साथी व्यवसाय प्रारम्भ हो जाते हैं, जिससे हज़ारों आदमियों को काम मिल जाता है । अभी हाल ही में पत्रों में पढ़ने को मिला था कि उत्तर प्रदेश में तीन इंडस्ट्रियल टाउन्ज़ और छः इंडस्ट्रियल एस्टेट्स (औद्योगिक बस्तियां) बनाये जा रहे हैं । इन टाउन्ज़ में बड़े बड़े कारखाने प्रारम्भ किये जायेंगे और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में काटेज इंडस्ट्रीज़ (कुटीर उद्योग) के तरीके पर छोटे बड़े काम किये जायेंगे । इस सम्बन्ध में मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि अनुन्नत हैं और इसलिये जिन की तरफ सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिये । जैसा कि पहले भी कई बार कहा गया है, जिन क्षेत्रों में पहले ही काफी ज्यादा तरक्की की जा चुकी है, वहीं पर तरक्की हो रही है । मसलन उत्तर प्रदेश में जो तीन इंडस्ट्रियल टाउन्ज़ बनाये जा रहे हैं, वे आगरा, कानपुर और इलाहाबाद में बनाये जा रहे हैं । कानपुर पहले ही से इंडस्ट्री का एक बड़ा सेन्टर है । वहां पर इंडस्ट्रियल टाउन किस बात को मद्दे-नज़र रख कर बनाया जा रहा है, यह बात समझ में नहीं आती है । आगरा भी काफी उन्नतिशील है । वहां पर भी काफी इंडस्ट्रीज़ हैं । इलाहाबाद में यद्यपि कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वह काफी बड़ा शहर है और छोटे बड़े कई कल-कारखाने वहां पर भी हैं । यह तथ्य है कि ये तीन इंडस्ट्रियल टाउन्ज़ उन्हीं जगहों पर बनाये जा रहे हैं, जो पहले ही से काफी उन्नतिशील हैं । वे छः छः करोड़ रुपये की लागत से बनाये जा रहे हैं ।

इसी प्रकार इंडस्ट्रियल एस्टेट्स भी उन्हीं स्थानों पर बनाई जा रही हैं, जो कि पहले से ही उन्नतिशील हैं । वे आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, रुड़की, मेरठ और आगरा के पास ही एक स्थान पर बनाई जा रही हैं । इस सम्बन्ध में मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से बातचीत की और उनसे पूछा कि इन स्थानों का चुनाव किस प्रकार किया गया है । उन्होंने कहा कि स्थानों का चुनाव केन्द्रीय सरकार करती है और रुपया भी केन्द्रीय सरकार देती है । जहां वह चाहती है, वहां ही इंडस्ट्रियल टाउन्ज़ और इंडिस्ट्रियल एस्टेट्स बनाई जा रही है । मैंने उनसे कहा कि स्थानों का चुनाव आप कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, स्थानों का चुनाव केन्द्रीय सरकार ही करती है । इसलिये मैं आप का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के ग्यारह पूर्वी ज़िले हर साल बाढ़ के शिकार होते हैं । गवर्नमेंट करोड़ों रुपये बाढ़ के नियोजन में और अकाल पीड़ित आदमियों को खिलाने के वास्ते देती है लेकिन वहां पर सिवाय कुछ ज़िलों में चीनी के कारखानों के और कोई व्यवसाय नहीं है, और मैं समझता हूं कि अगर आप उन ग्यारह ज़िलों में से एक दो ज़िलों में नये व्यवसाय खोलने का निश्चय करते तो आप उनका बड़ा लाभ करते । सरकार का ध्यान ऐसे ज़िलों की तरफ जाना चाहिये था जहां कि हर साल बाढ़ें आया करती हैं और फसल ख़राब हो जाने के बाद वहां के लोगों में गेंहूं चना और चावल बांटा करती है । मैं आपको बताऊं कि कुछ क्षेत्रों में कुछ दिनों से खादी बोर्ड तथा श्री गान्धी आश्रम की तरफ से चर्खा का प्रचार है और उन क्षेत्रों में चर्खा प्रचार होने के कारण बाढ़ आने पर भी उनको इससे सहूलियत है और वह किसी का मुंह

†मूल अंग्रजी में ।

नहीं ताकते और अपने इस व्यवसाय से कुछ कमा लेते हैं। सरकार जो उनको दो आने फी गुंडी देती है उससे उन्हें सहायता मिलती है। इसी तरह मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गोरखपुर, देवरिया और बस्ती आदि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में दियासलाई, वेत, कम्बल और पल्प (गूदा) का व्यवसाय बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है क्योंकि उस क्षेत्र में काफी तादाद में लकड़ी, वेत व ऊन उपलब्ध है। इस तरह के पल्प और दियासलाई आदि बनाने के उद्योग ऐसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शुरू किये जाने चाहियें। हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मुंशी जी गोरखपुर में गये जब वहां पर अकाल पड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि हरियाली में अकाल कैसा। हमने उनको बताया कि जी हां हरियाली में अकाल पड़ता है क्योंकि हरियाली होने के साथ-साथ वहां की जनसंख्या भी काफी बढ़ी हुई है और चूंकि उन क्षेत्रों में खेतीबाड़ी के अलावा और कोई व्यवसाय नहीं चलता है इसलिये बाढ़ आने पर और सूखा पड़ने पर और फसल बर्बाद हो जाने के बाद सिवाय मुंह ताकने के और उनके पास कोई चारा नहीं रहता। यहां की आबादी करीब एक हजार फी वर्ग मील के हिसाब से है। राजस्थान और गुजरात की तरह यहां सूखा पड़ने के कारण अकाल नहीं आते हैं बल्कि इन हरियाले क्षेत्रों में अकाल आने का कारण वहां की घनी आबादी का होना है और मैं चाहता हूं कि सरकार इन क्षेत्रों में बड़े बड़े व्यवसायों के अलावा छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने की ओर ध्यान दे ताकि लोग दैवी विपत्ति पड़ने पर उन के द्वारा अपना पेट भर सकें। हम देख रहे हैं कि सरकार उन्हीं कस्बों और उन्हीं शहरों में और अधिक व्यवसाय शुरू करने जा रही है जो पहले से काफी उन्नतिशील हैं। अब कानपुर जैसे व्यवसायिक शहर में जो कि हिन्दुस्तान का लंकाशायर कहलाता है वहां और अधिक व्यवसाय खोलना मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि कानपुर की आबादी पहले ही करीब पन्द्रह लाख के हो चुकी है और वहां पर आप और नये व्यवसाय शुरू करके उस शहर के लिये एक गम्भीर और मुश्किल प्राब्लम खड़ी कर देंगे क्योंकि इस तरह कानपुर की आबादी दो, चार लाख और बढ़ जायेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से प्रान्तीय सरकारों को हिदायत भेजनी चाहिये कि वे ऐसे स्थानों पर जहां कि काफी घनी आबादी है जैसे गोरखपुर, बस्ती देवरिया और उत्तरी बिहार के इलाके, और जो कि अनडेवलप्ड पड़े हुये हैं और जिनकी ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, उनको डेवलप किया जाय और वहां पर नये नये उद्योग शुरू किये जायं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपने मंत्री महोदय का ध्यान उत्तर प्रदेश के उन पिछड़े और अनडेवल्प इलाकों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वे उनकी बाबत पुनर्विचार करें और प्रान्तीय सरकार को लिखें कि वहां पर नये व्यवसाय शुरू किये जायं। इसी तरह उत्तरी बिहार के इलाके के लिये जहां कि हमेशा बाढ़ें आया करती हैं और सूखा पड़ता है, वहां पर नई नई इंडस्ट्रीज खोली जांय ताकि वहां के निवासी दैवी आपत्ति आने पर बिलकुल बेसहारा न हो जायं और उन व्यवसायों के द्वारा अपना भरणपोषण कर सकें।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं सभा के कार्य के सम्बन्ध में कुछ घोषणा करना चाहता हूं। भारतीय चिकित्सा विधेयक के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं और उन पर अभी विचार हो रहा है इसलिये हम उस विधेयक को नहीं ले रहे हैं। हम इस सत्र में उसे बाद में लेंगे। इस विधेयक के बाद हम रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक को लेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : विधेयक की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : विधेयक की प्रतियां भेज दी गई हैं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : हम तो केवल चिकित्सा परिषद् विधेयक के लिये तैयार हो कर आए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—समाप्त

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा फिर उद्योग (विकास तथा विनियमन) विधेयक को लेगी ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५१ के उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक में जो बातें दी गई हैं, उनका हृदय से समर्थन करता हूं । देश के नियोजित विकास के लिये यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न उद्योगों पर अपना नियंत्रण रक्खे, इसका समर्थन करते हुए इस मौके से मैं लाभ उठा कर जैसा कि अभी हमारे माननीय मित्र श्री सिंहासन सिंह ने अपने उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए इलाके की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, मैं भी अपना कर्तव्य समझता हूं कि उत्तरी बिहार के इलाके जो कि अविकसित अवस्था में हैं और जहां पर उद्योग धंधों का अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ है, उनकी तरफ मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाऊंगा । मुझे इस बात की खुशी है कि अभी हमारे नौजवान मंत्री ने जो इस विभाग का कार्यभार संभाला है, इस बात के पूरे प्रयत्न में हैं कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से मिल कर उस इलाके के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने के बाद फिर वहां के विकास के लिये कदम उठायें । साथ ही साथ मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे हाल में बिहार जानकारी प्राप्त करने गये थे और विकास सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के हेतु वहां उन्होंने जो सभाएं बुलाई थीं तो आमतौर पर सब ने उत्तरी बिहार की पिछड़ी हुई और अनुन्नत अवस्था की ओर उनका ध्यान खींचा था और मुझे उम्मीद है कि वे यथाशीघ्र उत्तरी बिहार में उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकार के सहयोग से और राज्य की सरकार को इसमें प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी उपायों का अवलम्बन करेंगे । जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि बावजूद इस बात के कि किसी एक प्रान्त में कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर औद्योगिक विकास ज्यादा हो गया है, यह बात सही है, कि अब तक जो उद्योगधंधे हमारे देश में चलते रहे वह निजी क्षेत्रों में चलते रहें और प्राइवेट लोगों ने ही किये हैं । प्राइवेट लोगों के मन में ख्याल रहा है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा नफा पैदा करें । उनके सामने यह प्रश्न नहीं रहा है कि देश का या समाज का समुचित रूप से विकास कैसे होगा, उनके सामने सिर्फ यह ख्याल रहता है कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा नफा उठायें और इसलिये उनके सामने सारा चित्र कभी नहीं रहा । वे सदा यह देखते रहते हैं कि किस जगह से हमें सबसे कम मजदूरी पर मजदूर प्राप्त हो सकते हैं और कहां से हमें कम से कम खर्चे में कच्चा माल मिल सकता है । इसलिये यह जो विधेयक हमारे सामने आया है और इसके पहले जो कानून हमने पास किया है उद्योगों के विकास और नियन्त्रण के लिये उसके सम्बन्ध में हुए विवाद में कल जाहिर हो गया कि प्राइवेट (गैर-सरकारी) क्षेत्र से जब किसी उद्योग को चलाने के लिये आवेदनपत्र दिये जाते हैं तो उसमें बहुत देरी होती है । इसका कारण यह है कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग ऐसे क्षेत्र में जहां कि उनको काफी नफा हो सकता है वहीं पर जल्दी से जल्दी उद्योगों की स्थापना करवाना चाहते हैं और ऐसे क्षेत्रों में जहां कि व्यवसाय नहीं चलते और जहां कि उनको काफी नफे की सम्भावना नहीं रहती वहां के लिये जल्दी आगे नहीं बढ़ते और काफी देरी लगाते हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में स्वयं देखभाल करे और नये-नये व्यवसाय ऐसे पिछड़े स्थानों पर शुरू करे जहां कि उनकी जरूरत हो । मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उत्तरी बिहार का इलाका जो कृषिप्रधान प्रदेश है और जहां कि आबादी बहुत घनी है और जैसा कि अभी हमारे मित्र ने बतलाया कि वहां आये दिन बाढ़ें आया करती हैं और लोगों को अकाल का सामना करना पड़ता है, ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में अगर हम छोटे और बड़े व्यवसायों की स्थापना नहीं करते हैं तो कहा जायगा कि हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया । देश में उद्योगधंधों का विकास करने का मतलब यह होता है कि देश में धन बढ़े लेकिन अगर देश का धन

†मूल अंग्रेजी में ।

बढ़ता चला जाये और सामाज का एक छोटा सा अंग पुष्ट होता चला जाय और दूसरा अंग उसका बिल्कुल अपंग रहे और उसमें शक्ति न हो तो वह समाज नहीं चल सकता है। आज हालत यह बन रही है कि विभिन्न प्रान्तों में कहीं कहीं पर इतना औद्योगिक विकास हो गया है कि उसको देख कर हर कोई यह समझ सकता है कि हमारा देश औद्योगीकरण की दिशा में बहुत आगे बढ़ गया है लेकिन देश में ऐसे भी क्षत्र पड़े हैं जो अभी तक अविकसित हैं और जहां कि अभी तक व्यवसाय नहीं शुरू किये गये हैं और बाढ़ और सूखा पड़ने की अवस्था में वहां के लोग हाथ पर हाथ धर कर निठल्ले बैठे रहते हैं और उनके पास अपना पेट भरने के लिये कोई साधन नहीं होता है। इसलिये मैं इस मौके से लाभ उठा कर अपने नौजवान मंत्री महोदय का ध्यान ऐसे पिछड़े और अविकसित इलाकों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर कि उद्योग खोलने की तरफ अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है और राज्य सरकार भी चाहे रुपये पैसे के अभाव से अथवा और किसी कारणवश उन इलाकों में औद्योगीकरण करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने की हिम्मत नहीं करती है। मुझे आशा है कि हमारे नौजवान मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे और राज्य सरकार को इस विषय में जरूरी मदद, सलाह और हिदायतें देंगे।

इसलिये मुझे पूरा विश्वास है कि हालांकि वे बड़े धंधों के मंत्री हैं, लेकिन वे छोटे और बड़े धंधों का समिश्रण करते हुए जल्द से जल्द निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी उद्योगधंधे खोलने की कोशिश करेंगे और जो इलाके अविकसित हैं, जैसे उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उनकी ओर विशेष ध्यान देंगे। मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द कदम उठाये जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

†**डा० ज० न० पारिख** (झालावाड़) : मैं विधेयक का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं। एक अविकसित देश का विकास योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिये। औद्योगिक विकास से ही किसी देश की परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान हुआ करता है अनुज्ञप्ति समितियों के बारे में मैं यह कहूंगा कि लक्ष्यों में इतनी कठोरता न होनी चाहिये कि जिससे व्यर्थ में देरी हो। इसलिये इस सम्बन्ध में हमें कुछ ढील करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे नये मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि नियंत्रक के दफ्तर में बड़ा बिलम्ब होता है। अनुज्ञप्ति लेने के बाद भी पर्याप्त समय अन्य बातों में लग जाता है। नये काम आरम्भ करने में बिलम्ब नहीं होना चाहिये। कच्चे माल के परिवहन के प्रश्न पर भी ध्यान देना जरूरी है ताकि बिलम्ब कहीं भी न हो।

हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरम्भ कर चुके हैं। हम औद्योगिक विकास का काम कर रहे हैं--किन्तु हमें इस बारे में सन्तुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिये। हमें पता है कि प्रगति तो हुई है किन्तु अभी हमें बहुत प्रगति करनी है।

इसके बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ और उद्योगों के लेने का समय नहीं आया है विशेषतया तम्बाकू उद्योग का। उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। सौराष्ट्र और राजस्थान में नये उद्योग स्थापित होने चाहियें।

मैं कुछ शब्द विकास शाखा के बारे में भी कहूंगा। अभी बहुत काम करना बाकी है। उन्हें आवश्यक आंकड़े तथा सामग्री अपने पास रखनी चाहिये तथा कच्चे माल के परिवहन तथा स्थानों आदि के बारे में टेक्नीकल सलाह दें ताकि उससे लाभ हो। इससे नये उद्योगों के आरम्भ करने में भी बड़ा लाभ पहुंच सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान अवश्य देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** : (आन्तरिक मनीपुर) : मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि वह अविकसित क्षेत्र के विकास में पर्याप्त दिलचस्पी ले रहे हैं। भारत-पाक तथा आसाम की सीमा पर परिवहन की समस्या पर तुरन्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस इलाके के लोगों के फायदे के लिये फलों का यह क्षेत्र केन्द्रीय सरकार सम्भाल ले। आदिम जातियों के लोगों के कल्याण की कार्यवाही की जाये। वहां अच्छे संगतरे पैदा होते हैं। यदि वहां परिवहन की समस्या ठीक हो जाये तो इन्हें देश के अन्य भागों में भेजा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में इस समय ऐसी ही हालत है। इन सब इलाकों में फल पैदा होते हैं किन्तु परिवहन की असुविधा के कारण उन्हें बाहर नहीं भेजा जा सकता। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति सुधारने का कार्य जोरों से किया जाये।

†**श्री मूलचन्द दूबे** : (जिला फरुखाबाद–उत्तर) : मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत में कई नये उद्योग खोले गये हैं किन्तु उत्तर प्रदेश को छोड़ा गया है।

योजना को अवधि में अनुज्ञप्ति का तरीका जारी रखना आवश्यक है क्योंकि उसके बिना हमें वे उद्योग नहीं मिलेंगे जिनकी हमें जरूरत है। अनुज्ञप्ति देने में कम से कम समय लगना चाहिये।

†**श्री म० म० शाह** : श्रीमान् इस दूसरे अवसर पर स्थिति स्पष्ट करने के लिये मुझे बड़ी प्रसन्नता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने आज उठाई हैं उनके बारे में मैं पहले काफी कुछ कह चुका हूं।

यह सच है कि जैसा कि सौराष्ट्र के माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि देश में औद्योगिक विकास के साधान बहुत अधिक हैं किन्तु आज जो उत्पादन हो रहा है वह संभवतया दुनिया के औद्योगिक देशों के उत्पादन कीं अपेक्षा सब से कम ही है। हमें इस बात का भलीभांति पता है। मैं स्वयं देश की औद्योगिक विकास की हालत के बारे में असंतुष्ट हूं किन्तु जब हमें वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है तो बात दूसरी होती है। मैं समझता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास में जो लक्ष्य हमने रखे हैं वे संतोषजनक हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम इस मामले में संतुष्ट होकर बैठे हैं और यह अर्थ भी नहीं कि हमें अपने उद्योगों के कम विकास की खबर नहीं है; और न ही इसका अर्थ यह है कि हम अपने लक्ष्यों से आगे बढ़ना नहीं चाहते। जहां कहीं राज्यों में मैं गया हूं, मैं सदैव यही बात कहता गया हूं कि हमने जो लक्ष्य रखे हैं वे न्यूनतम हैं अधिकतम नहीं। जो लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखे गये हैं वह न्यूनतम हैं और देश के आर्थिक विकास के लिये यह प्रयास कम से कम है। इसका अर्थ यह है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये हैं उनसे आगे बढ़ने तथा उनसे अधिक उन्नति करने की गुंजाइश है।

जहां तक प्राकृतिक संसाधनों का सम्बन्ध है––हमारे संसाधन बहुत हैं। शायद ही इतने संसाधन किसी दूसरे देश के पास हों। इस सम्बन्ध में हम सौभाग्यशाली है। दूसरे मामलों में, जहां कच्चे माल से बढ़िया माल तैयार करना है वहां वित्त, टेकनिकल काम जानने वाले लोगों तथा मशीनरी की हमारे पास कमी है और उसे देखते हुए हमें अपने संसाधनों का उपयोग बहुत ही समझदारी से करना होगा। मैं समझता हूं कि सभा मेरी इस बात से सहमत है कि इन तीन मुख्य क्षेत्रों में इन संसाधनों के सदुपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिये। माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि यदि हमारे पास कुछ योजनायें आईं जो हमारे लक्ष्यों से अधिक हैं तो हम यह प्रयत्न करेंगे कि वे सारी की सारी मंजूर हो जायें। और हम सरकारी क्षेत्र में जो संसाधन बचा सके उन्हें हम अधिक औद्योगिक उत्पादन करने में प्रयुक्त करेंगे।

एक सुझाव यह था कि विकास शाखा टेकनिकल सेवा शाखा के रूप में काम करे। मैं इस विचार से पूर्णतया सहमत हूं। वास्तव में समय के साथ साथ विकास शाखा का काम निरन्तर बदलता ही जा

---

†मूल अंग्रेजी में।

रहा है। उस उद्देश्य को देखते हुए यह आरम्भ किया गया था और अब विकास शाखा का काम उद्योगों को विभिन्न प्रकार के आंकड़े तथा प्राविधिक मंत्रणा जो वे चाहते हों देना है।

किन्तु उसके अतिरिक्त हमने अभी हाल में विकास शाखा में चार प्रदेशीय मंडलियां बनायी हैं। प्रत्येक मंडली में एक औद्योगिक परामर्शदाता और चार औद्योगिक विकास पदाधिकारी हैं। इन पांच पदाधिकारियों का काम उस प्रदेश में रखे गये दो या तीन राज्यों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना तथा संबन्धित राज्य को या संबन्धित उद्योगपति को उस विशिष्ट उद्योग के सम्बन्ध में, जिसमें वह उद्योगपति या राज्य उन्नति करना चाहे, प्राविधिक मंत्रणा और आवश्यक आंकड़े देना होगा। ज्यों-ज्यों हम इस दिशा में अधिकाधिक प्रगति करते जायेंगे त्यों-त्यों इन मंडलियों को अधिक बड़ा बनाया जायगा। मुझे विश्वास है कि जब इन मंडलियों की उपयोगिता सिद्ध हो जायेगी और राज्यों में औद्योगिक विकास की सरकारी व्यवस्था अधिक कार्य करने लगेगी तब चार प्रदेशीय मंडलियों के स्थान पर हम दस या अधिक प्राविधिक मंडलियां भी बना सकेंगे ताकि नव पुनर्गठित भारत के प्रत्येक राज्य में एक विशेषज्ञ मंडली हो।

इन प्राविधिक मंडलियों की स्थापना के साथ-साथ हम राज्य सरकारों से इस ओर ध्यान देने के लिये भी कहते रहे हैं कि राज्य के उद्योग विभाग अधिक दृढ़ बनाये जायें। इस विशिष्ट क्षेत्र में प्रशासनीय पहलू की ओर अब तक बहुत कम ध्यान दिया गया है। मुझे सभा को यह बताने में हर्ष है कि अधिकतर राज्यों ने कहीं तीन, कहीं चार, और कहीं छः प्राविधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर, उद्योग विभागों को सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में हमारी मंत्रणा का स्वागत किया है। ये विशेषज्ञ प्राविधिक तरीके से उद्योग संचालक की सहायता करेंगे और वे स्थानीय उद्योगपतियों और प्रत्येक राज्य में उपलब्ध प्राविधिक विशेषज्ञों की सहायता से जिलेवार प्रादेशिक विकास का आयोजन करेंगे। जैसा कि मेरे मित्र श्री सिंहासन ने बताया, किसी राज्य का या देश का कोई भाग औद्योगिक विकास की उपयुक्त योजना के बिना नहीं रहना चाहिये। आशा है कि राज्यों में उद्योग विभागों के सुदृढ़ होने पर और औद्योगिक विकास परिषदों के बनने पर, जिनका सुझाव हमने राज्य सरकारों को दिया है और जिनमें प्रमुख उद्योगपति, प्रविधिक विशेषज्ञ और सरकारी पदाधिकारी रहेंगे और जिन्हें केन्द्रीय सरकार की प्रदेशीय मंडलियों से सहायता प्राप्त होगी, एक नवीन औद्योगिक वातावरण, औद्योगिक विकास की अधिक तीव्र गति उत्पन्न होगी जहां देश की प्रत्येक मंडली और प्रत्येक व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक कार्य करने की ओर प्रवृत्त होगा। इसीलिये मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि जो भी प्रस्थापनायें हमारे सामने आयेंगी और इस विकास की दिशा में जनता की सहायता के लिये जो भी प्रस्थापनायें हम बनायें, उनके लिये सभी सहायता दी जा रही है और दी जायेगी और कोई कसर उठा न रखी जायेगी। मैं इस प्रयत्न में, जिसके लिये वास्तव में इस समस्या के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण और जनता का संगठित प्रयत्न आवश्यक है, माननीय सदस्यों का और सारी जनता का सहयोग चाहता हूं।

आगे पूंजी निर्गम के बारे में बिलम्ब तथा अन्य दूसरी औपचारिकताओं का उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर और एक विशिष्ट प्रस्थापना पर मंजूरी देते हुए कितना और किस प्रकार समय लगता है, मैंने कल काफी विस्तार से विवेचन किया था। मैंने यह भी बताया था कि अभी कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हुए हैं। हमारे जितने बड़े देश में जहां सालाना ६०० से ९०० आवेदन-पत्र मंजूर किये जाते हैं, अक्तूबर में, वस्त्र मिलों और रोलिंग मिलों सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को छोड़कर, केवल १७६ आवेदन-पत्र विचाराधीन थे और संभवतः इस महीने के आखिर में ५० से कम या ५० से ७५ के बीच ऐसे आवेदनपत्र होंगे जिनका निबटारा नहीं हुआ है। आशा है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हम जितनी प्रस्थापनायें मंजूर करते हैं और उनकी मंजूरी में जिन अनेक औपचारिकताओं को अवश्य ही पूरा करना होता है, उसे देखते हुए यह संख्या बहुत बड़ी नहीं है। संसद् ने

[श्री म० म० शाह]

सरकार को आंख मूंद कर ये आवेदनपत्र स्वीकार करने का काम नहीं सौंपा है बल्कि उसे इन आवेदन-पत्रों की उचित छानबीन करनी पड़ती है और इस ओर ध्यान देना होता है कि प्रादेशिक विकास उचित स्थानों पर ही हो ।

उत्तर प्रदेश के श्री श्रीनारायण दास तथा श्री सिंहासन सिंह और उत्तर बिहार के एक मित्र ने कहा था कि प्रादेशिक विकास को उचित प्राथमिकता और उसकी ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये । मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रादेशिक विकास राष्ट्रीय विकास का मुख्य अंग है और प्रादेशिक विकास की ओर ध्यान दिये बिना राष्ट्रीय विकास समरूप में नहीं किया जा सकता । अतः मैं सदा ही इस बात पर जोर देता रहा और मंत्रालय में भी हम इस विषय पर अधिक ध्यान देते रहे कि देश के प्रत्येक भाग का उसके प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से अधिकतम विकास किया जाये क्योंकि एक स्थान में गरीबी रहती है तो अन्य स्थानों में समृद्धि नहीं हो सकती। यही बात समृद्धि के बारे में भी है। हम सभी को प्रत्येक काम में सहभागी होना चाहिये । मैं यह देखने का यथासंभव प्रयत्न करता रहा कि कौन-सा क्षेत्र अधिक उन्नत और कौन-सा क्षेत्र अधिक पिछड़ा हुआ समझा जाये किन्तु सम्पूर्ण देश की यात्रा करने के बाद मेरा यह दृढ़ मत है कि कुछ बड़े शहरों को छोड़ कर सभी क्षेत्र, चाहे वे किसी भी राज्य के हों, औद्योगिक विकास की दृष्टि से अर्ध विकसित और पिछड़े हुए हैं ।

†**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** : (गुड़गांव) : पंजाब का क्या हाल है ?

†**श्री म० म० शाह** : पंजाब और पैप्सू भी इसलिये आर्थिक विकास के अनुकूलतम स्तर तक पहुंचने के पहले माननीय सदस्यों को, इस देश की जनता को, सरकार को, तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमी व्यक्तियों को महान और संगठित प्रयत्न करना होगा । अतः मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं और मेरा मंत्रालय प्रादेशिक विकास के स्थान और नये उद्योगों के स्थानों के विषय पर ध्यान देंगे । इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि उद्योगों के स्थान के विषय में निदेश देना केवल सरकार पर ही निर्भर नहीं है । जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, सर्वप्रथम, प्रस्थापनायें उद्योगपतियों से प्राप्त होनी चाहियें । वे अधिकतर कच्चा माल या बिजली या परिवहन मिलने की दशा से प्रभावित होते हैं । अनुज्ञापन समिति केवल इतना ही कह सकती है कि उपक्रमी एक विशिष्ट स्थान की बजाये, जहां पहले ही कई उद्योग हों, कोई दूसरा स्थान चुने । किन्तु एक ऐसे देश में जहां संघ सरकार हो, केन्द्र के लिये यह निदेश देना कि अमुक राज्य के बजाय, अमुक राज्य में उद्योग स्थापित किया जाये, बहुत कठिन होगा । उससे विकास में सुविधाओं की बजाय अधिक अड़चनें पैदा होंगी । वास्तव में यह राज्य सरकारों का, इस सभा के सदस्यों का विभिन्न राज्यों के विधान-मंडलों के सदस्यों का और विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों का काम है कि वे इस ओर ध्यान दें कि सारे देश में संगठित प्रयत्न किया जाये और एक औद्योगिक वातावरण बनाया जाये और प्रत्येक समुदाय जो भी प्रयत्न करेगा उसमें औद्योगिक विकास में सहायता देना हमारा कर्तव्य होगा । सरकार की ओर से मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि जहां कहीं ऐसे प्रयत्न किये जायेंगे, हम यथाशक्ति उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे ।

मनीपुर के मेरे माननीय मित्र श्री जोगेश्वर सिंह ने फल परिरक्षण उद्योग का उल्लेख किया था । प्रशुल्क संशोधन विधेयक पर कल भाषण करते हुए मैंने इस सम्बन्ध में कहा था कि इस उद्योग को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और खास कर उन क्षेत्रों में अधिक जहां कि परिवहन की बहुत कठिनाइयां हैं और जहां की मुख्य फसल इन फलों या दूसरी चीज़ों की तरह होती है । अभी हाल आसाम में मैं खासी और आसाम पहाड़ी आदिम जातियों क प्रतिनिधियों से मिला था और मैंने उन्हें बताया कि यदि आसाम या अन्य भागों में फल विकास या फलों को डिब्बों में बन्द करने के उद्योग के

†मूल अंग्रेजी में ।

सम्बन्ध में प्रस्थापनायें सरकार को मिलती हैं तो हम न केवल उनके विकास के लिये बल्कि वित्तीय सहायता भी देने का प्रयत्न करेंगे । प्रशुल्क संशोधन विधेयक पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कल मैंने कहा था कि भारत सरकार ने फल परिरक्षण उद्योग के लिये उसमें काम आने वाली टीन की प्लेटों पर ५०० रुपये प्रति टन की सहायता देने का निश्चय किया है । सहकारी उपक्रम के सम्बन्ध में, यदि वह फल परिरक्षण उद्योग की सहकारी संस्था या संगठन हों तो कहीं अधिक वित्तीय और प्राविधिक सहायता दी जायेगी । इस उद्योग के विकास की ओर ध्यान देने के लिये एक मंडल नियुक्त किया गया है और चीनी तथा टिन प्लेट बनाने के सम्बन्ध म भी मैं कल बता चुका हूं कि सरकार ने क्या-क्या किया है । खास कर इस उद्योग के विकास के लिये हमने हाल ही में १७५ लाख रुपये मंजूर किये हैं । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि यदि वे इस उद्योग के विकास में थोड़ी और दिलचस्पी लें, तो हम यथासंभव सभी सहायता दे सकेंगे ।

मैं समझता हूं कि मैंने अधिकतर बातों का उत्तर दिया है । जहां कहीं बिलम्ब, वैध या अवैध की संभावना हो, मैं केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि यदि ये चीजें मेरे ध्यान में लायी जायें, तो मैं हमेशा उन पर ध्यान दूंगा और सभी संभव सहायता दूंगा । यदि लोग मेरे पास आयें या मुझे अलग-अलग आवेदनपत्रों पर विचार करना पड़े तो भी मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि रोग के उचित निदान या विश्लेषण के बिना अधिक सहायता करना कठिन होगा । सामान्य तौर पर हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं । किन्तु यदि माननीय सदस्य औद्योगिक विकास और उसकी परियोजनाओं में अधिक दिलचस्पी लेना शुरू करें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके द्वारा प्रस्तुत योजनाओं में मैं भी उतनी ही दिलचस्पी लूंगा । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक के पारित किये जाने का अनुरोध करता हूं ।

†**श्री मूलचन्द दुबे** : उत्तर प्रदेश म भारी औद्योगिक माल तैयार करने के उद्योग स्थापित करने क सम्बन्ध में सरकार के पास कौन सी योजनायें हैं ?

†**श्री म० म० शाह** : मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जहां तक सरकारी क्षेत्र और भारी उद्योगों का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में रिहन्ड नामक स्थान पर अलमुनियम तैयार करने के लिये और बरेली के आसपास संश्लेषित रबड़ का एक कारखाना बनाने की प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं । रेलवे मंत्रालय भी रेलवे का कुछ सामान उत्तर प्रदेश में तैयार करने के लिये कुछ कर रहा है । भारी उद्योगों के आयोजन और उनके वितरण के सम्बन्ध में भी हम बार-बार इस बात पर बल देते रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में भी, विभिन्न मंत्रालयों और खास कर हमारे मंत्रालय के आयोजकों को भारी उद्योगों का प्रोदेशिक वितरण सदा ही ध्यान में रखना होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा का कार्य

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : (चितौड़) : मुझे एक निवेदन करना है । हम लोग यह नहीं समझते थे कि रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक आज ही रख दिया जायेगा । यदि सभा के लोगों की सामान्य राय हो तो कम से कम आज यह सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित की जा सकती है क्योंकि इस विधेयक पर बोलने वालों को फिर मध्याह्न भोजन के लिये समय नहीं मिल सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : चिकित्सा परिषद् विधेयक के लिये १० घंटे नियत किये गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्री से भाषण आरम्भ करने के लिये कहता हूं । क्योंकि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य २–३० बजे आरम्भ होगा ।

†**श्री कामत** : एक घंटे तक ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि समय हुआ ।

अब सभा दूसरे विधेयक पर चर्चा आरम्भ करेगी ।

रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों द्वारा कुछ तीर्थ-स्थानों को अथवा उन स्थानों को जहां पर्व, मेले अथवा प्रदर्शनियां होती हैं, ले जाये गये यात्रियों पर सीमा-कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सम्भवत: माननीय सदस्यों को विदित है कि रेलवे द्वारा ले जाये गये यात्रियों पर लगे सीमा-कर जो इस समय लागू "तीर्थ यात्री कर" है, उन व्यक्तियों पर लगाये हैं जो विशिष्टि तीर्थ-स्थान को जाते या वहां से वापस आते हैं । ये रेलवे-भाड़े के एक अंश के रूप में वसूल किये जाते हैं । इसमें अपवाद केवल हावड़ा के बारे में वसूल किये कर का है क्योंकि हावड़ा तीर्थयात्रा का केन्द्र नहीं है । ये तीर्थ-यात्री कर १–४–१९३७ से पूर्व पारित किये गये स्थानीय अधिनियमों के द्वारा लगाये गये थे और इसी तारीख को भारत सरकार अधिनियम, १९३५ लागू किया गया था । इस अधिनियम से रेलवे द्वारा ले जाये गये व्यक्तियों पर लगाये गये सीमा-करकेन्द्र का विषय बन गया किन्तु साथ ही रेलों द्वारा ले जाये गये व्यक्तियों पर उस समय तक विद्यमान सीमा-कर लागू रखने का अधिकार मिल गया जब तक कि केन्द्रीय विधान-मंडल इसके विपरीत कोई उपबन्ध न बनाये । संविधान में भी रेलवे द्वारा ले जाये गये यात्रियों पर लगा सीमा-कर संघ सूची में रखा गया है किन्तु अनुच्छेद २७७ के परित्राणात्मक उपबन्ध के द्वारा राज्यों, नगरपालिकाओं अथवा स्थानीय निकायों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे पहले से विद्यमान सीमा-करों को बनाये रखें । इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी किसी नये सीमा-कर लगाने अथवा विद्यमान सीमा-कर में वृद्धि करने की आवश्यकता इस कारण उत्पन्न हुई कि स्थानीय निकाय ने अभ्यावेदन किया कि किसी तीर्थ-स्थान पर अधिक संख्या में यात्रियों के आने के कारण स्वास्थ्य और सफाई के कार्यों पर अधिक व्यय किया जाना चाहिये तो कुछ मामलों में विशेष विधान बनाने अथवा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है । इस कारण उत्पन्न होने वाले मामलों का थोड़े-थोड़े करके निबटाया जाना संतोषजनक कार्य नहीं है और जिन राज्य सरकारों से परा-मर्श लिया गया था वे इस बात से सहमत थीं कि इस सम्बन्ध में ऐसा सामान्य विधान बनाना चाहिये जिससे किसी भी स्थान विशेष को उन रेलवे स्टेशनों की सूची में सम्मिलित किया जा सके जिन पर केन्द्रीय सरकार के एक अध्यादेश द्वारा सीमा-कर लगाया जा सकता हो अथवा उसमें वृद्धि की जा सकती हो । इस मामले में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से कार्य करेगी ।

इस समय तो केवल यात्रियों पर सीमा-कर लगाने का विचार है जो रेलवे द्वारा पर्वों, मेलों अथवा प्रदर्शनियों के स्थानों को जाते हैं । समारोहों के अवसरों पर तीर्थयात्री तथा अन्य व्यक्ति स्थानीय

---

†मूल अंग्रेजी में ।

निकायों के द्वारा जो अधिक सफाई अथवा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें चाहते हैं, तो ऐसा तभी उचित होगा जब कि विशिष्ट स्थानों की भांति उन स्थानों पर भी रेलवे-भाड़े के साथ ऐसे निकायों के वित्त में भी कुछ राशि बढ़ा दी जाये, जिसमे उन निकायों के सीमित साधनों में कुछ वृद्धि हो सके ।

इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया है । विधेयक के विधि बन जाने के बाद विभिन्न राज्यों के इस प्रकार के विद्यमान सीमा-कर समाप्त हो जायेंगे और उस अधिसूचना में सम्मिलित कर दिये जायेंगे जो अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार जारी करेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है । किसी सदस्य ने संशोधन की सूचना नहीं दी है ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : इसकी तो सोमवार को आशा की जाती थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य विधेयकों के बारे में कई संशोधनों की सूचना दी गई है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा–मध्य) : विधेयक का समर्थन करते हुए भी मैं विभिन्न राज्यों तथा स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये विद्यमान करों के बारे में जानना चाहता हूं जिससे हम यह जान सकें कि अधिकतम कर किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

रेलें यह कर किस प्रकार लगाती हैं, यह जानना हम लोगों के लिये आवश्यक है । प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के लिये यह कर क्रमश: १ रु० ८ आना तथा ८ आना निश्चित किया गया है । इस बारे में भारत सरकार को इससे पहले ही विधान बनाना चाहिये था । किसी काम को कभी न करने के बजाय देर से भी करना अच्छा होता है । मैं जानना यह चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों में रेलें यह कर किस प्रकार वसूल करती हैं और विभिन्न प्राधिकार इसको किस प्रकार व्यय करते हैं ।

खण्ड ९ में जहां तीन वर्ष तक के बच्चों तथा अन्य कुछ व्यक्तियों को छूट दी गई है वहां संसद् सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये था, क्योंकि वे भी पास द्वारा यात्रा करते हैं । कठिनाइयों को बचाने के लिये इस चीज को मद (घ) में सम्मिलित कर लेना चाहिये जिससे विधिक कठिनाइयां न पैदा हों ।

अधिसूचित स्थान से चालीस मील के व्यास के यात्रियों को भी इस कर से छूट दी गई है । इस सम्बन्ध में मेरी राय यह है कि चालीस मील के बजाय यह दूरी ५० मील कर दी जाये । यही मेरा संशोधन है ।

केन्द्रीय सरकार ने कम दूरी १५० मील और अधिक दूरी १५० मील से अधिक निश्चित की है । इस बारे में भी मेरा सुझाव यह है कि कम दूरी २०० मील और अधिक दूरी २०० मील से ऊपर समझी जानी चाहिये ।

इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि इस प्रकार का विधान बनाने की शक्ति भी सभा को प्राप्त है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर उचित ध्यान दिया जायेगा ।

†**श्री कामत** : अभी मुझे दक्षिण में पलानी नामक तीर्थ-स्थान में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था । वहां की नगरपालिका और पंचायत ने मुझे कहा कि मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री कामत]

करूं कि वहां जितनी अधिक संख्या में यात्री आते हैं, उनके लिये उचित व्यवस्था करने के लिये उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता। इस कारण वे यह चाहते हैं कि यात्री कर लगाने की अनुमति उन्हें दी जाये। मैं नहीं कह सकता कि मंत्री महोदय को कोई प्रत्यक्ष अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, अथवा नहीं, किन्तु मैं इस ओर उनका ध्यान अवश्य आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं श्री श्रीनारायण दास की इस बात का समर्थन करता हूं कि इस सम्बन्ध में हमें पर्याप्त आंकड़े और अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। मंत्री महोदय नीचा मुंह किये हुए थे इस कारण मैं जो कुछ थोड़ा बहुत सुन सका वह यह है कि इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये पर्याप्त सामग्री नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि सब से पहले सीमा-कर लगभग २० वर्ष पूर्व १ अप्रैल, १९३७ को लगाया गया था।

†**श्री अलगेशन** : मैंने कहा था कि स्थानीय अधिनियमों के अधीन यह १-४-१९३७ तक चलता रहा।

†**सभापति महोदय** : उद्देश्य तथा कारणों की विवरण की तृतीय पंक्ति में भी यही कहा गया है।

†**श्री कामत** : जैसा कि मेरे माननीय मित्र पूछ चुके हैं कि वास्तव में यदि यह जानकारी बताई गई होती कि आज कितने स्थानों में यह कर लगा हुआ है और हाल के वर्षों में कितनी राशि वसूल की गई तथा किस प्रकार उसे व्यय किया गया, तो उससे कुछ लाभ भी होता अन्य विधेयक के कारण हम लोग यह सब न पूछ सके अन्यथा इस विषय पर जोरदार चर्चा होती।

पिछले पूर्ण कुम्भ के अवसर पर सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा इलाहाबाद जानेवाले यात्रियों पर यह कर लगाया था। हमने उस पर कोई आना-कानी नहीं की थी। यद्यपि मैं इस सभा का सदस्य होकर बाद में आया हूं। उक्त अवसर पर कर लाखों रुपये कर वसूल करने पर भी कैसा बढ़िया प्रबन्ध हुआ था यह शायद हम सभी भली भांति जानते होंगे। न जाने कितनी संख्या में निरीह व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रकार के कर का सदुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करें। इस बारे में हमें स्पष्ट आंकड़े दिये जाने चाहिये कि केन्द्रीय सरकार को कितनी आय हुई जिसमें से राज्य सरकार को उचित व्यवस्था करने आदि के लिये कितनी राशि दी गई।

इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि पिछले १९५३ के पूर्ण कुम्भ के अतिरिक्त इससे पहले और कितनी बार ऐसे बड़े-बड़े मेलों पर यह कर लगाया जा चुका है। पर्याप्त आंकड़े आदि दिये बिना इस प्रकार के विधेयक पर सहमति देने के लिये सभा से कहना अनुचित है। मैं श्री उ० मू० त्रिवेदी द्वारा उठाई गई बात का समर्थन करके यह कहूंगा कि इस चर्चा को अभी यहीं पर रोक कर अगले सप्ताह में विदेशी मामलों पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद इस पर चर्चा की जा सकती है।

†**सभापति महोदय** : श्री कामत ने जो कुछ कहा है उसे ध्यान में रखते हुए, क्या माननीय मंत्री कोई ऐसी सामग्री सभा को दे सकेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां।

†**सभापति महोदय** : मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर और अधिक चर्चा करने से कोई लाभ नहीं निकलेगा। माननीय मंत्री इस बारे में सामग्री देने को तैयार हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी इस सम्बन्ध में और आगे चर्चा करने से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अतः मैं चर्चा स्थगित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अलगेशन** : चर्चा के सम्बन्ध में मेरा उत्तर यह था कि मैं यह जानकारी उपलब्ध कराऊंगा।

†**श्री कामत** : यह जानकारी तो आरम्भ में ही दी जानी चाहिये थी।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री मांगी गई जानकारी देने को तैयार हैं फिर भी वर्तमान दशा में इस विधेयक पर उचित रूप से चर्चा नहीं हो सकेगी। अतः मैं चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा स्थगित कर दी जाये और मंत्री महोदय इस बीच वह जनकारी सभा को दे दें। वास्तव में कितना धन वसूल किया गया था उसको किस प्रकार व्यय किया गया तथा भविष्य में किस प्रकार व्यय करने का विचार है, ये प्रश्न बड़े युक्तियुक्त हैं। अतः मैं इस विषय पर चर्चा स्थगित करता हूं।

क्या माननीय मंत्री यह चाहते हैं कि हम दूसरे विधेयक पर चर्चा आरम्भ करें ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं तैयार हूं।

†**सभापति महोदय** : मंत्री महोदय तो इसके लिये तैयार हैं किन्तु सभा में कम सदस्य उपस्थित हैं।

†**श्री दातार** : स्थगित करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**सभापति महोदय** : मैं समझता हूं कि उचित रूप से चर्चा करने की दृष्टि से इस विधेयक को स्थगित कर देना उचित होगा। अतः सभा २-३० म० प० तक के लिये स्थगित की जाती है।

†**एक माननीय सदस्य** : इस प्रकार इस विधेयक पर २-३० म० प० पर पुनः चर्चा आरम्भ की जायेगी।

†**सभापति महोदय** : जी, नहीं। उस समय गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ किया जायेगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा ढाई बजे तक के लिये स्थगित हुई।

लोक-सभा ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बासठवां प्रतिवेदन

†**श्री रघुनाथ सिंह** (जिला बनारस—मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बासठवें प्रतिवेदन से जो कि सभा में १५ नवम्बर, १९५६ को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बासठवें प्रतिवेदन से, जो कि सभा में १५ नवम्बर, १९५६ को प्रस्तुत हुआ था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षणों के बारे में संकल्प—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री गिडवानी द्वारा ३१ अगस्त, १९५६ को प्रस्तुत किये गये नाभिकीय और ताप-नाभिकीय परीक्षणों सम्बन्धी संकल्प पर और आगे विचार करेगी। श्री गिडवानी अपने भाषण को जारी रखें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या डा० दास वैदेशिक कार्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : मैं कम से कम सरकारी पक्ष का तो प्रतिनिधित्व करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी ने अपनी स्थिति समझा दी है । अब श्री गिडवानी अपना भाषण प्रारम्भ करें ।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : मैंने इस संकल्प को प्रस्तुत करते समय यह कहा था कि यदि इस संकल्प की भाषा थोड़ी बहुत बदल भी दी जाये तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं । परन्तु जहां तक इसके वास्तविक उद्देश्य का सम्बन्ध है , उसके बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता । आज सारा संसार, यह चाहता है कि इस प्रकार के मानवता विनाशक अस्त्रों के परीक्षणों को शीघ्रातिशीघ्र रोक दिया जाये । अतः सभा से मेरी प्रार्थना है कि वह इस गम्भीर विषय पर अच्छी प्रकार से विचार करे ।

इस संकल्प के प्रथम भाग में मैंने यह प्रार्थना की है कि नाभिकीय और ताप-नाभिकीय परीक्षणों तथा विस्फोटों के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभावों तथा भयंकर प्रतिक्रियाओं की खोज करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक आयोग की स्थापना की जाये । बिल्कुल यही विचार वाशिंगटन विश्वविद्यालय के २४ वैज्ञानिकों ने भी प्रकट करते हुए यह कहा है कि उस प्रकार के नाभिकीय परीक्षण मानव-जाति के लिये अत्यन्त भयंकर तथा हानिकारक सिद्ध होंगे ।

२४ अक्तूबर के "एल पासो" नामक पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि अणुशक्ति विषयक अमरीकी कांग्रेस की संयुक्त समिति के सभापति ने बताया है कि अमरीका ने इतना बड़ा उद्जन बम बना तो लिया है परन्तु वह उसका प्रयोग शत्रु के शहरों पर इस भय से नहीं कर सकता कि उससे स्वयं अमरीकी जनता के नष्ट हो जाने का खतरा है । इसी प्रकार से २५ अक्तूबर के न्यूयार्क से यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि ६० वर्षीय डा० कोयर बेर की मृत्यु आणविक तरंगों के ही कारण से हुई थी ।

फिर १९ सितम्बर को टोकियो से यह समाचार मिला है कि अन्तरिक्ष शास्त्रीय बोर्ड के एक प्रवक्ता ने यह समाचार दिया है कि वर्षा के जल में रेडियो धर्मिता विद्यमान है, अतः उस जल को पीना खतरनाक है और उस रेडियो धर्मिता का कारण १० सितम्बर को किया गया नाभिकीय परीक्षण है । अन्तरिक्ष शास्त्रीय बोर्ड ने बताया है कि जापान के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले समाचारों से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि जिस दिन नाभिकीय परीक्षण हुआ था, उसी दिन से वहां पर रेडियो धर्मिता का स्तर बढ़ता जा रहा है ।

इन सभी समाचारों से यही प्रतीत होता है कि संसार के समस्त वैज्ञानिकों और डाक्टरों का यही मत है कि नाभिकीय परीक्षण तथा विस्फोट मानवता के लिये कितने घातक हैं, और उन्हें रोकना कितना आवश्यक है ।

अमरीका के राष्ट्रपति के पद के पराजित अभ्यर्थी श्री अदलाई स्टीवेन्सन भी इसी मत के समर्थक हैं, और उन्होंने राष्ट्रपति आईजनहावर से यह प्रार्थना की थी कि वे उद्जन बमों के परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न करें ।

इसी प्रकार से नागासाकी में एक विश्व सम्मेलन हुआ था जिसमें एक संकल्प पास किया गया था । उस संकल्प में अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन द्वारा किये जा रहे अणु बम तथा उदजन बम के परीक्षणों

---

†मूल अंग्रेजी में ।

की घोर निन्दा की गयी है और संयुक्त राष्ट्र संघ से यह प्रार्थना की गई है कि वह इन परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दे ।

बम्बई में इसी मास में एक एशियायी समाजवादी सम्मेलन हुआ है, उसमें भी एक संकल्प पारित किया गया है जिससे संसार के बडे-बडे राष्ट्रों से यह प्रार्थना की गयी है कि वे इन परीक्षणों को रोकने का प्रयत्न करें ।

काठमण्डू में जो चतुर्थ विश्व बौध सम्मेलन हुआ था, उसमें भी यही मांग की गयी थी । इन सब उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि आज सारा संसार इन भयंकर तथा मानव नाशक अस्त्रों के कितना विरुद्ध है ।

१९५४ में हिरोशिमा में अणु बमों तथा उद्जन बमों के प्रयोग के विरुद्ध जो प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिये मैं स्वयं वहां गया था और मैंने वहां की स्थिति को स्वयं अपनी आंखों से देख कर समझने का प्रयत्न किया है । मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां पर जब बम गिरा था तो उससे १,५०,००० व्यक्ति एक मिनट में मर गये थे । उस विस्फोट के परिणामस्वरूप नगर के सभी वृक्ष जल गये थे, इस समय केवल एक ही पुराना वृक्ष जीवित है । उस समय इतनी गर्मी पैदा हुई थी कि लोगों ने उससे बचने के लिये नदियों में छलांगे लगा दीं ।

मैंने रैडक्रास के हस्पताल में भी जाकर देखा है कि उस विस्फोट के परिणामस्वरूप लोगों को विभिन्न प्रकार की भयंकर बीमारियां पैदा हो गयी हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : (एलुरू) : यह तो शव परीक्षामात्र है ।

†**श्री गिडवानी** : मैंने वहां के अणु बम मृत्यु समिति के अमरीकन डाक्टर से भी इस बात का पूरा-पूरा पता लगाने का प्रयत्न किया । उसने बात को बहुत घटा कर बताने का प्रयत्न किया । परन्तु यह तो उसने भी स्वीकार किया कि उस विस्फोट के परिणामस्वरूप ७५,००० व्यक्ति मर गये थे ।

अतः इतने भयंकर बमों पर प्रतिबन्ध लगाना अनिवार्य है । यदि वे देश जिनके पास ये बम हैं, इन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाते तब तो संसार का भविष्य अंधकारमय ही है ।

सम्भव है कि यह संकल्प परिपूर्ण या उपयुक्त न हो । यदि सरकार इसमें उपयुक्त परिवर्तन करे, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । हाल की घटनाओं से प्रकट हो गया है कि सत्तारूढ़ कुछ व्यक्ति कयामत ढा सकते हैं । समान्यतया जनसाधारण ऐसे परीक्षणों के विरुद्ध है । वे युद्ध व हत्या करने के विरुद्ध है । हमारी संसद् इन परीक्षणों के विरुद्ध अपना मत पहले ही प्रकट कर चुकी है तथा हमारी सरकार भी अणु बम और उद्जन बम के प्रयोग के विरुद्ध है । मुझे इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि इस संकल्प को क्यों स्वीकार न किया जाय । अतः मैं माननीय मंत्री से इस संकल्प पर विचार करने व इसे या किसी वैकल्पिक संशोधन को स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

दो संशोधनों की पूर्व सूचना दी गई है । क्या माननीय सदस्य उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं ?

†**श्री रघुबीर सहाय** (जिला एटा–उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं–पूर्व) : मेरा प्रस्ताव है कि मूल संकल्प के स्थान पर मेरा संकल्प रखा जाये जिसमें यह उल्लेख है कि यह सभा सिफारिश करती है कि भारत सरकार शीघ्र ही जल-थल पर नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षणों का विरोध करने वाले देशों की एक कान्फ्रेंस का आयोजन करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर): मेरा प्रस्ताव है कि मूल संकल्प के स्थान पर मेरा संकल्प रखा जाये जिसमें यह उल्लेख है कि यह सभा सिफारिश करती है कि भारत सरकार उन देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाये जो नाभिकीय और ताप-नाभिकीय परीक्षणों को रोकना चाहते हैं तथा इस बैठक का उद्देश्य इन परीक्षणों को रोकने के लिये व्यावहारिक उपाय खोजना हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मुख्य संकल्प और संशोधन सभा के समक्ष हैं। संकल्प के प्रस्तावक चर्चा का उत्तर देने के लिये कितना समय लेंगे ?

†**श्री गिडवानी** : लगभग पांच मिनट।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या उत्तर के लिये लगभग आधा घण्टा नहीं होना चाहिये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: पन्द्रह से बीस मिनट तक।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब, माननीय सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारे नियमों में संकल्पों पर बोलने के लिये माननीय सदस्यों के लिये पन्द्रह मिनट निर्धारित हैं।

†**श्री चट्टोपाध्याय** (विजयवाड़ा): मैं इस सभा में तथा संसार में नाभिकीय अस्त्रों के प्रयोग के विरुद्ध व्यक्त किये गये मतों में अपना मत जोड़ना चाहता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि शैतान के कारखान में बनी वस्तुओं में नाभिकीय अस्त्र सर्वाधिक भयानक वस्तु है। फिर, यह विचार करना अविश्वसनीय है कि कुछ लोग मानवता के विरुद्ध उनका प्रयोग करने का हठ करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस समय यह निश्चित है कि भारत मानवता को विनाश से बचाने के लिये ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी कि वह सदैव करता रहा है तथा जिससे उसका सारा इतिहास भरा पड़ा है। हमारा एक महान् उद्देश्य है तथा हमारे प्रधान मंत्री हम सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्ध जयन्ती होने वाली है और यह आदर्श समय है जब कि भारत मानवता की सहायता कर सकता है तथा उसे शांति का सर्वोत्तम उपहार दे सकता है। हमारे प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने श्री कामत को उत्तर में कहा था कि "जहां तक मैं देखता हूं, ये सारे देश, जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, ये परीक्षात्मक विस्फोट करते रहे हैं। उन्होंने आशा प्रकट की है कि कभी न कभी वे इसे बन्द कर देंगे, परन्तु डरते हैं कि यदि एक राष्ट्र बन्द कर देता है तो अन्य राष्ट्र उसका लाभ उठायेंगे।" यह बहुत ही दुःखद बात है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत जो कार्यवाही कर रहा है, वह भारत को मानवता का प्रतिनिधित्व करने योग्य बनाती है तथा भारत को इस योग्य बनाती है कि वह मानवता को विनाश से बचा सके।

श्रीमान्, मैं एक बार फिर सभा से इस संकल्प को स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं। मैं देश तथा प्रधान मंत्री से भी प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात का ध्यान रखें कि शांति के स्वर्ण देवता, गौतम बुद्ध की जयन्ती के उत्सव पर भारत की आवाज पर अवश्य ध्यान दिया जाये। मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री अपनी आत्मा तथा जनता की इस मांग की पूर्त्ति करने में पीछे नहीं हटेंगे। आशा है कि भारत इस अवसर से लाभ उठायेगा तथा इन नाभिकीय परीक्षणों को रोकने, उद्जन व अणु बमों को नाश करने और मानवता को सुरक्षित, प्रसन्न एवं प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न करेगा।

†**श्री रघुबीर सहाय** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प के भाव से पूर्णतया सहमत हूं। फिर भी, मैं इसकी भाषा को पसन्द नहीं करता। अतः मैंने अपना स्थानापन्न संकल्प प्रस्तुत किया है। आप देखेंगे कि संकल्प का प्रथम भाग नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षणों के प्रभाव तथा उनसे हुई एवं सम्भव हानि की मात्रा की जांच-पड़ताल करने के लिये वैज्ञानिकों के एक आयोग की स्थापना की

†मूल अंग्रेजी में।

मांग करता है, तथा इसके साथ ही उल्लेख है कि "परीक्षण एवं विस्फोट जो मानवता के लिये भयानक और घातक होते जा रहे हैं।" मेरा निवेदन है कि ये दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं तथा संकल्प के इस भाग के रहने से संकल्प का उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा। यही कारण है कि मैंने अपना संशोधन रखा है। ६ अगस्त, १९४५ के बाद अणु बम बहुत ही परिचित नाम हो गया है। हम जानते हैं अब तक दो अणु बमों का प्रयोग किया गया है और उन विस्फोटों में १,०२,००० व्यक्ति मारे गये थे एवं ६०,००० व्यक्ति घायल हुये थे। इतने पर भी हम देखते हैं, कि प्राय : अमरीका, रूस और इंग्लैंड ये परीक्षण करते रहते हैं।

इन विस्फोटों के परिणाम के बारे में, अब यह पूर्णतया स्पष्ट है कि नाभिकीय विस्फोट से (१) उत्सफोट, (२) तापीय विकिरण या गर्मी की चकाचौंध और (३) नाभिकीय विकिरण तथा (४) धूल होता है। हम यह भी जानते हैं कि ये विस्फोट चाहे धरातल से ऊपर वायु में या जल या थल पर कहीं भी हो, इनका प्रभाव एक-सा ही होता है। और इनके प्रभावों का परिणाम बहुत ही विपत्तिजनक होता है। यह सर्वथा सत्य है कि इन विस्फोटों से जीवन व सम्पत्ति को किसी तत्काल हानि की सम्भावना नहीं है, परन्तु इनका अन्तर्भूत प्रभाव तो रहता ही है जैसा कि बिकनी अटाल में १ मार्च १९५४ को हुये परीक्षण का देख रहे हैं। 'फुकारिया मरू' नामक किशती वहां से ८० या ९० मील थी। उसमें विस्फोट के ३-१/२ घण्टे बाद धूल गिरने लगी जिससे २३ में से २२ व्यक्ति जीवित रहे और एक मर गया।

वह व्यक्ति घुल-घुल कर २०७ दिनों के अनन्तर मरा।

रेडियम धर्मिता के इस घातक प्रभाव को सारे विश्व के वैज्ञानिक विभिन्न प्रमाणों से सिद्ध कर चुके हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में और आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है। "एटामिक न्यूज-डाईजस्ट" पत्रिका में यह भी दिया गया है कि कई विख्यात वैज्ञानिक यथा यू० के० राय, राजट पियर्सन, डा० एन० एन० दासगुप्त इत्यादि के मत से रेडियम धर्मिता का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त घातक है।

ऐसी स्थिति में हमारा यही कर्त्तव्य है कि हम विश्व के जनमत को इसके विरुद्ध संगठित करें। आजकल समय बहुत नाजुक है प्रधान मंत्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य में भी यही बात कही गई है। वस्तुत: आज विश्व के जनमत का बहुत महत्व है इसका प्रमाण हम मिश्र पर आक्रमण के सम्बन्ध में देख चुके हैं।

इसलिये मैं प्रधान मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि, वे इस सम्बन्ध में भी नेतृत्व करें तथा विश्व के सभी शांतिप्रिय देशों का एक सम्मेलन बुलायें जिस से आक्रमण कारी देश अकेले रह जायें।

इस संशोधन को प्रस्तुत करते हुए मैं इस संकल्प की भावना का समर्थन करता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुत: हमें उद्जन बम और पंचशील, के बीच एक मार्ग अपनाना है। ऐसे समय सभा में ऐसे संकल्प के पारित होने से पंचशील को अधिक बल प्राप्त होगा जो विश्व की शांति तथा राष्ट्रों की सुरक्षा के लिये एक महान अस्त्र है।

मनोवैज्ञानिकों का विश्वास है कि मनुष्य के मन में दो भावनाओं का द्वंद्व निरन्तर चलता रहता है। उनमें से एक "जीवन की इच्छा" और दूसरी 'मृत्यु की इच्छा' है। अणु तथा उद्जन बम सामूहिक मृत्यु की इच्छा का ही मूर्त रूप है। जिन वैज्ञानिकों ने समाज को अणु बम इत्यादि दिये

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दी० चं० शर्मा]

हैं; उन्होंने उन्हें समाज को केवल आत्महत्या करने का साधन दिया है तथा जीवन इच्छा के साधनों को समाज से दूर हटा दिया है।

इस प्रकार ये अणु विस्फोट इत्यादि हमारी मृत्यु की भावना के मूर्त्तिमान रूप हैं। वस्तुतः हमारे अन्तरात्मा में मरने की इच्छा नहीं है, अतः हमें इन विस्फोटों को शीघ्र बन्द कर देना चाहिये।

इस समस्या का आर्थिक पहलू भी है। वस्तुतः एशिया, अफ्रीका तथा अन्य महाद्वीपों में भी निरक्षरता का बोलबाला है बीमारियों का तांडव है तथा जीवन की सामान्य सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि मानव की बुनियादी आवश्यकताओं पर पहिले ध्यान दिया जाय। अणु शक्ति का उपयोग शांति काल में भी किया जा सकता है। कई देशों में अणु के शांतिकालीन प्रयोजनों के लिये केन्द्रों की स्थापना भी हो गई है जब अणु शक्ति का शांति के लिये इस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है तो युद्ध के लिये इसका प्रयोग इससे भी भयावह सिद्ध होगा। वस्तुतः इससे भलाई के स्थान पर बुराई अधिक हो सकती है इसलिये हमें उन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिये, जो लोग यह कहते हैं कि अणु शक्ति कोयला ईंधन इत्यादि का स्थान ले लेगी। मेरे विचार से भले हीं हमसे मानवता का कुछ लाभ हो। इसे हटा लेना ही अच्छा है।

इसलिये मेरा विचार है कि जो धन, अणु विस्फोटों अणु बम इत्यादि के निर्माण इत्यादि में व्यय होता है उसे मानवता के कल्याण के लिये व्यय किया जाना चाहिये।

हमारे प्रधान मंत्री ने 'यूनेस्को' सम्मेलन के उद्घाटन के समय कहा था, कि 'यूनेस्को' मानवता की आत्मा है। इस सभा में भी अक्सर मानवता की आवाज व्यक्त होती रहती है। मैं श्री गिडवानी को इस संकल्प के प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस में मानवता की अंतरंग इच्छायें अभिव्यक्त हैं।

अणु विस्फोटों का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि उससे वनस्पति, जीव-जन्तु तथा मानव-समाज सभी को हानि होती है।

नागासाकी, अणुबम से होने वाले भयावह विनाश की जीती जागती तस्वीर है। किन्तु बहुत सी हानियां अवश्य होती हैं। संकल्प के प्रस्तावक महोदय से मेरा इस सम्बन्ध में मतभेद है। हम इस सम्बन्ध में पहिले ही नमूना सर्वेक्षण कर चुके हैं तथा विश्व के वैज्ञानिक इस सम्बन्ध में एकमत हैं कि इन विस्फोटों से केवल हानि होने की ही सम्भावना है तथा लाभ नहीं हो सकता है।

इसलिये हमें इन बम विस्फोटों के विरुद्ध विश्व के जनमत को संगठित करना चाहिये। हमें उन समस्त देशों को संगठित करना चाहिये, जो एसी बातों पर रोक लगाना चाहते हैं। कई देश यथा जापान, हंगरी, अमेरिका तथा कनाडा के कुछ व्यक्ति भी इस सम्बन्ध में एकमत हैं।

तथापि इस भावना को अभी शक्ति तथा बल प्राप्त नहीं हुआ है। यह आवाज दुर्बल है मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि हमारी सभा ने अपनी आवाज उठा कर इस मत को बल प्रदान किया है। मेरा निवेदन है कि बांडुंग सम्मेलन की तरह एक सम्मेलन किया जाय, जहां हमें अणु-विस्फोटों के विरुद्ध विश्व के जनमत को संगठित करने के लिये आवाज़ उठानी चाहिये। तथा उन सभी देशों के साथ जो इस सम्बन्ध में एकमत हैं, इन बमों के विस्फोटों को अवैधानिक करार कर उन पर रोक लगा देनी चाहिये।

भारत ने संसार के लोगों को कई बार मार्ग दिखाया है और आज संसार को मार्ग दिखाने के लिये भारत के लिये फिर एक अवसर है। भारत को विज्ञान के इन विनाशकारी आविष्कारों पर पाबन्दी लगाये जाने के लिये अग्रसर होना चाहिये और भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

श्री वि० घ० देशपाँडे (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को सामने रखने वाले अपने मित्र श्री गिडवानी की सद्भावना का मैं आदर करता हूं। इसके साथ ही साथ इस सदन में जो बड़ी दयाभूत भावना से भाषण हो रहे हैं उनके लिये भी मेरे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। आज प्रातःकाल हमारे प्रधान मंत्री ने संसार के समक्ष यह सवाल रखा है कि पंचशील या हाइड्रोजन बम ? इस के पीछे जो आधारभूत दया की भावना हैं उसका भी मैं आदर करता हूं। परन्तु इसके साथ ही साथ मुझे यह भी स्मरण है कि आज हम सन् १९५६ में रह रहे हैं। २,५०० साल पूर्व बुद्ध परिनिर्वाण के प्राचीन काल से हम एटम बम के युग में आ गये हैं। इस युग में इस प्रकार का प्रस्ताव प्रभावशाली हो सकता है इसको मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। मेरे मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने कहा कि इसके लिये एक सम्मेलन बुलाया जाय। मैं अणु अस्त्र या न्यूक्लियर वेपन से इतना नहीं डरता हूं जितना इन कान्फ्रेंसों से डरता हूं। कान्फ्रेंसों से कुछ फायदा हो सकता है, इसको मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं, और न यही मानने के लिये तैयार हूं कि अणु अस्त्र के खिलाफ इस सदन के प्रस्ताव पास करने से पैसिफिक महासागर में शांति हो जायेगी। यह भी एक बड़ा विरोधाभास है कि इस शांत महासागर में ही अणुशस्त्र डाले जाते हैं। इंग्लैंड से दूर, अमरीका से दूर, रशिया से दूर, एशिया के देशों के नजदीक, इन बमों का प्रयोग हो रहा है, इससे हमें कष्ट अवश्य होता है। इसके प्रयोग से पृथ्वी की सम्पूर्ण मानवता बिखर रही है, यह मैं जानता हूं। इसका दुष्परिणाम भी मुझे पता है, बच्चों के जीवन का नाश इस से होता है, हजारों और लोगों की इससे मृत्यु हुई है और मरने वाले हैं, यह भी मैं देखता हूं। परन्तु इसके साथ ही साथ जिसको अंग्रेजी में चिकेनहार्टेड कहते हैं, किसी का दिल मुर्गे जैसा होता है, वे लोग तरह तरह की बातें सोचते हैं। उनकी इस बात को मैं नहीं समझ पाता कि प्रलय होने वाली है, पृथ्वी समाप्त होने वाली है। हमारे मद्रास के चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य एक पत्र आइजनहावर को भेजते हैं, एक पत्र रूसियों को भेजते हैं कि यह अणु अस्त्रों का प्रयोग बन्द कर दीजिये। मैं जानता हूं कि न उनके पत्रों का कोई प्रभाव होने वाला है और न हमारे प्रस्ताव का। बात यह है कि बीसवीं सदी में यह सायंस का नया मार्ग आया है। प्राचीन काल में भी जो नारायण अस्त्र का प्रयोग होता था तो हम समझते थे कि सारी दुनिया समाप्त हो गई लेकिन उसका प्रति अस्त्र दुनिया में निकल आया। जब एअरोप्लेन से बांबिंग (बमबारी) होने लगी तब बहुत से लोग थे जो कहते थे कि पृथ्वी समाप्त होगी। एच० जीं० वेल्स ने एक किताब में लिखा कि ऐटम से सब लोग मारे जायेंगे, और पूरी पृथ्वी का नाश होगा। लेकिन वेल्स की बात सच नहीं निकली। लोग समझने लगे थे कि साल दो साल में प्रलयकाल आता है, लेकिन वह नहीं आया। मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं कि अणुशस्त्र चीज तो जरूर है, परन्तु उसका शास्त्र बुरा है ऐसा मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।। दुनिया में न शस्त्रवाद बन्द हुआ है और न युद्धवाद बन्द होन वाला है। मिलिटरीज्म (सैनिकवाद) पहले से चलता था, आज भी चल रहा है। हम प्राचीन काल में रहने वाले होने के कारण, वास्तविकतावादी न होने कारण, आज की बीसवीं सदी में रहने योग्य न होने के कारण, दूसरों को गाली देते हैं, लेकिन २५०० साल से पहले के पत्थरों में क्या लिखा है, इससे स्फूर्ति लेने वाले होने के कारण पंचशील की पुरानी बातों को खोज कर रहे हैं। यह अणु अस्त्र अच्छा है, यह मैं नहीं कहता। इन शस्त्रों का दुरुपयोग दुनिया में हम दूसरों के नाश के लिये कर रहे हैं, लेकिन हम यहां से शांति का उपदेश करें, या इस संसद् के बाहर धर्म सभायें करें, कोई बुद्ध का सन्देश संसार के सामने रखें, इससे इस तरह की चीजों का प्रतिकार हो सकता है, इस को मैं नहीं मानता। शस्त्र को बन्द करने के लिये एक ही सीधा रास्ता है कि उससे बलवान शस्त्र की खोज की जाय। हिन्दुस्तान यदि सचमुच शस्त्र का प्रतिकार करना चाहता है, या दुनिया का कोई देश शस्त्र का सच्चा प्रतिकार करना चाहता है तो अमरीका या रशिया के पास जिस प्रकार के अणु अस्त्र और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन से बलवान न्यूक्लियर वेपन्स हिन्दुस्तान जैसे देशों के हाथ में होने चाहियें। तभी हम पृथ्वी पर जो युद्ध की प्रणाली बन रही

[श्री वि० घ० देशपांडे]

है, उसको समाप्त कर सकते हैं। हम केवल पंचशील का उपदेश करने से या कृष्ण मेनन को दुनिया के सब देशों में घुमाने से दुनिया में शांति प्रस्थापित कर सकेंगे, ऐसी आशा करना व्यर्थ होगा। दूसरे व्यावहारिकता और वास्तविकतावाद की दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि अमरीका, इंग्लैंड और रशिया का जो अनुभव हमने किया है, उस के अनुसार हम यहां बैठ कर उन के सम्बन्ध मे मैजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं। यह कहना कि अंग्रेज ने गल्ती की, इजराइल बुरा है, रशिया ने आधा ठीक किया, रास्ता दूसरा है, इस प्रकार मैजिस्ट्रेट का काम करने से हम को आशा नहीं है कि कुछ हो सकेगा। हम आज देख रहे हैं कि दुनिया के सब देश अपने राष्ट्रीय हित, नेशनल सेल्फ इंटरस्ट तथा अपनी शस्त्रशक्ति के बल पर अपना सारा कारोबार चला रहे हैं। यह देखने के पश्चात् कि दुनिया में आज शस्त्र और पाशव बल चल रहा है, हिन्दुस्तान अध्यात्मवाद का प्रचार और प्रेम से दूसरों का पथप्रदर्शन करने का प्रयत्न करता रहे और इस प्रकार प्रेम के मार्ग का अनुसरण करके यह आशा करता रहे कि दुनिया से अणुशस्त्र खत्म हो जायगा, तो यह नहीं हो सकता। यहां प्रस्ताव पास करने से अणु शस्त्र खत्म नहीं हो सकता। जब तक इस देश की शक्ति नहीं बढ़ती, जब तक दुनिया में अणु शस्त्र चलाने वालों को रोकने के लिये, उनको समाप्त करने के लिये, पर्याप्त शक्ति हमारे हाथ में नहीं आती, तब तक हमारे जितने भी रेजोल्यूशन (संकल्प) हैं उन का कुछ भी प्रभाव नहीं हो सकता है। इन प्रस्तावों से जो दुखी लोग हैं, अच्छे भले आदमी हैं, लेकिन कष्ट में हैं उन की सहायता नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूं हमारे गिडवानी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट बहुत अच्छी है, लेकिन यहां पर स्पीच दे देने से ही तो दुनिया की शक्ति नहीं समाप्त हो जायेगी। दुनिया की शक्तियां एक दम से शस्त्रों का प्रयोग करना बन्द नहीं कर देंगी। कुछ समय पहले मैं समझता था कि युद्ध का टेम्परेचर कुछ कम हो गया है, लेकिन आज देखा कि इंग्लैंड में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ, हमने देखा कि उसका टेम्परेचर ११० डिगरी से ऊपर पहुंच चुका था। रूस तो ठंढा मुल्क था, लेकिन उस का टेम्परेचर उस से भी ज्यादा बढ़ गया। हम ने देख लिया कि जब किसी राष्ट्र के हित का सवाल आता है तब किसी का भी टेम्परेचर कम नहीं होता है और इस कारण आज के शस्त्र युग में, आज के नये जमाने में शस्त्रों के विरुद्ध बात करना बुरी बात है। मुझे तो जब कोई कहता है कि प्रलयकाल होने वाला है, पृथ्वी समाप्त होने वाली है तो मैं जवाब देता हूं कि इस में डरने की कोई बात नहीं है, जब सब समाप्त ही होने वाला है तब हम भी मरेंगे, पाकिस्तान भी मरेगा, इंग्लैंड भी मरेगा और रूस भी मरेगा, सब मर जायेंगे। लेकिन इस डर से कि पृथ्वी समाप्त होगी, उस के समाप्त होने के पहले यह समझना कि हम मर गये, उन लोगों के साथ मैं नहीं हूं। हमें दुनिया में रहना है, आज दुनिया के लोग लड़ाई कर रहे हैं, शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, आज हमारे शस्त्र का प्रयोग अगर उन के बराबर नहीं है, तो उस में हम वृद्धि करें और जब तक हम में शक्ति हो हम उन की मुखालिफत करते रहे।

एक बात ठीक है, हमारे पास ऐटम बम नहीं है, अमरीका और रूस के पास है, उनके खिलाफ हम क्यों नहीं चलते ? बात यह है कि यह सीधा रास्ता नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस प्रकार की बातें करने से कोई दुनिया का आदमी आप की सुनने वाला नहीं है दूसरे देशों में बहुत विकास हो रहा है शस्त्रों में सुधार हो रहा है। आज की सायंस पहले से अच्छी है, न्यूक्लियर सायंस है। इस न्यूक्लियर सायंस के मामले में अगर देश के लोग और हमारी सरकार महत्वाकांक्षी रहेगी तो हम भी अपने देश के अन्दर न्यूक्लियर शक्ति बढ़ा सकेंगे और इतनी कर लेंगे कि कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। और उस के बाद एक हाथ में पंचशील और दूसरे हाथ में ऐटम बम लेकर चल सकेंगे। जब आप के एक हाथ में पंचशील होगा और दूसरे हाथ में ऐटम बम होगा, तभी संसार आप की बात को सुनेगा और आप की बात को मानेगा।

हमारा प्राचीन आदर्श रहा है---

अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः
इदं ब्राह्मं इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि ।

आप का पंचशील तब प्रभावी हो सकता है जब आपके पास भी अणु शस्त्र तथा दूसरे प्रभावशाली शस्त्र होंगे । यदि आप यह समझते हैं कि आप दुर्बल होते हुये लैकचर देकर या कान्फ्रेंसिस करके दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं और अणु शस्त्रों का मुकाबला पंचशील के मंत्रगान से कर सकत हैं तो इस चीज को मैं मानने को तैयार नहीं हूं । शस्त्रबल का मुकाबला अधिक शस्त्रबल से और प्रभावी शस्त्रबल से ही हो सकता । एक आदमी जो दुर्बल होता है यदि वह इस प्रकार के उपदेश ही देता रहे तो उसका सिवाय इसके मखौल हो और कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है । इस तरह से उपदेश देना न तो बाहर के देशों के लिये ही उपयोगी हो सकता है और न ही आन्तरिक राजनीति के लिये ही यह चीज प्रभावशाली हो सकती है । इसका कारण यह है कि हमने आज देख लिया है माइट इज राइट (जिस की लाठी उसकी भैंस) वाली बात ही ठीक उतर रही है । जो शक्तिशाली देश हैं उन्हीं की बात आज दुनिया मानती है । यह बात उन लोगों के दिमाग में भी आ गई होगी जो कि आज तक आंखें बन्द किये बैठे थे और यह समझते थे कि दुनिया उनकी मानती है । यह उसी तरह से है जिस तरह कि एक बिल्ली जब दूध पीने को जाती है तो अपनी आंखें बन्द कर लेती है और समझती है कि दुनिया अन्धी हो जायेगी । आज हम ओउम् शांति शांति शांति करते हैं और जो बातें ढाई हजार वर्ष पहले कही गई थीं उनका प्रचार आज बीसवीं सदी में करते हैं । जो लोग इस तरह की बातें करते हैं और जो इन पर दुनिया को चलाना चाहते हैं, मैं समझता हूं अब उनकी आंखें खुल गई होंगी । आज दुनिया में उनके कितने दोस्त हैं यह वे जानते ही हैं । न अमरीका उनका दोस्त है और न ही रूस । उनके मैत्री सम्बन्ध न इंग्लैंड के साथ हैं और न फ्रांस के साथ । अगर कभी हमला हो जाये तो आप अपने प्रस्तावों द्वारा या अपने भाषणों द्वारा या अपने प्रचार द्वारा उसको रोक सकेंगे या पंचशील द्वारा रोक सकेंगे इसको मैं मानता नहीं हूं । इस तरह की बातें करके आप युद्ध को समाप्त नहीं कर सकेंगे । मैं यहां पर यह भी कह देना चाहता हूं कि मैं कोई युद्धवादी नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि दुनिया में शांति स्थापित हो, मैं चाहता हूं कि दुनिया में आज जो अन्याय हो रहा है, उसका अन्त हो । लेकिन आज जो लोग केवल शांति का उपदेश देते हैं, मेरे विचार में वे यह नहीं चाहते हैं कि दुनिया में शांति स्थापित हो । इस तरह के प्रस्ताव पास करके तथा बिना अपनी शस्त्र शक्ति को बढ़ाये हुये आप दुनिया में शांति स्थापित नहीं कर सकते । इसलिये श्री गिडवानी ने जो प्रस्ताव रखा है और इस सदन के अन्य सदस्यों ने उसका समर्थन किया तथा उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की है और उनके हृदय में जो चिन्ता है, जो बुद्ध का सन्देश है, जो पंडित नेहरू की स्मृति है तथा उनके प्रति जो भावनायें हैं, उन सब का आदर करते हुये तथा नेहरू जी की वीर पूजा की जो भावना उनके अन्दर है, उसका भी गौरव करते हुये मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यदि यह प्रस्ताव दो एक महीने पूर्व रखा गया होता तो मैं इससे सहमत हो सकता था । लेकिन आज जब कि विश्व में काली का नृत्य और रुद्र का नृत्य पृथ्वी पर चल रहा है ऐसे युद्ध में केवल शांति का पाठ पढ़ना तथा पढ़ाना केवल हास्यमय ही है ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आप लोग कहना चाहते हैं उसको शांति से कहें और सोच-समझ कर कहें, नहीं तो आप की जो बातें हैं यदि उनको कोई सुनेगा और पढ़ेगा तो वह हंसेगा और आप का मखौल ही उड़ायेगा ।

†**श्री कामत** : आज प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि संसार को उद्जन बम तथा पंचशील में से एक को चुनना होगा । काश जिन देशों ने पंचशील को स्वीकार किया है उन्होंने नाभिकीय तथा ताप नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों के परित्याग अथवा रोकने की दिशा में कड़ी व्यावहारिक

---

†मूल अंग्रजी में ।

[श्री कामत]

कार्यवाही भी की होती । रूस, पंचशील के प्रतिपादक, देशों में से है, और वह अभी तक ताप्-नाभिकीय शस्त्रों का उत्पादन करने पर आग्रह कर रहा है विरोधी पक्ष के मेरे मित्र कहेंगे कि यह पंचशील, भारत-रूस सम्बन्धों के विनियमन के लिये है । यदि यह रूसी आक्रमण के विरुद्ध भारत की रक्षा करता है तो हम आभारी हैं परन्तु मेरे विचार में पंचशील का भाव इस से कहीं अधिक व्यापक है । जब अमेरिका द्वारा प्रथम उद्जन बम का विस्फोट किया गया था तब प्रधान मंत्री ने तुरन्त ही उसका विरोध किया था, परन्तु जब रूस द्वारा उद्जन बम का विस्फोट किया गया और श्री ख्रूशचेव ने भारतीय भूमि पर इस बात की घोषणा की थी तब कोई प्रतिक्रिया नहीं अपनाई गई थी । मैं इसे भारत के प्रति एक अपमानजनक अभिव्यक्ति ही समझता हूं ।

हाल में फिर वही बात दोहराई गई है । ऐंग्लो-फ्रांसीसी सेनाओं द्वारा मिस्र पर आक्रमण की हम निन्दा करते हैं परन्तु हंगरी पर रूसी आक्रमण की निन्दा करने में जो विलम्ब किया जा रहा है उस पर हमें खेद है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह संकल्प नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय शस्त्रों के उपयोग के सम्बन्ध में है ।

†**श्री कामत** : मैं इस बात की गहराई में नहीं जाता हूं । परन्तु अमरीकी विस्फोटों तथा रूसी विस्फोटों की निन्दा करने में दो प्रमाप नहीं अपनाये जाने चाहियें ।

मैं अपने मित्र श्री देशपांडे की इस बात से सहमत हूं कि हम अणु तथा उद्जन बम के उपयोग के सम्बन्ध में चाहे कितने भी भयभीत क्यों न हो, संसार का इतनी आसानी से या इतनी जल्दी अन्त नहीं होगा ।

जब बारूद का आविष्कार किया गया था और इंग्लैंड में पहिली बार इसे आजमाया गया था तो हमें बताया गया था कि संसार का अन्त होने को है । परन्तु हमें इन वैज्ञानिक आविष्कारों से भयभीत नहीं होना चाहिये । ऐसे आविष्कार बीते दिनों में हुये थे और भविष्य में भी होते रहेंगे ।

हाल में बम्बई में एशियाई समाजवादी सम्मेलन के अवसर पर नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय शस्त्रों के परीक्षणों का तुरन्त परित्याग किये जाने की बात कही गई थी ।

परन्तु इस मामले पर प्रचलित शस्त्रों के निःशस्त्रीकरण के सामान्य प्रश्न के साथ ही विचार किया जाना चाहिये और पृथक् रूप से इन खतरनाक नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय शस्त्रों के परित्याग की बात पर विचार नहीं करना चाहिये ।

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : इन सब बातों का नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय शस्त्रों पर पावन्दी लगाये जाने से किस प्रकार सम्बन्ध है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह केवल यह कहना चाहते हैं कि तर्क यह होना चाहिये कि क्या उन पर भी रोक लगाई जानी चाहिये या नहीं । यह प्रश्न पृथक् रूप से रखा जा सकता है ।

†**श्री कामत** : अन्यथा इसका कुछ प्रभाव न होगा और जहां तक हमारे शांति प्रयत्न पंचशील का सम्बन्ध है वह निष्प्रभाव होगा ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : आप अपना संशोधन प्रस्तुत करें ।

†**श्री कामत** : मैं संकल्प का समर्थन करता हूं परन्तु एक परन्तुक के साथ । इस सत्र के प्रारम्भ होने पर माननीय प्रधान मंत्री ने इन नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों के परित्याग अथवा इन्हें रोकने

---

†मूल अंग्रेजी में ।

के सम्बन्ध में भारत की मांग का अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने जो उत्तर दिया है उसकी चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि इन सभी देशों ने परीक्षण विस्फोट जारी रखे हैं और यह आशा प्रकट की है कि कभी न कभी वे इसे बन्द कर देंगे परन्तु यदि एक राष्ट्र बन्द कर देता है तो अन्य राष्ट्र इस बात का अनुचित लाभ उठायेंगे।

आज भारत इस स्थिति में नहीं है कि वह नैतिक दबाव डाल सके—मुझे भारत का नाम बदनाम नहीं करना चाहिये—मेरा अभिप्राय है कि हमारे मित्र जो शासन कर रहे हैं आज इस स्थिति में नहीं है कि वह बड़े देशों पर नैतिक दबाव डाल सकें। वे इस स्थिति में नहीं हैं कि अमरीका द्वारा अणुबम के विस्फोट की निन्दा करें और रूस को कुछ न कहें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य दोबारा पुराना तर्क दे रहे हैं।

†**श्री कामत** : आज सरकार की वह इज्जत नहीं है जो तीन या चार साल पहले थी। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि जिन देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों को स्वीकार किया है पहले उन्हें इस सम्बन्ध में उनका कर्त्तव्य स्मरण कराया जाये। तीन बड़े राष्ट्रों में केवल रूस ने ही पंचशील को स्वीकार किया है। यह भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि पहले रूस को आणविक परीक्षण बन्द करने के लिये कहे।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस—मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर हमको राजनीतिक और मानुषिक दोनों दृष्टियों से विचार करना आवश्यक है। हमारे भाइयों ने और खासतौर से हिन्दू सभा के माननीय सदस्य ने बड़े जोरों के साथ कहा कि संहारक शक्ति की उपासना होनी चाहिये—काली और दुर्गा की पूजा होनी चाहिये। लेकिन हमको इस बात का भी स्मरण रखना चाहिये कि काली और दुर्गा का एक दूसरा रूप भी है—वह रूप है मां का। सारे संसार में जितने भी जीव हैं, वे उस मां की सन्तान हैं। तो फिर हम काली और दुर्गा की उपासना मां के रूप में क्यों न करें, इस पहलू को हिन्दू सभा के माननीय सदस्य भूल गये।

हमको यह विचार करना है कि आज एशिया में चार युद्ध-विराम रेखायें हैं। यूरोप या अमेरिका या आस्ट्रेलिया में कहीं भी कोई युद्ध-विराम रेखा—सीज-फायर लाइन—नहीं है। अगर वह कहीं है, तो केवल एशिया के भूखण्ड पर है। आज एशिया के इन चार क्षेत्रों में युद्ध-विराम की स्थिति है—काश्मीर, कोरिया, वियटनाम और ईजिप्ट तथा इजराइल के बीच में। इसी प्रकार आप देखेंगे कि अणुबम का जो प्रयोग किया गया, वह केवल एशिया के भूखण्ड पर किया गया। उसका प्रयोग यूरोप में नहीं किया गया। उसका प्रयोग हिटलर के खिलाफ नहीं किया गया। उसका प्रयोग केवल एशिया में एशिया के निवासियों के विरुद्ध किया गया।

आज हमारे सामने दो ही रास्ते हैं—या तो हम संहारक शक्ति का आश्रय लें और या ऐसी शक्ति का आश्रय लें, जोकि मनुष्य को शांति दे सकती है। यह एक विचित्र समस्या है कि जिनके पास एटम बम है—अर्थात् यू० के०, अमेरीका और सोवियत रूस—उनके भय की छाया में आज विश्व गुजर रहा है। इस भय की छाया से हमारा दूर होना—मुक्त होना—आवश्यक है और इसलिये दूर होना आवश्यक है कि अगर हम इससे दूर नहीं होते, तो विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इन चार क्षेत्रों में सीज-फायर कहीं दस बरस से चला आ रहा है, कहीं आठ बरस से और कहीं दो चार बरस से चला आ रहा है, लेकिन इस सीज-फायर की समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ अभी तक हल नहीं कर पाया है। उसने इस समस्या को इसलिये हल नहीं किया है कि वह एशिया के भूखण्ड पर है और उसका सम्बन्ध हम काले लोगों से है। हम

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री रघुनाथ सिंह]

काले लोग चाहे मरें और चाहे जियें, इसकी उसको परवाह नहीं है । अगर एटम बम (अणुबम) का प्रयोग किया गया, तो हम काले लोगों पर ही किया गया—गोरों पर नहीं किया गया । इस समस्या के इस पहलू को भी हम को अपने सामने रखना चाहिये ।

हमको यह देखना चाहिये कि हमको पंचशील का अनुशीलन करना है या अणुशक्ति का । अगर पंचशील का अनुशीलन करना है, तो उसका उद्देश्य शांति है और अगर अणुशक्ति का अनुशीलन करना है, तो उसका उद्देश्य संहार है । हिन्दू सभा के माननीय सदस्य ने शस्त्रबल का जिक्र किया । वह चले गये हैं । मैं उनको पंचतन्त्र का श्लोक सुनाना चाहता था । उसमें कहा गया है कि शस्त्र और शास्त्र दो विद्यायें हैं—दो रास्ते हैं—लेकिन शस्त्र का प्रयोग वृद्धावस्था में हास्य का कारण होता है ।

शास्त्र विद्या शांति की विद्या है, वह हमेशा कायम रहती है । इस वास्ते हमें ऐसी विद्या का अनुसरण करना चाहिये जो कि शांति की विद्या हो और जिससे मावनता का संहार न हो ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस वक्त जिन लोगों के पास अणुशक्ति है, वे सब ईसाई राष्ट्र हैं, सब क्राइस्ट को मानने वाले हैं । क्राइस्ट ने कुछ दिन पहले कहा था, अर्थात् २,००० हजार वर्ष पूर्व, कि संहार करने वाला संहार का ही शिकार होता है । जो मनुष्य शस्त्र तैयार करता है, और शस्त्र का, आश्रय लेता है, उसका संहार शस्त्र के द्वारा ही होता है । बाइबिल में यह बात आज से २,००० वर्ष पहले कही गई थी, और जिन राष्ट्रों के पास आज अणुबम है, वे सब इसी धर्म के मानने वाले हैं । उसी बाइबिल में एक जगह और कहा गया है कि प्रेम करने वाले ईश्वर के राज्य में स्थान पाते हैं । मैं अपने लायक दोस्त हिन्दू महासभा के सदस्य से कहना चाहता हूं कि प्रेम कीजिये । जब आप प्रेम करेंगे तो प्रेम से आप को ईश्वर का राज्य मिलेगा । मनुष्य मात्र से प्रेम कीजिये, विश्व से प्रेम कीजिये, उसके द्वारा आप को ईश्वर का प्रेम मिलेगा । शस्त्र को प्रेम करने से आपका संहार होगा ।

साथ ही साथ मैं अपने इजराइली भाइयों से कहना चाहता हूं कि ओल्ड टेस्टामेंट में देवदूत मूसा (माजेज) ने कहा है कि मानव ईश्वर की संतान है; जो संहार का प्रयास करता है, उस पर ईश्वर का कोप होता है, अर्थात् इस मानवता का जो संहार करना चाहेगा, चाहे वह दुनियां का कोई भी राष्ट्र हो, उस संहारक पर ईश्वर का कोप होगा, ईश्वर उसको क्षमा नहीं कर सकता । इस वास्ते मैं इजराइली राष्ट्र से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह अपने ओल्ड टेस्टामेंट को देखे, अपने तूरात को देखे, अपनी इंजील को देखे कि उसमें उनके पैग़म्बर ने उनके वास्ते क्या आदेश दिया था ।

महाभारत में आप पावेंगे कि जब दोनों सेनायें युद्ध में लड़ीं तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया, पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया गया आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया गया, उन शस्त्रों के प्रयोग करने का फल यह निकला कि दोनों तरफ के जितने लोग थे सब का संहार हो गया । केवल उनमें से पांच आदमी बचे । महाभारत का आखिर क्या उद्देश्य है ? अन्त में व्यास जी ने लिखा कि महाभारत का मूल रहस्य यह है कि मनुष्य से प्रेम करो, अहिंसा का आश्रय लोगे और यदि मनुष्य से प्रेम करोगे तो दुनियां में शांति रहेगी । यही गीता का भी उपदेश है । हमारे भगवान बुद्ध का नाम बहुत ज्यादा लिया गया । श्री देशपांडे जी ने भी उनके वचनों का आश्रय लेने का प्रयास किया । भगवान बुद्ध ने कहा है कि शत्रुता का अन्त शत्रुता से नहीं होता, शत्रुता का अन्त प्रेम से होता है । क्रोध से क्रोध की जय नहीं होती, क्रोध की जय अक्रोध से होती है । उसी तरह से ऐटम से ऐटम का नाश नहीं होगा । अणुबम का नाश होगा हमारे उचित विचारों से, हमारे प्रेम से । इस वास्ते में कहता हूं कि अणुबम से मनुष्य का दिमाग ऊंचा है, मनुष्य की शक्ति ऊंची है क्योंकि अणुबम का बनाने वाला मनुष्य है । परमाणुबमं ने मानव को नहीं बनाया है । मानव ने उसे बनाया है । इसलिये जैसा शर्मा जी और हमारे दूसरे दोस्तों ने कहा है हमें उसे रोकना चाहिये । ऐटम बम के बारे में जगत बहुत दूर बढ़ गया है । उसका

आविष्कार हो गया है। हमें सोचना चाहिये कि उसके प्रतिकार के लिये हम क्या करें। मेरा यह निवेदन है कि हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, एक तो शांति का रास्ता है और दूसरा युद्ध का। हम को चाहिये कि हम अणुशक्ति का प्रयोग करें शांति के लिये, अपने आर्थिक विकास के लिये, न कि उस का प्रयोग हम संहार के लिये करें।

साथ ही हमारे हिन्दू महासभा के दोस्त ने एक बात और कही कि जिसके हाथ में शक्ति है वही दुनिया में राज्य करेगा। हिन्दुस्तान के पास. भी अणुबम होता तो उसकी बात दुनियां में सुनी जाती। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि भगवान ने आखिर यह वेद की रचना क्यों की, शास्त्र क्यों बनाये? मैं अपने हिन्दू महासभा के सदस्य का तथा दूसरे सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक दफा जब देश में अराजकता फैली तो जितने देवता लोग थे वे भगवान के पास गये, ब्रह्मा के पास गये, कि देश में बड़ा अनाचार फैला है, मत्स्य न्याय हो रहा है। मत्स्य न्याय को रोकने के लिये ब्रह्मा ने मनु का सृजन किया। बताया कि मत्स्य न्याय को रोकना हिन्दू शास्त्र और हिन्दू धर्म का उद्देश्य है। आज शक्ति से शक्ति नहीं रोकी जा सकती, शक्ति प्रेम से रोकी जा सकती है, शक्ति अहिंसा से रोकी जा सकती है, मत्स्य न्याय को दूर करने का तरीका प्रेम का आश्रय लेना है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपने हिन्दू महासभा के माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि दुर्गा की पूजा मां के रूप में करें तो अच्छा है, दुर्गा की पूजा संहारक शक्ति के रूप में हम न करें। हमारे यहां कहा जाता है:

सत्यं, शिवं, सुन्दरम्,

काशी में लोग बम-बम महादेव कहते हैं। शिव के नाम के साथ बम का प्रयोग होता है शिव का रूप संहारक का होते हुए भी कल्याणकारी है। हम शिव के लोक-कल्याण के रूप का आश्रय लें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अगर अणुशक्ति का आविष्कार हो गया है तो उसका प्रयोग लोक-कल्याण के लिये होना चाहिये, न कि लोक के नाश के लिये।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : श्रीमान् मैं जब श्री देशपांडे का भाषण सुन रहा था उस समय मुझे अश्वत्थामा का स्मरण आ रहा था। असीम निराशा के समय वह इस प्रकार सोचने लगा था :

"इदं ब्राह्यं इदं क्षात्रं
शापादपि शरादपि।"

श्री देशपांडे ने श्लोक को गलत कहा—वास्तव में यह इस प्रकार है :

"धिक्बलं क्षत्रिय बलं"
ब्राह्मण बलं बलं।"

अर्थात् ब्राह्मण की वास्तविक शक्ति तेजबल होता है। इसी कारण यह कहा गया है। अन्त में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। इसके बाद अश्वत्थामा का क्या हुआ यह सभी को पता है।

श्री कामत ने कहा कि इस प्रकार के संकल्प स्वीकार करने के लिये यह उपयुक्त अवसर नहीं है--मैं यह कहना चाहता हूं कि उपयुक्त अवसर वास्तव में आज ही है। पश्चिमी एशिया तथा हंगरी की घटनाओं ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं। आज हमारे प्रधान मंत्री ने एक ऐतिहासिक बात कही है कि दुनिया के सामने इस समय दो रास्ते हैं एक उद्जन बम का और दूसरा पंचशील का। हमारे प्रधान मंत्री ने पंचशील का निर्माण किया है इसलिये उन्हें दुनिया को इसी रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिये।

†**श्री धुलेकर** (जिला झांसी--दक्षिण): और वह करेंगे भी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : दूसरा कारण यह है कि भारत की परम्परा प्रेम तथा शांति पर आधारित है। ईसा ने कहा था अपने पड़ौसी से उतना प्रेम करो जितना तुम अपने आपसे करते हो। भगवान बुद्ध ने कहा है "आत्मवत् सर्व भूतानि" अर्थात् सब लोगों को अपने समान समझो। उपनिषदों से हमें यह प्रकाश मिलता है—उनमें कहा गया है :

असतो मा सत् गमय
तमसो या ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्माममृतं गमय।

भारत में रहने वाले लोगों की इच्छा यही है। आज दुनिया अंधकार की ओर जा रही है इसे प्रकाश की ओर ले जाना है। हमें निराशावादी होने की भी आवश्यकता नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा ने कहा है कि आज संसार अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा है—कोई मूसा इसे प्रकाश का मार्ग बता सकता है। हमारे नेता—हमारे प्रधान मंत्री ही मूसा हैं। लोग कह सकते हैं कि पंचशील की सफलता की शर्त क्या है। इस बारे में कहावत है "श्रेयानि बहु विघ्नानि।" हमारे मार्ग में बहुत सी रुकावटें आयेंगी। इसी कारण हिन्दु प्रारम्भ में विघ्नेश्वर का पूजन करते हैं। इस समय हमारे देश का एक महान कर्त्तव्य है उस पर एक धर्म है। आज हमें बड़े देशों को बता देना चाहिये कि वे अणुबमों के विस्फोट बन्द कर दें। श्री चट्टोपाध्याय ने कहा है कि विस्फोटों के कारण भविष्य में निकम्मी संतानें पैदा होंगी। यह ठीक है बल्कि इसके प्रभाव इससे भी भयानक होंगे। इसलिये इन्हें रोका जाये।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि संकल्प का पहला भाग हटा दिया जाये क्योंकि अनुसंधान बहुत बार हो चुके हैं। इन विस्फोटों के भयानक प्रभाव हमें बहुत से विशेषज्ञ बता चुके हैं। यदि सरकार चाहे तो एक संशोधन प्रस्तुत कर सकती है। संकल्प में निहित भावना को स्वीकार कर लेना चाहिये।

सभा का कार्य

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगले वक्ता के भाषण प्रारम्भ करने से पूर्व, कृपया संसद्-कार्य मंत्री अगले सप्ताह में होने वाले सभा के कार्य की घोषणा करें।

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से, मैं १९ नवम्बर, १९५६ से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा के सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं। वर्णित क्रमानुसार निम्नलिखित कार्य करने का विचार है।

प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये।"

विचारार्थ विधेयक तथा उनको पारित करना;

(१) राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक

(२) अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक

(३) हैदराबाद का राज्य बैंक विधेयक

---

†मूल अंग्रेजी में।

(४) रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक

(५) तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक

(६) प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक, और

(७) फरीदाबाद विकास निगम विधेयक, १९५५

अणु तथा उद्जन बमों के परीक्षणों सम्बन्धी संकल्प—समाप्त

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला—शिमला): मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं तथा महसूस करता हूं कि इतने छोटे संकल्प से शुरुआत की जा सकती है जिससे मानवता को भयानक गर्त में जाने से रोका जा सके ।

यदि हम इतिहास का अध्ययन करें तो हमें यह पता लगता है कि मानव ने ही मानव का विनाश किया है । यह मानवता की एक विशेषता है । यह मामले ऐसे नहीं हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाये । मुझे संस्कृत के इस श्लोक के गलत अर्थ लगाने पर आश्चर्य हुआ ।

अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरंधनुः
इदं ब्राह्मं इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि ।

हमें 'शापादपि' तथा 'शरादपि' में से एक को चुनना है । श्लोक में इसका अर्थ 'शापादपि' तथा 'शरादपि' नहीं है अपितु 'शापादपि' अथवा 'शरादपि' है ।

शांति के लिये, युद्ध की तैयारी करना, एक दम गलत सिद्धान्त है । इतिहास से पता लगता है कि यह सिद्धान्त सर्वदा व्यर्थ रहा है । यदि आप युद्ध चाहते हैं तो शांति किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं । मेरे विचार में संकल्प को पूर्णतः स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि इसमें सुझाव दिया गया है कि सरकार को सभी राष्ट्रों के सहयोग से वैज्ञानिकों का एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग स्थापित करना चाहिये जो अणुबम तथा उद्जन बमों के परीक्षणों से मानवता को होने वाली हानि की जांच करे । कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो इन हथियारों के द्वारा होने वाली हानि से प्रभावित नहीं हैं । इसीलिये यह ठीक होगा कि सभी देशों के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर इस सम्बन्ध में जांच करें तथा अपने निर्णयों को उन देशों को बतायें जो इस पर विश्वास नहीं करते कि इन हथियारों से हानि हो सकती है ।

कुछ सदस्यों ने कहा कि जो व्यक्ति मेरी ही विचाराधारा के हैं, वे भयाक्रान्त हैं तथा यह संकल्प, कायरों का संकल्प है । उनका कहना है कि हमें एक ऐसा हथियार ढूंढना चाहिये जो उन हथियारों से भी ज्यादा विनाशकारी हो । विश्व की स्थिति आज इस प्रकार की है कि इस प्रकार के परीक्षणों से पता चला है कि इन से विश्व के सामने बहुत अधिक खतरा है । उनसे यह पता लगा है कि इन से जनता को दुख ही उठाना पड़ा है । इसीलिये मैं संकल्प के रखने वाले सदस्य से सहमत हूं कि इस प्रकार का सम्मेलन, जिस का सुझाव संकल्प में दिया गया है, मानव का मस्तिष्क परिवर्तित कर देगा तथा इसी के परिणामस्वरूप वह आगे आने वाले खतरों को जान सकेगा । मैं संकल्प को प्रस्तुत करने वाले को बधाई देता हूं तथा संकल्प का पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं ।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** (कृष्णगिरि): यह सभा प्रस्तुत संकल्प क लिये श्री गिडवानी को बधाई देती है तथा हिरोशिमा के विनाश का जो उन्होंने वर्णन किया उसको देखते हुये और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री च० रा० नरसिंहन्]

किसी वैज्ञानिक की राय लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आज सवेरे प्रधान मंत्री ने भी अपना भाषण इन शब्दों से समाप्त किया कि आज दो ही विकल्प हैं, उद्जन बम या पंचशील। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि या तो सभी मिलजुल कर जीना सीखें, नहीं तो सभी एक साथ समाप्त हो जायेंगे। चाहे कोई भी राष्ट्र, जाति, धर्म या विचारधारा हो, इस प्रकार विनाश के हथियारों के संग्रह से सभी देश एक-दूसरे को, जिनके पास ऐसे हथियार होंगे या हमारे देश या उससे संबद्ध देशों को जो सहअस्तित्व का समर्थन करते होंगे, नष्ट कर डालेंगे।

इस संकल्प का क्षेत्र बहुत कुछ सीमित है। वास्तव में यह हमारा लोकोपकार है कि हम अपने एक मित्र-राष्ट्र पर आक्रमण से बहुत उद्विग्न हैं, किन्तु हम यह भूल जाते हैं कि हम स्वतः तथा अन्य कई राष्ट्र जो किसी गुट नें शामिल नहीं हैं, इन नाभिकीय परीक्षणों के रूप में आक्रमण के शिकार हुये हैं। इस संकल्प में इसी पर आपत्ति की गयी है।

इन नाभिकीय परीक्षणों का यह परिणाम हुआ है कि वायु, जल, और खाद्य पदार्थ जिस पर मानव जीवित रहता है, विषाक्त हो गये हैं। अब मुख्य प्रश्न यह है कि नाभिकीय शस्त्रास्त्र रखने वाले इन राष्ट्रों को सारे मानव समाज और भावी पीढ़ी के लिये वायु, जल और भोजन विषाक्त करने का क्या अधिकार है। हम चाहते हैं कि सद्बुद्धि उत्पन्न हो और उसके लिये हम सभी सम्भव कार्यवाही करें। एक कार्यवाही यह है कि युद्ध प्रिय राष्ट्रों से अनुरोध किया जाये और उन पर नैतिक दबाव डाला जाये। इसीलिये मैं यह कहता हूं कि ४० करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली यह सभा यदि एक संकल्प पारित कर अपने योग्य प्रधान मंत्री को आगे कार्यवाही करने का अधिकार देती है, तो उससे अच्छा परिणाम निकलेगा। हमें इस विषय में आशावादी होना चाहिये और अपने सभी अधिकारों के लिये हमें उसका विरोध करना चाहिये। इस संकल्प का यही मुख्य उद्देश्य है और सरकार को वह संकल्प स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस संकल्प को स्वीकार कर वास्तव में वह गुटवाले शक्तिशाली राष्ट्रों को समझदार बनाने में अपना अंशदान कर रही है।

आज मित्र पर आक्रमण हो रहा है किन्तु अमेरिका और रूस तटस्थ हैं क्योंकि यदि वे तटस्थ न रहते तो उद्जन बम गिरते और आणविक युद्ध होता। लेकिन इससे अन्य आक्रमणकारी राष्ट्रों को खुली छूट और मन चाहे क्षेत्रों पर कब्जा करने का मौका मिल गया है। एक ओर तो इस प्रकार के आक्रमण और उपनिवेशवाद बढ़ रहा है और दूसरी ओर वातावरण अधिकाधिक दूषित होता जा रहा है। श्री गिडवानी तथा अन्य मित्र यह चाहते हैं कि इस प्रकार का वर्तमान उन्माद दूर करने के लिये संसार का जनमत तैयार किया जाये। मैं इसी मुख्य बात पर जोर देना चाहता हूं।

चूंकि हमने पर्याप्त कार्यवाही नहीं की है, ये परीक्षण करने वाले लोग यह समझते हैं कि उन्होंने वातावरण दूषित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। वे एक कारण यह सामने रखते हैं कि वास्तविक हानि का ठीक-ठीक अंदाजा नहीं लगाया गया है और इसलिये संदेह लाभ परीक्षण कर्त्ताओं को मिलना चाहिये। मैं इसे आपत्तिजनक समझता हूं। वैज्ञानिकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर हम यह जानते हैं कि वे परीक्षण बहुत हानिकारक हैं और वे बन्द किये जाने चाहियें। जिन राष्ट्रों के पास ऐसे शस्त्रास्त्र हैं उनकी ओर से कुछ प्रलेखों में कहा गया है कि वे उतने हानिकारक नहीं हैं जितना कि कहा जाता है। फिर भी संदेह लाभ तटस्थ राष्ट्रों को मिलना चाहिये, न कि परीक्षण करने वाले और इन शस्त्रास्त्रों का संचय करने वाले राष्ट्रों को।

उन परीक्षणों की हानि मालूम करने और उन राष्ट्रों को समझाने के लिये भारत को प्रमुख वैज्ञानिकों और यदि आवश्यक हो तो नोबल पुरस्कार प्राप्त लोगों का एक सम्मेलन आयोजित करना

सम्भव होना चाहिये जिन की सहायता से उन राष्ट्रों को समझाया जा सके कि इन शस्त्रास्त्रों का निर्माण बन्द न करने पर सर्वनाश हो जायेगा ।

मेरे विचार से यदि सरकार यह संकल्प इस रूप में या अन्य उचित संशोधित रूप में स्वीकार करे तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी । उससे इन परीक्षणों के विरुद्ध जनमत तैयार करने और दृढ़ करने में सहायता ही मिलेगी । आशा है कि सरकार इस विषय का सावधानी से परीक्षण करेगी और सभा का उचित मार्ग-दर्शन करेगी ताकि यह सभा दुनिया के अन्य राष्ट्रों का मार्ग-दर्शन कर सके ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल––पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर––उत्तर) : श्रीमान्, आज अणुबम का प्रश्न हमारे सामने है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं तो सदन से केवल यह कहना चाहती हूं कि जो हमारा पुराना इतिहास है, उस को देखने से पता चलता है कि एक-दूसरे से लड़ाई करने में और भांति-भांति के शस्त्रों का निर्माण और उन का प्रयोग करने से हम स्वतन्त्रता और शांति स्थापित करने में सफल नहीं हो सके हैं । आज फिर हमारे सामने यह कठिनाई है । वर्षों के बाद आज फिर आकाश में घनघोर बादल छाये हुये हैं जिससे हमें डर हो रहा है कि कहीं फिर से युद्ध न छिड़ जाये । इस के वास्ते हम को क्या करना है ? इस के लिये हम को विचार कर के और सलाह कर के यह सोचना है कि हम कैसे इस आफत को अपने पास से हटा सकते हैं और इस से बच सकते हैं । आज बड़े-बड़े तथा शक्तिशाली जो देश हैं उनमें आपस में होड़ लग गई है और आज वे अधिकाधिक शस्त्रास्त्र बनाने में जुटे हुये हैं । आज उनके अन्दर यह भावना है कि देखें कौन सब से ज्यादा बलवान हो सकता है । वे समझते हैं कि वे अस्त्र निर्माण व संग्रह से ही बलवान बन सकते हैं जब कि बलवान बनने के लिये कोई और ही उपाय काम में लाये जाने होंगे । अमरीका भांति-भांति के अणुबम बना रहा है तथा उनका संग्रह कर रहा है । रूस भी इसी तरह से तरह-तरह के अस्त्र बना रहा है । दोनों ही इससे हटना नहीं चाहते हैं । रूस इस तरह के विमान बना रहा है जो दूसरे देशों तक अणुबमों को क्षण भर में पहुंचा सकें । इन सब का परिणाम क्या होगा ? इनका नतीजा होगा तबाही और बरबादी । आज बड़े-बड़े देश भी शांति की बात करते हैं और शांति स्थापित करने का इरादा रखते हैं और कहते हैं कि उस दिशा में वे प्रयत्न भी कर रहे हैं । परन्तु इसके साथ ही साथ वे अणुबम जसे आधुनिक शस्त्रास्त्रों का निर्माण भी करते जा रहे हैं । इस तरह से कैसे शांति स्थापित हो सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आता । जब तक वे घातक शस्त्रास्त्रों का निर्माण बन्द नहीं करते तब तक कैसे शांति स्थापन की बात कर सकते हैं, यह सोचने की बात है । ऐसी हालत में उनके कहने पर तथा उनके इरादों पर कौन विश्वास कर सकता है ? मैं यह कहती हूं कि यदि आज वे देश व दुनिया में शांति कायम रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी लड़ाई न हो तो उन्हें तुरन्त ही घातक अस्त्रों का निर्माण बन्द कर देना चाहिये । इन अस्त्रों के बनाने पर वे कितना ही द्रव्य व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं । इस द्रव्य को बचा कर वे उन लोगों पर जो भूखों मर रहे हैं और तरह-तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, खर्च कर सकते हैं और कई प्रकार से उनकी सहायता कर सकते हैं । यदि आज इन बड़े-बड़े राष्ट्रों से पछा जाये कि अणुबमों का वे क्यों संग्रह कर रहे हैं तथा क्यों इनके भंडार बना रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि वे इसका कोई भी उत्तर नहीं दे सकेंगे । इसका कारण यह है कि जिस चीज को वे तैयार कर रह हैं, उसको प्रयोग में लाने के लिये ही तैयार कर रहे हैं ।

मेरा यह विश्वास है कि हमारे पास जो थोड़े बहुत अस्त्र हैं उन्हीं पर निर्भर रह कर हमें दुनिया में शांति बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिये तथा हमारे प्रधान मंत्री दुनिया में शांति बनाये रखने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, उनमें वह सफल होंगे और वह दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचा सकेंगे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं वर्तमान संकल्प और प्रस्थापित संशोधनों से अधिक उपयुक्त अन्य संकल्प और संशोधन की कल्पना नहीं कर सकता, फिर भी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे उसका आग्रह न करें क्योंकि वह करना इस सरकार की क्षमता में नहीं है। उसमें दूसरी सरकारों से बहुमत से काम कराने होंगे । मैं प्रस्तावक महोदय तथा अन्य वक्ताओं से पूर्णत: सहमत हूं कि हमें प्रत्येक प्रयत्न करना चाहिये। इस संकल्प की दूसरी कंडिका से मैं पूरी तौर से सहमत हूं और हर कोई जानता है कि पिछले कई वर्षों से जब से नाभिकीय युद्ध का खतरा दुनिया के सामने आया है, हमारी वही विचारधारा रही है जो इस संकल्प में व्यक्त की गयी है। संकल्प के पहले भाग में, इसका अनुसंधान करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की बात कही गयी है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हमने पिछले दो या तीन वर्षों से वैज्ञानिकों की किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा इसके अनुसंधान करने की संभावना के सम्बन्ध में प्रयत्न किया है। वास्तव में यह सुझाव प्रारम्भ में बर्ट्रेन्ड रसेल से प्राप्त हुआ था जो इस बात के लिये बहुत चिन्तित थे कि ऐसी कोई कार्यवाही की जानी चाहिये। हमने उन्हें बताया कि हम तो उस सुझाव का स्वागत करते हैं किन्तु दूसरे राष्ट्र कहां तक सहयोग करेंगे, यह एक दूसरी बात है। वास्तव में उनका सुझाव यह था कि यह काम उस देश के वैज्ञानिक करें जो स्वत: ऐसे प्रयोग न करता हो, क्योंकि बड़े-बड़े राष्ट्र उसमें बहुत अधिक लगे हुये हैं। इस विषय का अजीब पहलू यह है कि जिन लोगों को इस विषय में सबसे अधिक जानकारी है, जिन देशों ने व्यवहारिक रूप में उसका विवेचन किया है वहां के वैज्ञानिक उसमें या तो भाग नहीं लेंगे या उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी और केवल वही लोग भाग लेंगे जिन्हें केवल पुस्तकों या लेखों से सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त है, ताकि वास्तविक परिणाम बहुत संतोषजनक नहीं होंगे।

हमने यह देखा कि इसे करना बहुत आसान नहीं। तब हमने यह अनुभव किया कि इस विषय में दूसरे राष्ट्र सम्मिलित हों इसकी प्रतीक्षा करने की बजाय हमने ही निम्न स्तर के उन प्रकाशित प्रलेखों और सामग्री के आधार पर नाभिकीय विस्फोट से मानवता के लिये खतरे मालूम करने का प्रयत्न किया। उस प्रयत्न के फलस्वरूप ही यह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें कोई नयी सामग्री नहीं है, क्योंकि हमें केवल प्रकाशित और अर्धप्रकाशित सामग्री पर ही निर्भर रहना पड़ा, फिर भी मैं समझता हूं कि यह पहला अवसर है जबकि यह सब एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। पहले वह सामग्री उच्च प्राविधिक वैज्ञानिक पत्रिकाओं में, जो जनता को या तो उपलब्ध नहीं थी या यदि उपलब्ध हुई तो जनता उन्हें समझ नहीं सकती थी, प्रकाशित हुई थी। अत: एक प्रचलित रूप में उस सामग्री पर विचार किया गया और उसे संकलित कर वह एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गयी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस पुस्तक का वैज्ञानिकों तथा अन्य स्थानों के लोगों ने बड़ा स्वागत किया है, सामान्य जनता ने नहीं क्यों कि वह इसे पढ़ भी नहीं सकती थी। सारे संसार में इसका स्वागत केवल इस कारण हुआ कि जनता के सम्मुख पढ़ने योग्य और समझ में आने वाले रूप में तथ्यों को रखने के बारे में यह पहला संगठित प्रयत्न है। वस्तुत: जब से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है तब से कुछ और सामग्री उपलब्ध हो गई है। इस कारण इस पुस्तक क द्वितीय संस्करण में और भी अधिक जानकारी दी जायेगी।

बात असल में यह है कि किसी सम्मेलन में ये सारी बातें प्रकट नहीं होतीं। सम्मेलन में तो जितनी जानकारी उपलब्ध होती है उसका आदान-प्रदान किया जाता है। ज्ञान तो बड़ी-बड़ी प्रयोगशालाओं से तथा विभिन्न देशों में जो परीक्षण हो रहे हैं उनके द्वारा प्राप्त होता है। आरम्भ में इस सब को बिल्कुल गुप्त रखा गया था। वास्तव में इस का आरम्भ १९४० में युद्ध के दिनों में किया गया जबकि अमरीका इन प्रयोगों को कर रहा था क्योंकि उस समय उसे इस बात का भय था कि जर्मनी यह चीज कर लेगा और वह यह नहीं चाहता था कि जमनी कोई ऐसा कार्य करे, जिसे अमेरीका नहीं कर सकता। इस कारण यह

†मूल अंग्रेजी में।

चीज गुप्त रखी गई। युद्ध के पश्चात् भी यही गोपनीयता चलती रही। अभी हाल तक यह जानना सम्भव नहीं था कि क्या हो रहा है, यहां तक वैज्ञानिकों तक को इसका पता नहीं था।

धीरे-धीरे इस मामले में बहुत-सी बातों का पता चल गया। मैं समझता हूं कि सबसे पहले जबकि संसार का ध्यान स्पष्ट रूप से इस ओर गया। वह सम्भवतः मार्शल द्वीप समूह अथवा बिकनी में हुये विस्फोट के बारे में था जबकि कुछ जापानी मछुओं को इस से हानि उठानी पड़ी थी। इससे तत्काल ही यह बात सिद्धांत के क्षेत्र से वास्तविकता के क्षेत्र में आ गयी तथा कुछ पूछताछ करना और वक्तव्य देना अनिवार्य हो गया। सम्भवतः उस समय जो वक्तव्य दिये गये वे नम्र प्रकार के थे। सारे तथ्य नहीं बताये गये थे। वे धीरे-धीरे एक-दो वर्ष में प्रकट हो गये। कुछ भी हो पिछले वर्ष से पूर्व जिन-जिन देशों में इस प्रकार के प्रयोग किये गये वे सब गुप्त रीति से ही हुये। अभी पिछले वर्ष जेनेवा में अणुशक्ति सम्मेलन हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० भाभा की अध्यक्षता में हुआ था। इस सम्मेलन में प्रथम बार बहुत से तथ्यों का पता लगा। निस्सन्देह पहले इन तथ्यों का पता कुछ वैज्ञानिकों को था किन्तु सम्बद्ध रूप में नहीं। अलग-अलग सारी बातें उन्हें ज्ञात थीं। इससे बड़ी सहायता मिली।

इसके पश्चात् संयुक्त राज्य अणुशक्ति आयोग ने कुछ टेक्निकल चीजें प्रकाशित कीं और इंग्लिस्तान ने भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें छापीं। इस विषय पर रूस ने भी कोई चीज छापी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है किन्तु ब्रिटिश और अमेरीकी प्रकाशनों से इस बारे में नये तथ्य प्रकाश में आये। मैं चाहता हूं कि सभा यह बात सदैव स्मरण रखे कि जितना कुछ इस बारे में प्रकाशित किया गया वास्तव में उससे कहीं अधिक इस बारे में जांच-पड़ताल करने के दौरान में पता लगा चुका था। वे लोग किसी ऐसी चीज का पता लगाना चाहते थे जो इस प्रकार के पहले के वैज्ञानिक प्रयोग से भिन्न किस्म का हो। यह इस कारण है कि अणुशक्ति हमें इस सामान्य जगत से बाहर ले जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि विस्फोट में सदैव अनिश्चितता रहती है और कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि बहुत अधिक जांच-पड़ताल करने के बाद हम उसका कुछ अंश देख सकें। हमने इसके अलावा कुछ भी होते नहीं देखा है जो धीरे-धीरे मनुष्य की समझ में आता जा रहा है।

अतः जांच-पड़ताल करने के लिये आयोग का तात्पर्य यह होगा कि आयोग अन्य देशों द्वारा की गई जांच-पड़तालों के परिणाम एकत्र कर संसार को बताये। जब तक वह समय आता है तब तक हो सकता है कि छोटे-बड़े देश इस नतीजे पर पहुंच जायें कि अब इन प्रयोगों को रोक दिया जाये।

जब इस प्रकार की चीज चल रही है कि एक देश अपने नवीनतम ज्ञान के बारे में दूसरे देशों को नहीं बताना चाहता तो फिर यह जानकारी किसी भी सम्मेलन अथवा आयोग को किस प्रकार उपलब्ध हो सकती है। हो सकता है कि आज की भांति पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध हो। एक औपचारिक आयोग भी काफी सहायक सिद्ध हो सकता है किन्तु सबसे अधिक सहायता तो तब मिलेगी जबकि वे लोग जो ये प्रयोग कर रहे हैं, अपने प्रयोगों के परिणाम प्रकाशित करवा दें। यह चीज गुप्त नहीं रखी जानी चाहिये जिससे कि अन्य लोग उसे प्राप्त कर सकें। ऐसा करने से ही और लोग उसे एकत्र कर सकेंगे।

भारत जैसा देश उन महान् देशों से जिनमें प्रयोग किये जा रहे हैं यह कहने की स्थिति में नहीं है कि वे मिलकर एक सम्मेलन बुलायें। इस बारे में पहल वही कर सकते हैं। कुछ हद तक हाल ही में अणुशक्ति अभिकरण के बन जाने से प्रगति हुई है किन्तु ठीक उस दिशा में नहीं। किन्तु इस प्रकार के निकाय बन जाने और समस्त संसार के वैज्ञानिकों के मिलने और आपस में चर्चा करने से ही वे सारी बातें ज्ञात हो जायेंगी जो पहले गुप्त रखी जाती थीं।

संकल्प के द्वितीय अंश में यह प्रस्ताव है कि ऐसे प्रयोगों को रोकने के लिये नैतिक दबाव का प्रयोग किया जाना चाहिये। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। चाहे संयुक्त राष्ट्र हो अथवा अन्य कहीं न केवल

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

भारत ने ही अपितु कुछ और देशों ने भी यह प्रस्ताव स्वीकार किया है। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं कि ऐसा किया जाना चाहिये। संशोधनों में भी नाभिकीय और ताप-नाभिकीय परीक्षणों को रोक देने के बारे में उल्लेख है। जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं कि जो कुछ हम तथा कुछ अन्य देशों के लोग भी करना चाहते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है। कुछ बड़े-बड़े देश कहते हैं कि ऐसा होना चाहिये किन्तु वे स्वयं न करके इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दूसरा पक्ष ऐसा करे जिसका परिणाम यह होता है कि कोई भी नहीं करता।

जहां तक इस संकल्प की भावना का सम्बन्ध है, मैं इससे पूर्णतया सहमत हू। यह उस नीति का द्योतक है जो भारत सरकार ने अपनाई है। जहां तक इसे लागू करने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस समय भारत सरकार के लिये यह उपयुक्त नहीं कि वह दूसरी सरकारों को लिखे कि ऐसा करो या वैसा करो। सफलता की सम्भावना से कोई काम किया जा सकता है और उसका कुछ असर हो सकता है। वैसे तो ऐसी बात करना यथार्थवादिता नहीं है और साधारणतया कोई सरकार ऐसा कदम नहीं उठाती। कोई व्यक्ति, भाषण दे सकता है या बयान जारी कर सकता परन्तु यदि सरकार अयथार्थवादी वक्तव्य देने लगे तो सरकारी वक्तव्यों का मूल्य ही नहीं रहता, मेरी कठिनाई तो यह है।

यदि आप चाहें तो मैं इससे भी अधिक व्यापक प्रश्न पर कुछ कह सकता हूं जो कि अणुशक्ति के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न पर बड़ी जोशीली बातें कहीं हैं। एक माननीय सदस्य ने हिन्दू शास्त्रों का उल्लेख किया और प्राचीन ब्रह्मज्ञान की बातें कीं, जिन्हें मैं समझ नहीं पाया और न मैं उसका ठीक-ठीक महत्व समझता हूं। परन्तु हमें यह बात याद रखनी है कि विज्ञान और वैज्ञानिक खोज का एक मात्र उद्देश्य यह है कि धीरे-धीरे प्रकृति और उसकी शक्तियों को समझा जाये। मानव की सारी प्रगति इसी बात में हुई है कि उसने प्रकृति और उसकी शक्तियों को समझा है और उनका उपयोग अपने लाभ के लिये किया है यद्यपि इस बात के कहने का यह भी अभिप्राय हो सकता है कि मानव की इस प्रगति में प्रत्येक प्रकार की प्रगति——आध्यात्मिक प्रगति——भी सम्मिलित है जो विज्ञान की सीमायें पार करके मन और आध्यात्म तक पहुंचती हैं किन्तु विज्ञान का एक अलग आधार तो रहना ही चाहिये। यदि विज्ञान का आधार रहता है तो यह प्रगति अन्य क्षेत्रों में भी हो सकती है।

प्रगति के इस सिलसिले से सभी प्रकार की वे शक्तियां प्रकट हो गयी हैं जिनका अस्तित्व था। आणविक शक्ति कहीं शून्य से नहीं आई। यह है और रही भी है बिल्कुल बिजली की तरह जो बादलों में और अन्य स्थानों में थी और तब तक वैसी ही पड़ी रही जब कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने यहां सोचा कि इसका प्रयोग मानव के लाभ के लिये हो सकता है और उसने विभिन्न प्रयोगों द्वारा इसे मानव के लिये उपयोगी बनाया। हम इसे मानव के लाभ के लिये प्रयुक्त करते हैं।

इसी प्रकार अन्य शक्तियां हैं जिनका पता चल जायेगा। वे बहुत बड़ी शक्तियां हैं जिन्होंने विश्व को बनाये रखा है और जिनके कारण अणु इकट्ठे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि मानव के हाथ ऐसी शक्ति आ गयी है जिसका प्रयोग वह या तो मानवता के कल्याण के लिये या उसकी तबाही के लिये कर सकता है। यह कहना सम्भव है कि इस शक्ति का प्रयोग ही न किया जाये या इसका उत्पादन ही न किया जाये। संसार स्थिर नहीं है, मानव का मस्तिष्क गतिमान है। मानव की इस इच्छा पर रोक लगाना न तो सम्भव है और न वांछनीय कि वह ब्रह्मांड के रहस्यों को जाने। यदि सत्य की खोज में विपत्ति आती है तो वह आयेगी ही परन्तु यदि मानवता सत्य की खोज ही बन्द कर दे तो सर्वनाश हो जायेगा। अन्ततोगत्वा विज्ञान सत्य की खोज ही है चाहे सत्य को बुरे प्रयोजनों के लिये काम में लाया जाता हो। एक बार आप उस वातायन को खोल देते हैं जिससे मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड के रहस्यों की एक झलक देख सके, तो फिर आप उसे बन्द नहीं कर सकते। ऐसा नहीं किया जा सकता।

राजनीतिक या अन्य कारणों के अतिरिक्त संसार कोई स्थितिशील स्थान नहीं है और न मानव का मन ही स्थितिशील है। इसलिये, हमें यह समझना चाहिये कि आणविक शक्ति अस्तित्व में रहेगी और आणविक शक्तियों सम्बन्धी आविष्कार अधिकाधिक होंगे।

यदि यह अवश्यम्भावी है तो दूसरा प्रश्न यह है कि उसे किस प्रकार काम में लाया जाये। यह सच है कि यह एक कठिन प्रश्न है। स्वाभाविक है कि अन्ततोगत्वा वह मानव, उसके चरित्र, उसकी शील-निष्ठता, उसकी आकांक्षाओं, अथवा वह जो कुछ भी हो, उस पर निर्भर करता है।

इन शक्तियों का उचित और मानव-जाति के कल्याण के लिये उपयोग करने के हित यदि मानव का पर्याप्त रूप से आन्तरिक विकास नहीं होता तो उसका नाश निश्चित है और उसे किसी प्रकार बचाया नहीं जा सकता। मेरा ख्याल है कि इन बातों का उत्तर कोई नहीं दे सकता कि भविष्य में क्या होगा और मानवता का विकास कैसे होगा। वर्तमान स्थिति विशेष आशाप्रद नहीं है। मनुष्य की विचारधारा को किसी विशिष्ट दिशा में मोड़ने के लिये हम केवल प्रयत्न ही कर सकते हैं।

मैं यह कहूंगा कि इस समय विचार की इस प्रणाली में दो तत्व हैं। एक है शक्तिशाली तत्वों का भय और वह यह कि यदि इस प्रकार का आणविक युग अस्तित्व में बना रहता है और परस्पर को नष्ट करने के लिये यदि इन शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है तो मानवता नष्ट हो जायेगी। और इसमें सन्देह नहीं कि इन शस्त्रों के प्रयोग करने वाले लोगों पर यह एक शक्तिशाली अकुंश है। दूसरा तत्व है सद्भावना और वह यह है कि हमें मानवता को किसी अन्य दिशा में सोचने की शिक्षा देनी चाहिये ताकि ये शक्तियां—आप उन्हें छिपा नहीं सकते, वे अस्तित्व में आ गई हैं और आप यह नहीं कह सकते कि चूंकि ये शक्तियां आपको पसंद नहीं हैं इसलिये उनका अस्तित्व मिटा दिया जाये; आप ऐसा नहीं कर सकते—उचित प्रयोजनों के लिये, मानवता के कल्याण के लिये उपयोग में लाई जायें। यही एक वास्तविक प्रश्न है जो अन्ततोगत्वा उत्पन्न होता है। लोग कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिये, किन्तु उससे कोई लाभ नहीं होता।

अब जहां तक आणविक प्रयोगों का सम्बन्ध है, हम बड़े पैमाने के परीक्षणों के विरोधी रहे हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आणविक शक्ति के बारे में निरन्तर जांच, आविष्कार और प्रयोग किया न जाये। जैसा कि सभा को ज्ञात है, हमने भारत में बम्बई के निकट एक आणविक भट्टी[1] स्थापित की है। हम इससे भी बड़ी एक और भट्टी स्थापित कर रहे हैं जो लगभग एक वर्ष के बाद चालू होगी। संभव है कि लगभग चार या पांच वर्ष के बाद हम पर्याप्त मात्रा में आणविक शक्ति को काम में ला सकेंगे, जिसे अच्छे या बुरे कार्यों के लिये काम में लाया जा सकता है। यह बात किसी भी अन्य शक्ति के बारे में कही जा सकती है। विद्युत् शक्ति का प्रयोग आप अच्छे या बुरे कार्यों के लिये कर सकते हैं किन्तु आप विद्युत् शक्ति से मुंह नहीं मोड़ सकते; उसका अस्तित्व है। यह बात और है कि आप विद्युत् शक्ति को बुरे कार्यों के लिये प्रयोग में न लाने की शिक्षा राष्ट्र को दे सकते हैं। क्या हमें भारत में या किसी अन्य देश में आणविक शक्ति का—बम नहीं, मेरा आशय आणविक शक्ति से है; आणविक शक्ति का विकास न करें क्योंकि संभव है कि उसका प्रयोग बुरे कामों के लिये किया जाये? इसका अर्थ केवल इतना ही है कि हम एक बड़ी शक्ति का लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं करते जबकि दूसरे देश करते हैं।

पिछले कम से कम ३०० या ४०० वर्षों का इतिहास यही बताता है कि हम भारतवासी तथा एशिया के अन्य देश वैज्ञानिक कार्यों में स्थितिशील रहे हैं। मुझे यह कहते खेद होता है कि भारत में कई लोग ऐसे हैं जो अब भी पूर्णतया स्थितिशील हैं। उन्हें विज्ञान के महत्व और प्रकृति की इन विचित्र शक्तियों

[1] Atomic Reactor.

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके विचार एक संकुचित दायरे तक सीमित रहते हैं जिसके बाहर वे उस कूपमण्डूक की तरह कभी देखते नहीं। यह बिल्कुल सही है। यही कारण है कि विज्ञान के इस युग में हम पिछड़ गये।

आज हम एक ऐसे संसार में रहते हैं, जिसे विज्ञान और विज्ञानजन्म बातों ने बनाया है। आणविक शक्ति तथा अन्य बातों में अमेरिका और सोवियत संघ विशेष रूप से क्यों उन्नत हैं? क्योंकि उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मन्दिर में बहुत अभ्यर्थना की है। वे प्रतिवर्ष कई वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकों का निर्माण करते हैं। सम्पूर्ण वायुमंडल वैज्ञानिक विचारधारा और वैज्ञानिक कार्य का बन जाता है। यह सच है कि वे प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक वैज्ञानिक दिशा में, जिसमें आणविक शक्ति का उत्पादन भी शामिल है, उन्नति करेंगे। हां, एक बात जरूर है। उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं। आज एक छोटा देश ऐसा नहीं कर सकता। संभव है कि कुछ समय बाद संसाधनों का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण न रहे; यानी, यह बहुत संभव है कि अधिक संसाधनों के बिना ही किसी प्रकार का आणविक अस्त्र बनाया जा सके। उस समय संसार को और भी अधिक खतरा होगा। जब, मान लीजिये, कोई भी इक्का-दुक्का देश उसे बना सके उस विशिष्ट खतरे का सामना संसार किस प्रकार करेगा, यह तो मैं नहीं जानता। इसकी कल्पना की जा सकती है, वह कोई ऐसी बात नहीं है जो बिल्कुल ही असंभव हो। किन्तु आज वही देश ऐसा कर सकता है जिसक पास संसाधन हैं। अब तक केवल तीन देश ऐसा कर सके हैं। सोवियत संघ और अमेरिका के अतिरिक्त ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसने वास्तव में अणु और उद्जन बम के परीक्षण किये हैं।

परन्तु, जैसा कि मैंने बताया, इस वैज्ञानिक तत्व के अतिरिक्त एक और तत्व भी है जो सामान्यतया आप को एक अन्य क्षेत्र में ले जाता है, जिसे आप नैतिक तत्व, आध्यात्मिक तत्व या अन्य किसी नाम से जान सकते हैं; मनुष्य में यह एक ऐसा तत्व होता है जो उसे बुरे काम करने से रोकता है और उस पर रोक रखता है। सभ्यता की वृद्धि की एक परिभाषा संयम की वृद्धि है; अन्यथा मनुष्य,तो एक जंगली जानवर के समान है। मनुष्य अपने उद्वेगों, अपनी भावनाओं और अपनी गतिविधियों पर संयम रखता है और इस प्रकार उनका समन्वय करता है कि उसके साथियों के उद्वेगों, उनकी भावनाओं तथा गतिविधियों के साथ उनका संघर्ष न हो।

अतः इस विषय पर जो चर्चा हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूं, परन्तु मुझे खेद है कि इन स्पष्ट कठिनाइयों के कारण मैं इस संकल्प को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूं क्योंकि एक तो यह हमारी विचाराधारा, सरकार की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरे इस चर्चा की ओर देश की जनता का और हो सकता है विदेश का भी, ध्यान आकर्षित होता है। यह एक अच्छी बात है। उन्हें मालूम होना चाहिये कि इस विषय में हमारे विचार क्या हैं। परन्तु मैं इस संकल्प को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि, वास्तव में, मैं उसे कार्यान्वित नहीं कर सकता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या संकल्प का प्रस्तावक उत्तर प्राप्त करना चाहता है?

†**श्री गिडवानी** : जी, नहीं। प्रधान मंत्री न जो कुछ कहा, उसे देखते हुए मैं अपना 'संकल्प' वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल है कि संशोधनों पर भी जोर नहीं दिया जा रहा है।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिये गये।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित ह्रा० ना० तिवारी** (सारन—दक्षिण) : श्रीमान्, यदि सभा की बैठक समाप्त न हो रही हो, तो मैं एक अन्य संकल्प प्रस्तुत कर दूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह संभव नहीं है। यदि हमने ५ बजे से पहले समय बढ़ाया होता तो यह संभव था। किन्तु अब हम ऐसा नहीं कर सकते ।

इसके पश्चात्, लोक-सभा सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६]

विषय		पृष्ठ
दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि	...	९९

अध्यक्ष महोदय ने भारत की संविधान-सभा (वैधानिक) के एक सदस्य ठाकुर छेदीलाल और श्री श्रीनारायण महाता के, जो भारत की संविधान-सभा (वैधानिक) तथा अस्थायी संसद् के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया ।

इसके पश्चात् सदस्यगण मृतक के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९९–१०१

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये—

(१) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ५२ की उपधारा (३) के अधीन अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २४०८, दिनांक २७ अक्तूबर, १९५६ में प्रकाशित कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम नियम, १९५६ की एक प्रति ।

(२) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा १२९ की उपधारा (२) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २०९७, दिनांक १७ सितम्बर, १९५६

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २१४७, दिनांक २९ सितम्बर, १९५६,

(३) खान तथा खनिज (विनिमय तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अधीन खनिज रियायत नियम, १९४९ में कतिपय संशोधन करने वाली अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(१) अधिसूचना संख्या एम २—१५२ (५९)/५६, दिनांक ४ सितम्बर, १९५६

(२) अधिसूचना संख्या एम २—१५३ (८७)/५५, दिनांक १५ सितम्बर, १९५६

(३) अधिसूचना संख्या एम २—१५२ (३७)/५५, दिनांक १९ सितम्बर, १९५६

(४) अधिसूचना संख्या एम २—१५२ (२६९)/५३, दिनांक ३ अक्तूबर, १९५६

विषय **पृष्ठ**

(५) अधिसूचना संख्या एम २—१५७ (१२)/५६, दिनांक ८ अक्तूबर, १९५६ ।

(४) समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५३ द्वारा निविष्ट समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ (ख) की उपधारा (४) के अधीन सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति—

(१) अधिसूचना संख्या ५३, दिनांक १४ जुलाई, १९५६

(२) अधिसूचना संख्या ५४, दिनांक १४ जुलाई, १९५६

(३) अधिसूचना संख्या ७६, दिनांक २२ सितम्बर, १९५६ ।

(५) त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन निम्न-लिखित अधिनियमों की एक-एक प्रति—

(१) जोत (निष्पादन कार्यवाहियों का रोका जाना) द्वितीय संशोधन अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधि-नियम संख्या ६)

(२) त्रावनकोर-कोचीन सिंचाई अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या ७)

(३) त्रावनकोर-कोचीन निर्वचन और सामान्य खण्ड (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या ८)

(४) नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या ९)

(५) त्रावनकोर-कोचीन काश्तकारों को प्रतिकर सुधार अधिनियम १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या १०)

(६) त्रावनकोर-कोचीन चूने के डले (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ (१९५६ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या ११) ।

(६) जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के प्रारूप की एक प्रति जिस रूप में कि वह उस राज्य की संविधान-सभा में पुरःस्थापित किया गया ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य ... ... १०१—०५

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकार हुआ १०६

बयालीसवां प्रतिवेदन स्वीकार हुआ ।

प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि १०६

निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में प्रवर समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि उनमें से प्रत्येक के सामने दी हुई तिथि तक बढ़ा दी गई :

विषय पृष्ठ

(१) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक, ...
२१ नवम्बर, १९५६ ।

(२) बाल विधेयक, रज्य-सभा द्वारा पारित रूप में .....
३० नवम्बर, १९५६

(३) स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक.....
३० नवम्बर, १९५६,

पुरःस्थापित विधेयक १०७

(१) अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक

(२) राज्य पुर्गठन (संशोधन) विधेयक

पारित विधेयक ... १०७–१७

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ हुआ । खण्ड २ से ६ और १ स्वीकृत हुए । खण्ड ७ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ और विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ ।

विचाराधीन विधेयक ११८–२१

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) ने प्रस्ताव किया कि रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक पर विचार किया जाये । कुछ चर्चा के पश्चात् विधेयक पर आगे चर्चा स्थगित कर दी गई ।

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ १२१

बासठवां प्रतिवेदन स्वीकार हुआ ।

ग़ैर-सरकारी सदस्य का संकल्प वापिस ले लिया गया ... १२१–३४

श्री गिडवानी के नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षणों के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समप्त हुई । सभा की अनुमति से संकल्प वापिस ले लिया गया ।

सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६ की कार्यावलि—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा ।

M32LSD—190—27-2-58—GIPF